

# नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड



8वीं वार्षिक रिपोर्ट  
2023-24

# 8वीं वार्षिक रिपोर्ट

## 2023–24

| विषय वस्तु                                  | पृष्ठ सं. |
|---------------------------------------------|-----------|
| निदेशक मंडल                                 | 1         |
| अध्यक्ष का संबोधन                           | 4         |
| रिपोर्ट्स:                                  |           |
| निदेशकों की रिपोर्ट                         | 7         |
| 2023–24 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट | 43        |
| सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट                  | 49        |
| वित्तीय विवरण:                              |           |
| लेखापरीक्षक की रिपोर्ट                      | 53        |
| तुलन पत्र                                   | 65        |
| लाभ–हानि का विवरण                           | 67        |
| नकदी प्रवाह का विवरण                        | 69        |
| इक्विटी में परिवर्तन के विवरण               | 71        |
| वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स–नोट 1 से 43    | 73        |
| सीएजी की टिप्पणियाँ                         | 130       |

# निदेशक मंडल

## निदेशक मंडल

(21.08.2024 को)



**जया वर्मा सिन्हा**  
अंशकालिक अध्यक्ष  
(31.08.2024 तक)



**विवेक कुमार गुप्ता**  
प्रबंध निदेशक



**अंजुम परवेज**  
निदेशक परियोजना



**विवेक प्रकाश त्रिपाठी**  
निदेशक वित्त



**आलोक कटियार**  
निदेशक (इलेक्ट्रिकल एवं सिस्टम)



**संदीप श्रीवास्तव**  
निदेशक रोलिंग स्टॉक



**प्रमोद शर्मा**  
निदेशक (कार्य)



**विकास चौबे**  
निदेशक (परिवहन, सुरक्षा एवं विपणन)



**डॉ. प्रणय प्रभाकर**  
अंशकालिक निदेशक



**संजय जगदीशचंद्र सेठी**  
अंशकालिक निदेशक



**अन्विता सिन्हा**  
अंशकालिक निदेशक

कंपनी सचिव  
सुमीता शर्मा

**पंजीकृत कार्यालय**

दूसरी मंजिल, एशिया भवन, रोड नंबर 205,  
सेक्टर-9, द्वारका, नई दिल्ली-110077  
टेलीफोन: 91-11-2807000 / 01; फ़ैक्स: 91-11-28070250  
ई-मेल: [psmd@nhsrcl.in](mailto:psmd@nhsrcl.in);  
वेबसाइट: [www.nhsrcl.in](http://www.nhsrcl.in)  
सीआईएन: U60200DL2016GOI291002

**सांविधिक लेखा परीक्षक**

मेसर्स दीवान पी.एन. चोपड़ा एंड कंपनी,  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

**संचिवीय लेखा परीक्षक**

मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स,  
कंपनी सेक्रेटरीज

**आंतरिक लेखा परीक्षक**

मेसर्स अशोक श्याम एंड एसोसिएट्स,  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

# अध्यक्ष का संबोधन

## अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इस 8वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर रिपोर्ट, वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट आदि सहित वार्षिक रिपोर्ट पहले ही सभी शेयरधारकों और अन्य हितधारकों को भेज दी गई है।

कंपनी ने भारत के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर (मुंबई से अहमदाबाद तक) के कार्यान्वयन के लिए निर्माण गतिविधियों में उल्लेखनीय प्रगति की है। मैं कंपनी द्वारा हाल ही में हासिल की गई कुछ उपलब्धियों को साझा करना चाहूंगा:

- कंपनी ने परियोजना के लिए आवश्यक 100% भूमि का अधिग्रहण कर लिया है।
- कंपनी को कुल 24 अनुबंध पैकेज आवंटित किए गए हैं, जिनमें सभी सिविल कार्य, डिपो पैकेज, एचएसआर स्टेशन, वायडक्ट पैकेज और एक इलेक्ट्रिकल सब-पैकेज के लिए निविदाएं शामिल हैं। शेष चार अनुबंध पैकेज मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं।
- परियोजना ने अगस्त 2024 तक 46.07% की संचयी भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली है, यानी गुजरात में 55.49% और महाराष्ट्र में 26.74%।
- गुजरात राज्य में 352 किलोमीटर पर कार्य प्रगति पर है, जिसमें 31 अगस्त 2024 तक नींव रखने में 97.52%, पियर निर्माण में 95.57%, गर्डर कास्टिंग में 70.21% और गर्डर लॉन्चिंग में 60.65% प्रगति प्राप्त की गई है।
- महाराष्ट्र राज्य में 156 किलोमीटर के सम्पूर्ण खंड पर सिविल कार्य भी शुरू हो गया है।
- गुजरात राज्य में कुल आवश्यक 21 पुलों में से, 31 अगस्त 2024 तक, 10 नदी के पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है, और गुजरात में शेष 11 नदी के पुलों के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य में 11 नदी के पुलों पर काम प्रगति पर है।
- गुजरात राज्य में सभी आठ एचएसआर स्टेशनों की नींव का काम पूरा हो चुका है और सुपरस्ट्रक्चर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। महाराष्ट्र राज्य में भी सभी चार एचएसआर स्टेशनों पर काम शुरू हो चुका है।
- गुजरात राज्य में एकमात्र सुरंग का निर्माण पूरा हो चुका है, तथा महाराष्ट्र राज्य में 20.37 किलोमीटर लम्बी समुद्र के अन्दर सुरंग के लिए आवश्यक 100% भूमि ठेकेदार को सौंप दी गई है, तथा ठेकेदार द्वारा प्रमुख उपकरणों के लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं।

साबरमती में यात्री टर्मिनल हब भवन के व्यावसायिक उपयोग के लिए, मई 2024 में जारी रियायत समझौते के लिए बोली दस्तावेज का मूल्यांकन प्रगति पर है।

एमएचएसआर परियोजना के निर्माण के अलावा, आपकी कंपनी सात अन्य प्रस्तावित एचएसआर कॉरिडोरों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी तैयार कर रही है। चार कॉरिडोरों (अर्थात दिल्ली-वाराणसी एचएसआर, दिल्ली-अहमदाबाद एचएसआर, नागपुर-मुंबई एचएसआर, और मुंबई-हैदराबाद एचएसआर) के लिए डीपीआर 2023-24 तक प्रस्तुत किए गए हैं, और एक डीपीआर (दिल्ली-अमृतसर एचएसआर कॉरिडोर के लिए) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद जुलाई 2024 में प्रस्तुत की गई है। दो एचएसआर कॉरिडोरों (अर्थात चेन्नई-मैसूर एचएसआर और वाराणसी-हावड़ा एचएसआर) के लिए डीपीआर, 2024-25 के दौरान प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप कंपनी सीएसआर के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का निर्वहन करना जारी रखती है।

आपकी कंपनी निर्माण चरण में है, और अभी तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं हुआ है। 31 मार्च 2024 तक कंपनी का पूंजीगत कार्य प्रगति पर है, जिसकी राशि 41,934 करोड़ रुपये (लगभग) है।



आपकी कंपनी भारत के पहले हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के विकास में सक्रिय रूप से लगी हुई है। कंपनी अब तक की उपलब्धियों पर आराम नहीं कर सकती। इस सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। भारत में एचएसआर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य और मशीन को मिलकर काम करना होगा। इन शब्दों के साथ, मैं एनएचएसआरसीएल टीम से आग्रह करता हूँ कि वे अपनी प्रतिबद्धता जारी रखें और देश को रेल परिवहन के बुनियादी ढांचे में उन्नति के युग में ले जाएं।

(सतीश कुमार)  
अध्यक्ष

दिनांक: 30.09.2024

स्थान: नई दिल्ली

# रिपोर्ट्स

# निदेशकों की रिपोर्ट

## विशिष्ट शेयरधारकों

आपकी कंपनी के निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के मामलों पर अपनी 8वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है।

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है, तथा भारत सरकार, गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच क्रमशः 50:25:25 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम है। कंपनी को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) की तर्ज पर निगमित किया गया है।

### I. एमएचएसआर परियोजना का अवलोकन

आपकी कंपनी भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना यानी जापान की शिकानसेन प्रौद्योगिकी पर आधारित मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएचएसआर) परियोजना को क्रियान्वित कर रही है, जिसके लिए 12 दिसंबर 2015 को भारत सरकार और जापान सरकार के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त एमएचएसआर परियोजना अपनी अत्याधुनिक तकनीक से भारत की यात्री परिवहन प्रणाली को बदल देगी और सामान्य रूप से यात्री परिवहन और विशेष रूप से रेल यातायात में एक नए युग का प्रारंभ करेगी। इससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा।



एमएचएसआर मार्ग संरेखण

एमएचएसआर परियोजना महाराष्ट्र के मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) से शुरू होकर गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रेलवे स्टेशन के पास समाप्त होगी। उक्त एमएचएसआर कॉरिडोर का लगभग 508 किलोमीटर का संरेखण गुजरात राज्य (8 जिलों में), केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव तथा महाराष्ट्र राज्य (3 जिलों में) से होकर गुजरेगा। व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत रु.1,08,000 करोड़ (लगभग) है।

उक्त एचएसआर कॉरिडोर में निम्नलिखित विशेषताएं होंगी:

- बारह (12) स्टेशन [अर्थात मुंबई (बीकेसी), ठाणे, विरार, बोइसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरुच, वडोदरा, आनंद/नाडियाड, अहमदाबाद और साबरमती];
- तीन (3) रोलिंग स्टॉक रखरखाव डिपो [अर्थात ठाणे में एक डिपो, सूरत में एक लघु डिपो, और साबरमती में एक डिपो-सह-कार्यशाला];
- निरीक्षण और रखरखाव कारों/उपकरणों और ओवरहेड इलेक्ट्रिकल (ओएचई) लाइनों, ट्रैक आदि के रखरखाव के लिए आवश्यक सामग्री के भंडारण/हैंडलिंग के लिए आठ (8) रखरखाव डिपो;
- वायडक्ट पर दो (2) कन्फर्मेशन कार बेस;
- रखरखाव कार्यों के प्रबंधन के लिए आठ (8) रखरखाव केंद्र; और
- साबरमती पैसेंजर टर्मिनल हब बिल्डिंग।

## II. एमएचएसआर परियोजना—निर्माण—पूर्व गतिविधियाँ

### क. तकनीकी विनिर्देश, मानक विनिर्देश, तथा विनिर्देश एवं मानकों के लिए मैनुअल

- i) टी 1 ट्रैक पैकेज के लिए तकनीकी विनिर्देश (टीएस) को अंतिम रूप दिया जा रहा है (टी 2 और टी 3 पैकेज को 2022–23 में पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है)।
- ii) सिग्नलिंग, दूरसंचार और प्रचालन नियंत्रण केन्द्र के मानक और विनिर्देश जेआईसीसी द्वारा तैयार किए गए हैं, जापानी निकाय (जेई) द्वारा जांच की गई है और शिकानसेन, जापान की सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए जापानी प्रथाओं का अनुसरण करते हुए एमएलआईटी (जापान) द्वारा अपनाया गया है।

### ख. डिजाइन

वर्ष 2023–24 के दौरान पूरे किए जाने वाले प्रमुख डिजाइन कार्य निम्नानुसार हैं:

- i) जेआईसीसी द्वारा तैयार, जेई द्वारा जांचे गए तथा एमएलआईटी द्वारा प्रमाणित सिग्नलिंग और दूरसंचार के विस्तृत डिजाइन क्रमशः मई और सितंबर 2023 में जेआईसीसी द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। पूरा होने के बाद, इन डिजाइनों को ई 1 के छह उप-पैकेजों (अर्थात् ईई1, ईई2, ईई3, ईई5, ईई6, और ईडब्ल्यू2) के लिए तैयार किए जा रहे निविदा दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा। ई1 के दो उप-पैकेजों (यानी ईडी1 और ईई4) का डिजाइन संबंधित अनुबंधों के तहत किया जाएगा।
- ii) एचएसआर स्टेशनों, डिपो (रखरखाव डिपो सहित) और प्रशिक्षण संस्थान के लिए तकनीकी डिजाइन कार्य:
  - क) 2023–24 के दौरान चार एचएसआर स्टेशनों [अर्थात् मुंबई (बीकेसी), अहमदाबाद, वडोदरा और साबरमती] के साथ-साथ 2021–22 के दौरान पहले से ही शुरू किए गए पांच एचएसआर स्टेशनों (अर्थात् वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरुच और आनंद/नडियाड) के अलावा वडोदरा में डी2 पैकेज और प्रशिक्षण संस्थान (टीआई 1 पैकेज) के निर्माण के लिए संबंधित ठेकेदारों के साथ वास्तुकला सौंदर्य रिपोर्ट (आंतरिक और बाहरी) शुरू की गई है।  
उपरोक्त 9 एचएसआर स्टेशनों में से चार एचएसआर स्टेशनों (अर्थात् सूरत, बिलिमोरा, अहमदाबाद और आनंद/नडियाड) के लिए उक्त वास्तुशिल्प सौंदर्य रिपोर्ट को 31 मार्च 2024 तक और वडोदरा एचएसआर स्टेशन के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 की समाप्ति के बाद अप्रैल 2024 में अंतिम रूप दिया गया है।
  - ख) तकनीकी डिजाइन जिस में वास्तुकला सौंदर्य रिपोर्ट और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग (एमईपी) सेवाएं आदि शामिल हैं:
    - 1) तीन एचएसआर स्टेशनों (अर्थात् आनंद/नडियाड, बिलिमोरा और सूरत) के साथ-साथ सूरत डिपो और पांच रखरखाव डिपो (सी4 और सी6 पैकेज के तहत) के लिए अंतिम रूप दिया गया है।
    - 2) छह एचएसआर स्टेशनों (अर्थात् वापी, भरुच, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरमती और बीकेसी) के लिए कार्य अंतिम चरण में है।
    - 3) वर्ष के दौरान तीन एचएसआर स्टेशनों (अर्थात् ठाणे, विरार और बोईसर) के साथ-साथ दो रखरखाव डिपो (सी3 पैकेज), डी2 पैकेज की इमारत और प्रशिक्षण संस्थान (टीआई1) के लिए कार्य शुरू हो गया है।
  - iii) तकनीकी डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने के परिणामस्वरूप, उपरोक्त तीन एचएसआर स्टेशनों (अर्थात् बिलिमोरा, सूरत, और आनंद/नडियाड), सूरत डिपो और पांच रखरखाव डिपो (सी4 और सी6 पैकेज के तहत) के निर्माण चरण का डिजाइन अग्रवर्ती चरण में है और 2023–24 के दौरान सूरत और आनंद/नडियाड एचएसआर स्टेशनों पर विभिन्न मॉक-अप के लिए बाद का निष्पादन भी शुरू हो गया है।
  - iv) आपकी कंपनी 2022–23 के दौरान हस्ताक्षरित परिचर्चा के रिकॉर्ड (आरओडी) के अनुसार, जेआईसीसी से तकनीकी सहयोग के तहत, प्रोजेक्ट स्मार्ट के रूप में संदर्भित चार एचएसआर स्टेशनों (अर्थात् ठाणे, विरार, सूरत और साबरमती) के लिए स्टेशन क्षेत्र के विकास का कार्य कर रही है।

उक्त तकनीकी सहयोग के लिए 2023-24 के दौरान राज्य शहरी विकास प्राधिकरणों (अहमदाबाद, सूरत, ठाणे, विरार), रेल मंत्रालय, एनएचएसआरसीएल, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के अधिकारियों और जेआईसीए विशेषज्ञों के साथ नियमित बैठकें और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

#### ग. मौजूदा भारतीय रेलवे सुविधाओं और जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण

एमएचएसआर मार्ग में बाधा डालने वाली मौजूदा भारतीय रेलवे सुविधाएं और अवसंरचनाएं जैसे कि रनिंग लाइनें, रेलवे प्लेटफॉर्म सहित अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन और रखरखाव सुविधाएं और कार्यालय/कर्मचारी क्वार्टर आदि को गुजरात और महाराष्ट्र में पश्चिमी रेलवे के समन्वय से स्थानांतरित/पुनर्स्थापित कर दिया गया है।

इसके अलावा, एमएचएसआर मार्ग का उल्लंघन करने वाली बड़ी संख्या में ओएचई लाइनों और अन्य जनोपयोगी सेवाओं को भी स्थानांतरित किया जा रहा है या इनके मालिकों के समन्वय से ऐसी संरचनाओं की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है।

इसके अतिरिक्त, चूंकि एमएचएसआर मार्ग के कुछ हिस्से घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों से गुजर रहे हैं, इसलिए गैस लाइनों, पानी और जल निकासी पाइपों, रोशनी, बिजली और दूरसंचार केबलों और अन्य बुनियादी ढांचे जैसी कई भूमिगत और नागरिक जनोपयोगी सेवाओं को भी मुंबई, ठाणे, वडोदरा और अहमदाबाद में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है, ताकि एचएसआर सिविल निर्माण कार्यों को बिना किसी बाधा के शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके और साथ ही आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इन जनोपयोगी सेवाओं के संचालन में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित किया जा सके।

वर्ष 2023-24 के दौरान मौजूदा रेलवे सुविधाओं और जनोपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण तथा उक्त स्थानांतरण से उत्पन्न निर्माण की प्रगति/स्थिति निम्नानुसार है:

##### स्थानांतरण/पुनर्वास का कार्य:

- i) 2023-24 के दौरान 33 ओवरहेड इलेक्ट्रिकल (ओएचई) लाइनों पर पूरा हो चुका है। 31 मार्च 2024 तक स्थानांतरित संचयी ओएचई लाइनें 1638 (कुल 1651 में से) यानी गुजरात में 1333 और महाराष्ट्र में 305 हैं। इसमें गुजरात में 100% ओएचई लाइनों को स्थानांतरित करने का कार्य और महाराष्ट्र में 95.91% को स्थानांतरित करने का कार्य शामिल है। महाराष्ट्र में शेष 11 ओएचई लाइनों को स्थानांतरित करने का कार्य प्रगति पर है।
- ii) मुंबई के बीकेसी में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) का रिटेल आउटलेट सितंबर 2023 में पूरा हो गया।
- iii) प्रस्तावित ठाणे डिपो स्थित स्टेम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की पानी की पाइपलाइन का काम 90% पूरा हो चुका है।
- iv) वडोदरा में 2.25 लाख लीटर का ओवरहेड वाटर टैंक का कार्य सितंबर 2023 में पूरा हो गया है।

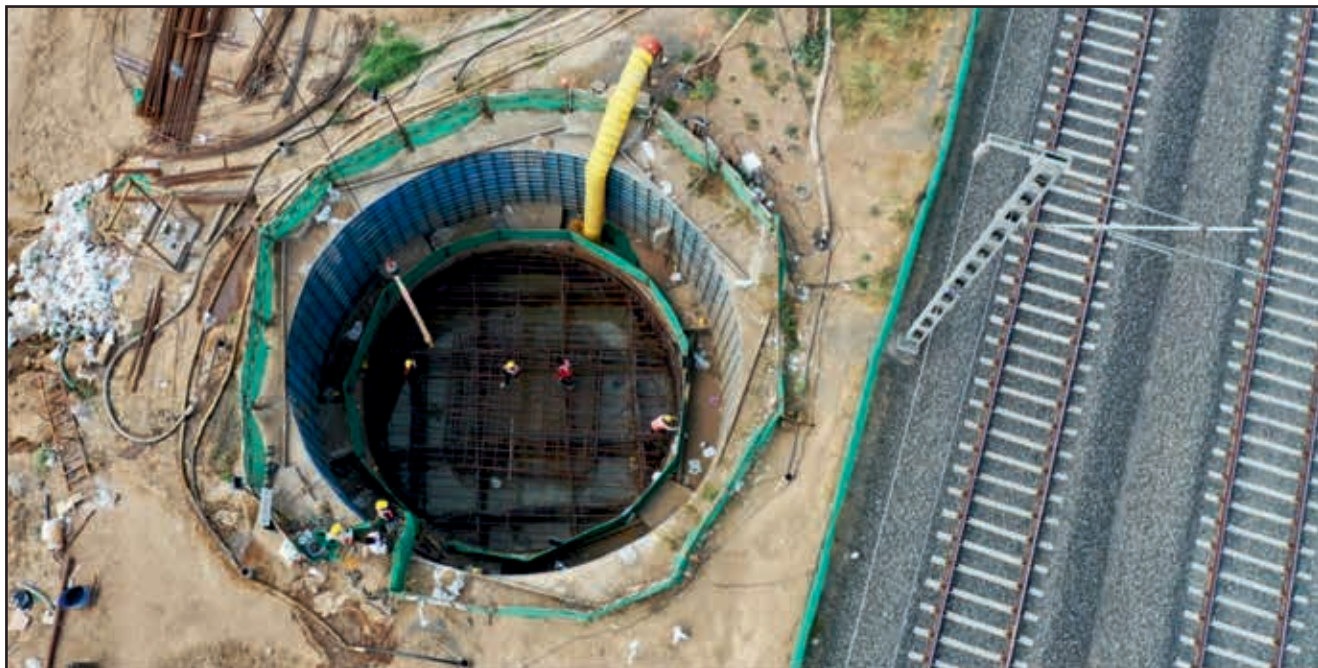
2023-24 के दौरान, वायडक्ट (सी7 पैकेज) के निर्माण के लिए अहमदाबाद-साबरमती (शाहीबाग खंड) खंड में तीसरी मेनलाइन के 2-वर्षीय यातायात और पावर ब्लॉक के लिए पूर्व-अपेक्षित अनुमोदन/अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

##### जनोपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाला निर्माण:

- v) सीपीओएच कार्यशाला में 87 मशीनें (88 में से) मार्च 2024 में अहमदाबाद में चालू कर दी गई हैं।
- vi) पश्चिम रेलवे, वडोदरा मंडल के लिए नए दुर्घटना राहत चिकित्सा उपकरण (एआरएमई) कार्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

##### वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद:

- i) वडोदरा में वितरण उप-स्टेशन (डीएसएस) को बाधित करने वाले पंप हाउस का निर्माण कार्य अप्रैल 2024 में पूरा हो गया है और जून 2024 में पश्चिम रेलवे को सौंप दिया गया है।
- ii) अहमदाबाद में काली मंदिर से रेलवे कॉलोनी तक रेलवे लाइन के ऊपर फुट ओवर ब्रिज के निर्माण और स्थापना का दूसरा चरण अप्रैल 2024 में पूरा हो गया है। डेमू शेड से काली मंदिर तक पहला चरण सितंबर 2023 में पहले ही पूरा हो चुका है।
- iii) अहमदाबाद स्थित पलेश बट वेल्डिंग (एफबीडब्ल्यू) संयंत्र की सभी 21 मशीनें चालू कर दी गई हैं और जून 2024 तक भारतीय रेलवे को सौंप दी गई है।



गुजरात के भरुच जिले में शिसो पाइल का काम प्रगति पर

#### घ. भूमि अधिग्रहण

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 31 मार्च 2024 तक समग्र स्थिति नीचे दी गई है:

- i) संयुक्त माप सर्वेक्षण (जेएमएस) रिपोर्ट के आधार पर, एमएचएसआर परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि की आवश्यकता और 2023-24 के दौरान और 31 मार्च 2024 तक अधिग्रहित भूमि की स्थिति निम्नानुसार है:

| राज्य                                             | प्रभावित गांवों की संख्या | जेएमएस पूर्ण (सं.) | भूमि की आवश्यकता (हेक्टेयर में)/भूखंड (संख्या में) |                 |              |              |                  | अधिग्रहीत        |                        | टिप्पणी                                                                                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                           |                    | सरकारी                                             | निजी            | भारतीय रेल   | जंगल         | कुल              | 2023-24 के दौरान | 31 मार्च 2024 तक संचयी |                                                                                                  |
| गुजरात                                            | 198                       | 198                | 83.57 हे/997                                       | 738.87 हे/6373  | 125.87 हे/41 | 2.83 हे/10   | 951.14 हे/7421   | 7.29 हे          | 951.14 हे              | सहमति और नियमित अवार्ड के माध्यम से अधिग्रहित 73887 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है                  |
| महाराष्ट्र                                        | 97                        | 97                 | 59.58 हे/340                                       | 275.34 हे/2017  | 2.78 हे/20   | 92.75 हे/207 | 430.45 हे/2584   | 1.07 हे          | 430.45 हे**            | प्रत्यक्ष खरीद पद्धति और नियमित अवार्ड के माध्यम से अधिग्रहित 275.34 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है |
| दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली (डीडी और डीएनएच) | 2                         | 2                  | 0.38 हे/9                                          | 7.52 हे/134     | 0            | 0            | 7.90 हे/143      | 0                | 7.90 हे                | नियमित अवार्ड के माध्यम से अर्जित                                                                |
| कुल                                               | 297                       | 297                | 143.53 हे/1346                                     | 1021.73 हे/8524 | 128.65 हे/61 | 95.58 हे/217 | 1389.49 हे/10148 | 8.36 हे          | 1389.49 हे             |                                                                                                  |

\*गुजरात में अपेक्षित भूमि आवश्यकता में थोड़ा परिवर्तन/संशोधन किया गया है।

\*\*378.40 हेक्टेयर (अर्थात 87.91%) भूमि पर कब्जा लिया गया है।

- ii) 31 मार्च 2024 तक निजी भूमि के लिए रु. 9,913.41 करोड़ का भूमि मुआवजा वितरित किया गया है [गुजरात और डीडी और डीएनएच में: रु. 6,345.88 करोड़ और महाराष्ट्र में: रु. 3,567.53 करोड़]।

#### ड. पर्यावरण, वैधानिक मंजूरी और वृक्ष प्रत्यारोपण

महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में वन्यजीव और तटीय विनियामक क्षेत्र (सीआरजेड) मंजूरी और पुरातात्विक मंजूरी के अलावा, आपकी कंपनी ने 2023-24 के दौरान निम्नलिखित पर्यावरणीय और वैधानिक मंजूरी प्राप्त की है:

- i) वन मंजूरी: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) से 2022-23 में महाराष्ट्र में वन मंजूरी (चरण II) के लिए सिफारिश प्राप्त होने के बाद, जुलाई 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंतिम डायवर्जन आदेश जारी किया गया है।

गुजरात के लिए वन मंजूरी (चरण II) 2019-20 में पहले ही प्राप्त हो चुकी थी।

- ii) वृक्षारोपण/वृक्षों का प्रत्यारोपण: आपकी कंपनी पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न कदम सक्रिय रूप से उठा रही है, जैसे कि राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) (गैर-वन क्षेत्र) के अंतर्गत आने वाले वृक्षों का प्रत्यारोपण और प्रतिपूरक वनरोपण, जिसमें उनकी देखभाल और निगरानी भी शामिल है। यह वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वृक्षों के लिए वन विभाग को प्रतिपूरक वृक्षारोपण के भुगतान (अर्थात् वन वृक्ष) तथा वन्यजीवन, सीआरजेड और मैग्रोव के संरक्षण और प्रबंधन के लिए विभिन्न पर्यावरण निकायों को किए गए भुगतान के अतिरिक्त है।

31 मार्च 2024 तक कंपनी ने 10,535 पेड़ प्रत्यारोपित किए हैं और विभिन्न स्थानों पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण के तहत अतिरिक्त 95,468 पेड़ लगाए गए हैं। इसके अलावा, ठेकेदारों ने भी 2023-24 तक विभिन्न पैकेजों के तहत 45,537 पेड़ लगाए हैं।



गुजरात में सेगमेंटल लॉन्चिंग गैन्ट्री का संचालन

#### च. पुनर्वास कार्य योजना

जेआईसीए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अगस्त 2018 में जेआईसीए को प्रस्तुत सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए)/पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) पर परियोजना के प्रभाव का आंकलन करने और उन्हें मुआवजा दिलाने, पुनर्वास और पुर्नस्थापन (आरएंडआर) सहायता के साथ-साथ उनके सामाजिक-आर्थिक मानकों और आजीविका क्षमता में सुधार के लिए अन्य उपायों को प्राप्त करने में सहायता के लिए शमन उपायों को विकसित करने के लिए स्वदेशी लोगों की योजना (आईपीपी) के साथ एसआईए/आरएपी विकसित की गई है।

परियोजना के लिए प्रस्तावित आय पुर्नस्थापना योजना (आईआरपी) का उद्देश्य परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएच) की आय को परियोजना-पूर्व स्तर या उससे बेहतर स्तर तक बढ़ाना है, और यह पीएएच के पुनर्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएएच को अपनी वर्तमान गतिविधियों और कौशल का लाभ उठाने के लिए डिजाइन किए गए विभिन्न विकल्पों में से चुनने का अवसर मिलेगा। सभी पीएपी को उपलब्ध विकल्पों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक भागीदारी की जाती है, पीएएच और उन्हें भाग लेने का पर्याप्त अवसर दिया है।

आर एंड आर अवार्ड [जिसमें स्थानांतरण के लिए परिवहन भत्ता; निर्वाह अनुदान; छोटे व्यापारियों को एकमुश्त अनुदान; पुनर्वास भत्ता; वार्षिकी के विरुद्ध एकमुश्त सहायता; घर, छोटी दुकानों, मवेशी शेड आदि के निर्माण के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता; नई परिसंपत्तियों की खरीद पर पीएपी को स्टॉप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति; आदि] व्यक्तिगत प्रभाव के आधार पर एमएचएसआर परियोजना के प्रत्येक पीएच के लिए पात्रता मैट्रिक्स, सामाजिक और पर्यावरण विचार 2010 की जेआईसीए नीति और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची के संदर्भ में शुरू किया गया है।

2023–24 के दौरान, 115 भूखंडों के लिए आर एंड आर अवार्ड घोषित किए गए हैं [अर्थात महाराष्ट्र में 21 भूखंडों और गुजरात में 94 भूखंडों के लिए]। इसके साथ, 31 मार्च 2024 तक घोषित संचयी आर एंड आर अवार्ड 8129 भूखंडों के लिए हैं [अर्थात महाराष्ट्र में 1668 भूखंड, गुजरात में 6327 भूखंड, और केंद्र शासित प्रदेश डीडी और डीएनएच में 134 भूखंड]।

#### छ. सामाजिक विकास कार्य

आपकी कंपनी विभिन्न हितधारकों की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने परियोजना क्षेत्र के आसपास सामाजिक विकास कार्य (एसडीडब्ल्यू) कर रही है।

एसडीडब्ल्यू के लिए कुल रु. 100 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया। ये एसडीडब्ल्यू कंपनी के पुनर्स्थापन और पुनर्वास, भूमि मुआवजा और सीएसआर पहलों के अतिरिक्त हैं। कंपनी द्वारा किए गए एसडीडब्ल्यू का विवरण इस प्रकार है:

| विवरण                                                                                                                                                                                                                                              | राशि<br>(करोड़ रु. में) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| एस.डी.डब्ल्यू. के लिए कुल बजटीय प्रावधान                                                                                                                                                                                                           | 100.00                  |
| उपयोग                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 1. विभिन्न गतिविधियाँ जैसे व्हीलचेयर का दान, जिला अधिकारियों को वित्तीय सहायता, चिकित्सा केंद्र खोलना आदि।                                                                                                                                         | 0.35                    |
| 2. महाराष्ट्र के पालघर जिले में 71 गांवों (43 पीईएसए गांवों सहित) में ग्राम विकास योजना के तहत कार्य<br>[स्वीकृत राशि = रु. 15.60 करोड़ रुपये]<br>[जिला प्रशासन, पालघर को जारी की गई राशि (कुल 41 गांवों के लिए, जिसमें 35 पीईएसए गांव शामिल हैं)] | 5.03                    |



मेसर्स दिनेश चंद्रा-डीएमआरसी जेवी के साथ डी1 अनुबंध पैकेज पर हस्ताक्षर

31 मार्च 2024 तक 41 गांवों में ग्राम विकास योजना (वीडीपी) पहलों की संचयी स्थिति निम्नानुसार है:

| गाँव                                                                                                                                                                                                 | कार्य का नाम                                                                                                                                                                                    | वितरित राशि         |                                       | प्रगति का %—<br>(भौतिक/वित्तीय)             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | 2023-24<br>के दौरान | 31.03.2024<br>तक संचयी<br>(रुपये में) |                                             |
| तलसारी तालुका (7 पीईएसए गांवों में जैसे मानपाड़ा, वासा, वरवाड़ा, कवाड़ा, उपलाट, आमगांव और जरी)                                                                                                       | दो सामुदायिक भवन, पांच कंक्रीट सड़कें, एक अध्ययनकक्ष, दो आंगनवाड़ी हॉल और चारदीवारी का निर्माण; आदि                                                                                             | 15,00,000           | 1,18,50,000                           | पूर्ण—95% भौतिक कार्य और 10% वित्तीय        |
| पालघर तालुका (10 पीईएसए गांवों सहित 16 गांवों में, जैसे विराथन खुर्द, पडघे, नंदोर, रोथे, बेटेगांव, अंबाडी, वालवे, शिगांव, हनुमान नगर, जलसार, शिल्टे, केल्वे रोड, मांडे, मान, खानिवडे और टेम्बीखोडवे) | ग्राम पंचायत में एक शेड और पेवर ब्लॉक का निर्माण, एक अध्ययनकक्ष, तीन सामुदायिक हॉल, छह कंक्रीट सड़कें; साथ ही दो आंगनवाड़ियों में मरम्मत कार्य; चार गांवों की जलापूर्ति प्रणाली में सुधार; आदि। | 66,47,315           | 2,15,09,622                           | पूर्ण—95% भौतिक कार्य और 100% वित्तीय कार्य |
| दहानू तालुका (12 पीईएसए गांवों में जैसे धामनगांव, अप्टोल, जादिगांव, अश्वे, अंबेसरी, जीतगांव, वनाई, चारी, कोटबी, गंगनगांव, देहने और गोवणे)                                                            | चार सीमेंट सड़कों, चार सामुदायिक हॉलों का निर्माण; एक ग्राम पंचायत परिसर का विकास; एक आंगनवाड़ी में मरम्मत कार्य; गांव की श्मशान भूमि पर एक शेड उपलब्ध कराना; आदि।                              | 0                   | 1,25,98,474                           | पूर्ण—100% भौतिक और वित्तीय दोनों           |
| वसई तालुका (अर्थात 6 पीईएसए गांव अर्थात नागले, मोरी, पोमन, सरजामोरी, शिलोतार और चंद्रपाड़ा)                                                                                                          | दो पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराना, चार सौर हाईमास्ट स्थापित करना आदि।                                                                                                                              | 0                   | 44,37,053                             | पूर्ण—100% भौतिक और वित्तीय दोनों           |
|                                                                                                                                                                                                      | <b>कुल</b>                                                                                                                                                                                      | <b>81,47,315</b>    | <b>5,03,95,149</b>                    |                                             |

## ज. निविदा

एचएसआर प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण सहित संपूर्ण एमएचएसआर परियोजना को 28 जेआईसीए अनुबंध पैकेजों (पीएमसी—सलाहकार सेवा पैकेज सहित) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना है। 23 पैकेज (28 में से) एमएचएसआर परियोजना से संबंधित हैं और 5 पैकेज वडोदरा स्थित एचएसआर प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने:

i) निम्नलिखित तीन जेआईसीए अनुबंध पैकेजों को आमंत्रित किया गया है:

- आर1—मुख्य [रखरखाव और संबद्ध कार्यों के लिए स्पेयर पार्ट्स सहित डिजाइन—निर्माण एकमुश्त मूल्य के आधार पर रोलिंग स्टॉक का डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति और परीक्षण और कमीशनिंग]।
- निरीक्षण मशीनें (आईएम1) [ट्रैक, सुरंग, पुल, ओएचई, अन्य मशीनों और संबंधित कार्य के लिए निरीक्षण और रखरखाव कार के डिजाइन बिल्ड एकमुश्त मूल्य के आधार पर डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति और परीक्षण और कमीशनिंग दो अलग-अलग लॉट आईएम 1 (एक्स) और आईएम 2 (वाई) में]।
- ईडी-1 उप-पैकेज के अंतर्गत परिचालन नियंत्रण केंद्र (ओसीसी) के विस्तृत डिजाइन कार्य के लिए जापानी पक्ष द्वारा नामित सलाहकारों से प्रत्यक्ष अनुबंध पद्धति के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई है।

ii) चार जेआईसीए अनुबंध पैकेज अर्थात डी1, सी2, सी3 और टीआई 1 के साथ एक उप-पैकेज ईडब्ल्यू1 (ई1 पैकेज का उप-पैकेज) का ठेका दिया गया।

उपर्युक्त पैकेजों के आवंटन के साथ, एमएचएसआर परियोजना की 508 किलोमीटर की पूरी लंबाई को कवर करने वाले वायडक्ट्स, स्टेशनों, सिविल और डिपो से संबंधित सभी जेआईसीए अनुबंध पैकेज आवंटित कर दिए गए हैं (गुजरात राज्य में ट्रैक कार्यों के लिए पैकेज भी शामिल हैं)।

31 मार्च 2024 तक पूर्ण हो चुके जेआईसीए अनुबंध पैकेज, आवंटित निविदाएं, मूल्यांकनाधीन निविदाएं, जारी/जारी होने वाली निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) आदि की समग्र/संचयी स्थिति नीचे दी गई है:

| एचएसआर खंड        | कुल (संख्या) | आवंटित (संख्या)                                                    | पूरा हुआ (संख्या)                 | मूल्यांकनाधीन (संख्या)    | एनआईटी जारी की जाने वाली (संख्या) |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| साबरमती-वापी      | 10           | 10<br>(सी4ए सी5ए सी6ए सी7ए सी8ए पी1ठए पी1बू टी2ए टी3ए – डी2)       | 0                                 | 0                         | 0                                 |
| वापी-बीकेसी       | 5            | 4<br>(सी1ए सी2ए सी3ए – डी1)                                        | 0                                 | 0                         | 1<br>(टी1)                        |
| सामान्य पैकेज     | 8            | 4<br>(पी4*, पीएमसी-सिविल, पीएमसी-टीआरएस, और पीएमसी-सलाहकार सेवाएं) | 1<br>(आर1-प्रारंभिक सर्वेक्षण)    | 2<br>(आईएम1 और आर1-मुख्य) | 1<br>(ई1*)                        |
| प्रशिक्षण संस्थान | 5            | 2<br>(टीआई1 और टीआई4)                                              | 3<br>टीआई2, टीआई3, और पीएमसी-टीआई | 0                         | 0                                 |
| <b>कुल</b>        | <b>28</b>    | <b>20</b>                                                          | <b>4</b>                          | <b>2</b>                  | <b>2</b>                          |

सी-सिविल पैकेज के लिए; टी-ट्रैक पैकेज के लिए; आर-रोलिंग स्टॉक पैकेज के लिए; ई-इलेक्ट्रिकल, एस एंड टी, और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर (ओसीसी) पैकेज के लिए; टीआई-प्रशिक्षण संस्थान पैकेज के लिए; डी-डिपो पैकेज के लिए; आईएम-निरीक्षण और रखरखाव कार पैकेज के लिए; पी-विशेष पुल पैकेज के लिए; पीएमसी-प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए; और टीआरएस-ट्रैक और रोलिंग स्टॉक के लिए।

\* पैकेजों का उप-विभाजन:

I) पी4 अनुबंध पैकेज-2 उप-पैकेजों में विभाजित अर्थात्

क) पी4(एक्स)-11 पुलों के लिए स्टील सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण और परिवहन के लिए

ख) पी4(वाई)-17 पुलों के लिए स्टील सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण और परिवहन के लिए

II) ई1 अनुबंध पैकेज-निम्नलिखित 11 उप-पैकेजों में विभाजित, 31 मार्च 2024 तक इन उप-पैकेजों की स्थिति नीचे दी गई है:

|      |                                                                                                                                    |   |                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| क)   | एक उप-पैकेज अर्थात् पीएस-ईडब्ल्यू 1 (ईडब्ल्यू1 बोली प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक सेवाएं)                                             | — | पूरा हुआ              |
| ख)   | दो उप-पैकेज:                                                                                                                       | — | टेंडर अवार्ड किया गया |
| i)   | जेई ओसीसी डिजाइन अनुबंध, उत्पादन और निर्माण अनुबंध और एमएचएसआर परियोजना के लिए पीएमसी अनुबंध के लिए जेई द्वारा प्रदान की गई सेवाएं |   |                       |
| ii)  | ईडब्ल्यू 1 संपूर्ण एमएचएसआर मार्ग की ओएचई, ट्रेक्शन और नॉन-ट्रेक्शन विद्युत आपूर्ति                                                |   |                       |
| ग)   | एक उप-पैकेज अर्थात् ईडी 1 (ओसीसी और एससीएडीए के लिए डिजाइन)                                                                        | — | एनआईटी जारी           |
| घ)   | सात उप-पैकेज:                                                                                                                      | — | एनआईटी जारी की जाएगी  |
| i)   | ईडब्ल्यू 2 एस एंड टी सिस्टम, ओसीसी, और पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) की आंशिक आपूर्ति और निर्माण                 |   |                       |
| ii)  | ईई 1 सिग्नलिंग प्रणाली का निर्माण और आपूर्ति                                                                                       |   |                       |
| iii) | ईई 2 वायर्ड दूरसंचार प्रणाली का निर्माण और आपूर्ति                                                                                 |   |                       |

|      |      |                                                                            |  |  |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| iv)  | ईई 3 | वायरलेस दूरसंचार प्रणाली का निर्माण और आपूर्ति                             |  |  |
| v)   | ईई 4 | ओसीसी और एससीएडीए के लिए उपकरणों का निर्माण                                |  |  |
| vi)  | ईई 5 | सिग्नलिंग प्रणाली का निर्माण और आपूर्ति                                    |  |  |
| vii) | ईई 6 | सिग्नलिंग सिस्टम और निर्बाध विद्युत आपूर्ति (यूपीएस) का निर्माण और आपूर्ति |  |  |

उपर्युक्त जेआईसीए अनुबंध पैकेजों के अतिरिक्त:

- रखरखाव केंद्र के लिए निविदा तैयार की जा रही है, तथा मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन प्लान (एमएमआईपी) के लिए निविदाएं बाद में तैयार की जाएंगी।
- मुख्य स्वचालित किराया संग्रह (एएफसी) और टिकटिंग प्रणाली के लिए परामर्श अनुबंध वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद जून 2024 में आवंटित किया गया है।

### III. एमएचएसआर परियोजना—निर्माण गतिविधियाँ

#### क. निर्माण गतिविधियों की स्थिति/प्रगति

31 मार्च 2024 तक, एमएचएसआर परियोजना ने 41.72% की समग्र भौतिक प्रगति और 48.80% की वित्तीय प्रगति हासिल की है। वर्ष 2023-24 के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में निर्माण गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है:



गुजरात में एचएसआर स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर

- गुजरात राज्य तथा संघशासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव (डीएनएच एवं डीडी) में (क्षेत्रफल 352 किमी)

#### क) सिविल कार्य:

31 मार्च 2024 तक, वायडवट के निर्माण के लिए संचयी लंबाई जिसमें नींव (लगभग 315.76 किमी) शामिल है: और अधिरचना कार्य जैसे पियर्स (296.68 किमी) गर्डर कास्टिंग (189.97 किमी); और गर्डर लॉन्चिंग (154.80 किमी) का काम पूरा हो चुका है।

एमएचएसआर संरेखण के साथ स्थापित कई अत्याधुनिक कास्टिंग यार्ड में फुल स्पैन गर्डर्स और सेगमेंटल बॉक्स गर्डर्स की ढलाई की जा रही है। इसके अलावा, 346 किलोमीटर की कुल लंबाई में वायडक्ट निर्माण का काम अत्याधुनिक फुल स्पैन लॉन्चिंग विधि (एफएसएलएम) के साथ योजनाबद्ध किया गया है, और जहां विशेष संरचनाओं के कारण एफएसएलएम का उपयोग नहीं किया जा सकता है, वहां स्पैन-बाय-स्पैन (एसबीएस) विधि अपनाई जाएगी।

ख) एचएसआर स्टेशन:

गुजरात में सभी आठ एचएसआर स्टेशनों के लिए नींव का काम पूरा हो चुका है; और सुपरस्ट्रक्चर का निर्माण विभिन्न चरणों में है:

- 1) भरुच और वापी स्टेशनों पर रेल लेवल स्लैब का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- 2) अहमदाबाद, आणंद/नडियाद, सूरत और बिलिमोरा स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म स्लैब का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- 3) साबरमती और वडोदरा स्टेशनों पर स्टेशन भवन के लिए कॉलम का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ग) सुरंगें:

गुजरात के वलसाड जिले में एकमात्र सुरंग (लगभग 320 मीटर) (सी4 पैकेज का हिस्सा) पर काम 2023-24 के दौरान पूरा हो गया है।



गुजरात के वलसाड जिले में सुरंग निर्माण में सफलता प्राप्त हुई

घ) विशेष पुल:

राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर क्रॉसिंग; सिंचाई नहरें; और रेलवे को गुजरात में 17 स्टील ट्रस पुलों और 5 लॉन्ग स्पैन पीएससी पुलों (बैलेंस कैंटिलीवर विधि के साथ) द्वारा जोड़ा जाना है:

1) स्टील ट्रस पुल:

7 स्टील ट्रस पुलों (उपर्युक्त 17 में से) का निर्माण कार्य अत्याधुनिक कार्यशालाओं में पूरा हो चुका है, तथा शेष 10 पुलों पर कार्य प्रगति पर है।

दो स्टील ट्रस पुल (उपर्युक्त 7 में से) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, एक वर्ष के दौरान तथा एक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद। शेष पांच पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

2) प्री-स्ट्रेसड कंक्रीट (पीएससी) पुल (बैलेंस कैंटिलीवर विधि के साथ):

वर्ष के दौरान तीन पीएससी पुलों की नींव और उप-संरचना कार्यों के पूरा होने के साथ, सभी 5 पीएससी पुलों पीएससी खंडों की ढलाई के साथ काम पूरा हो गया है। 31 मार्च 2024 तक उक्त सभी 5 पीएससी पुलों पर लॉन्चिंग/सुपरस्ट्रक्चर का काम प्रगति पर है।

#### ड) नदी के पुल:

गुजरात राज्य में सभी 21 नदियों (प्रत्येक नदी पर एक पुल सहित) पर पुलों का निर्माण कार्य जारी है।

31 मार्च 2024 तक, सात (7) नदी के पुलों (उपर्युक्त 21 में से) का निर्माण किया जा चुका है, अर्थात् 2023-24 के दौरान छह पुल (पूर्णा नदी, मिंडोला नदी, अंबिका नदी, औरंगा नदी, वेंगानिया नदी और मोहर नदी पर) और 2022-23 के दौरान एक पुल (पार नदी पर)।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, दो और पुल (धाधर नदी और कोलक नदी पर) भी क्रमशः जून 2024 और जुलाई 2024 में पूरे हो गए हैं।

तीन नदियों के कुओं की नींव पर निर्माण कार्य भी प्रगति पर है [अर्थात् नर्मदा नदी का पुल (सभी 22 कुओं की नींव), माही नदी का पुल (सभी 12 कुओं की नींव), ताप्ती नदी का पुल (13 में से 11 कुओं की नींव)], और साबरमती नदी के पुल पर पाइलिंग का काम।



गुजरात के नवसारी जिले में लॉन्चिंग पूरी हुई

#### च) ट्रैक:

गुजरात में पूरे 352 किलोमीटर सेक्शन यानी टी2 और टी3 पैकेज पर ट्रैक का काम शुरू हो चुका है। 2023-24 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा किए जाने वाले प्रमुख ट्रैक कार्य इस प्रकार हैं:

- 1) ट्रैक निर्माण बेस (टीसीबी) की स्थापना शुरू में चार स्थानों पर की जा रही है, यानी प्रत्येक ट्रैक पैकेज में दो स्थान अर्थात् बिलिमोरा और सूरत खंड (टी2 पैकेज); तथा वडोदरा और आनंद खंड (टी3 पैकेज)। कुल 14 ऐसे टीसीबी की योजना बनाई गई है, यानी टी2 पैकेज में 8 और टी3 पैकेज में 6।
- 2) दोनों पैकेजों में ट्रैक निर्माण मशीनरी के तीन सेट (अर्थात् टी3 पैकेज में 2 सेट और टी2 पैकेज में 1 सेट) खरीदे गए हैं।

3) गुजरात में किम (प्रतिदिन 120 स्लैब बनाने की क्षमता) और आनंद (प्रतिदिन 60 स्लैब बनाने की क्षमता) में दो ट्रैक स्लैब निर्माण कारखाने (टीएसएमएफ) स्थापित किए गए हैं। ये टीएसएमएफ पूरी तरह से चालू हो चुके हैं और 2023-24 के दौरान इन टीएसएमएफ में कुल 6045 स्लैब बनाए गए हैं।

4) रेल की खरीद:

- टी2 पैकेज: जापान से 15,000 मीट्रिक टन जेआईएस रेल (अर्थात 125 ट्रैक किमी रेल) खरीदी गई है।
- टी3 पैकेज: जापान से 20,000 मीट्रिक टन जेआईएस रेल (यानी 166.5 ट्रैक किमी रेल) खरीदी गई है।



गुजरात नवसारी में ट्रैक कार्य प्रगति पर

5) वायडक्ट का हस्तांतरण; 31 मार्च 2024 तक क्रमशः 22.19 किमी और 4.08 किमी वायडक्ट टी2 और टी3 पैकेज के ठेकेदारों को आवंटित कर दिए गए हैं।

6) आर.सी. ट्रैक बेड: 3.04 किमी. (टी2) और 1.98 किमी. (टी3) के लिए आर.सी. ट्रैक बेड (अप और डाउन दोनों लाइन) की ढलाई पूरी हो गई है।

7) उप-साइट कार्यालयों का निर्माण:

- सूरत में (वर्ष के दौरान) और बिलिमोरा में (वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, मई 2024 में) (टी2 पैकेज) पूरा किया गया।
- वडोदरा, आणंद और साबरमती में कार्य पूरा हो चुका है, इनमें से दो उप-साइट कार्यालय अर्थात वडोदरा और साबरमती चालू हो चुके हैं (टी3 पैकेज)।

8) सूरत में ट्रैक प्रशिक्षण सुविधा का निर्माण पूरा हो चुका है। उक्त सुविधा से ट्रैक ठेकेदार के कामगारों को प्रशिक्षण मिलेगा।

छ) एचएसआर डिपो:

1) सूरत डिपो (सी4 पैकेज का हिस्सा) में सुपर स्ट्रक्चर का काम 2023-24 के दौरान पूरा हो चुका है। ब्लॉकवर्क, प्लास्टर, रूफ शीटिंग, ग्रेड स्लैब, व्हील लेथ के लिए फाउंडेशन, ट्रैक फॉर्मेशन लेवल और रोडबेड, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, लेवल क्रॉसिंग, डिपो एप्रोच लाइन आदि का काम प्रगति पर है।



सड़क कार्य एवं प्रीकास्ट रिटेंनिंग वॉल निर्माण कार्य, साबरमती डिपो, गुजरात

2) साबरमती डिपो (डी2 पैकेज) का डिजाइन 84 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है, और यह जापान के सेंदाई और कानाजावा शिकानसेन डिपो पर आधारित है। यह डिपो 10 स्टेबलिंग लाइनों के साथ परियोजना का सबसे बड़ा डिपो होगा, जिसे आगे बढ़ाकर 29 लाइनों तक किया जाएगा।

वर्ष 2023-24 के दौरान खुदाई और मिट्टी भरने का काम पूरा हो चुका है। प्रशासनिक भवन के लिए स्लैब का काम, ट्रेन निरीक्षण शेड की तकनीकी डिजाइन, खुदाई का काम, नींव का काम आदि कार्य प्रगति पर हैं।



शेड खुदाई और पाइल फाउंडेशन का कार्य प्रगति पर, साबरमती डिपो, गुजरात

प्रशासनिक भवन के लिए 5057 वर्ग मीटर क्षेत्र में से 4331 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्विच स्लैब के साथ फुटिंग कंक्रीट का काम पूरा हो चुका है। ट्रेन निरीक्षण शेड में खुदाई शुरू हो चुकी है और 247 में से 204 फुटिंग का काम पूरा हो चुका है।

ii) **महाराष्ट्र राज्य में (156 किमी का दायरा):**

क) **सिविल कार्य:**

2023-24 के दौरान 156 किलोमीटर के पूरे खंड में सिविल कार्य शुरू हो चुका है। पैकेजवार स्थिति नीचे दी गई है:

- 1) सी1 पैकेज: पहली परत के लिए 100% सीकेंट पाइल्स और शाफ्ट-1 खुदाई पूरी हो चुकी है। शाफ्ट खुदाई और कट और कवर सेक्शन के लिए एंकर/वाला की स्थापना प्रगति पर है।
- 2) सी2 पैकेज: मुख्य सुरंग के लिए शाफ्ट उत्खनन (शाफ्ट-2 और शाफ्ट-3) और एडीआईटी (एनएटीएम) उत्खनन का कार्य प्रगति पर है।
- 3) सी3 पैकेज: वायडक्ट के निर्माण के लिए, 994 बोरहोल (1487 में से) के लिए भू-तकनीकी जांच (जीटीआई), नींव (लगभग 45 संख्या) और सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।



महाराष्ट्र के पालघर जिले में नींव और पियर का कार्य प्रगति पर है

ख) **एचएसआर स्टेशन:**

2023-24 के दौरान सभी चार एचएसआर स्टेशनों (अर्थात बीकेसी, ठाणे, विरार और बोईसर) पर काम शुरू हो गया है:

- 1) बीकेसी भूमिगत एचएसआर स्टेशन (सी 1)—सर्वेक्षण, जीटीआई, सेकेंट पाइलिंग का कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन भवन के लिए दूसरे स्तर की खुदाई और एंकर/वाला की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
- 2) शेष तीन एचएसआर स्टेशन—विरार और बोईसर एचएसआर स्टेशनों के लिए जीटीआई का कार्य पूरा हो चुका है, तथा ठाणे एचएसआर स्टेशन के लिए प्रगति पर है।

ग) **सुरंग:**

- 1) टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) और न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (एनएटीएम) विधि के माध्यम से 20.37 किमी लंबी समुद्र के नीचे सुरंग (सी2 पैकेज) के निर्माण की गतिविधियां प्रगति पर हैं। यह सुरंग बीकेसी स्टेशन से शिलफाटा तक दोनों (अप और डाउन) ट्रेनों के लिए जुड़वां ट्रैक को समायोजित करने के लिए एक एकल ट्यूब सुरंग होगी।

तीन शाफ्ट, बीकेसी (सी1 पैकेज के तहत), विखरोली और सावली में एक-एक, चरणों में टीबीएम सुरंग निर्माण की सुविधा प्रदान करेंगे, और घनसोली में एक एडीआईटी सुरंग और शिलफाटा में सुरंग पोर्टल, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग विधि (एनएटीएम) द्वारा सुरंग निर्माण की सुविधा प्रदान करेंगे।

2023-24 के दौरान, सभी तीन शाफ्ट स्थानों और शिलफाटा में एनएटीएम सुरंग पोर्टल पर निर्माण शुरू हो गया है। एडीआईटी सुरंग की लम्बाई का लगभग 50% कार्य पूरा हो चुका है।

- 2) सी3 पैकेज—वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद पालघर और ठाणे जिलों में पर्वतीय सुरंगों (लगभग 6 किमी) के निर्माण के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया है। उक्त सुरंगों का निर्माण एनएटीएम पद्धति से किया जा रहा है।



ठाणे जिला, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में एडीआईट सुरंग

#### घ) पुल:

राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों और एक्सप्रेसवे; नदियों; और रेलवे के ऊपर स्थित क्रॉसिंगों को 11 स्टील ट्रस पुलों और एक लंबे स्पैन के पीएससी पुल (बैलेंस कैंटिलीवर विधि के साथ) द्वारा जोड़ा जाना है।

2023-24 के दौरान, चार स्टील ट्रस पुलों का निर्माण शुरू हो चुका है और 5700 मीट्रिक टन का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य में सभी 11 स्टील पुलों के लिए पूर्व-निर्माण गतिविधियाँ भी शुरू हो चुकी हैं।

महाराष्ट्र राज्य में पुल बनाए जाने वाली सभी 11 नदियों (प्रत्येक नदी पर एक पुल) पर भी निर्माण कार्य जारी है।



महाराष्ट्र के पालघर जिले (वैतरणा नदी) में उल्हास की सहायक नदी पर जीटीआई बोरींग चल रही है।

ड) ठाणे डिपो (डी1 पैकेज):

फरवरी 2024 में ठाणे डिपो के डिजाइन और निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के परिणामस्वरूप, 65% भूमि ठेकेदार को सौंप दी गई है। जीटीआई और सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

iii) पैसेंजर टर्मिनल हब बिल्डिंग:

31 मार्च 2024 तक, साबरमती में पैसेंजर टर्मिनल हब बिल्डिंग के निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति 98% है, जिसमें आर्किटेक्चरल फिनिशिंग; मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग (एमईपी), और सिविल कार्य प्रगति पर हैं।

पूरा होने पर, साबरमती में पैसेंजर टर्मिनल हब बिल्डिंग एचएसआर स्टेशन, पश्चिमी रेलवे साबरमती स्टेशन, गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के आईसी स्टेशन और अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) बस स्टॉप को जोड़ेगी।

2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी को विभिन्न अनुमोदन/अनुमति प्राप्त हुई है जैसे कि अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र, लिफ्ट लाइसेंस, विद्युत कनेक्शन, आदि; हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएस) प्रणाली की कमीशनिंग; उक्त हब बिल्डिंग में एफओबी-1 और 5 का शुभारंभ।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, रियायत समझौते (जो पहला राजस्व पैदा करने वाला कार्य होगा) के लिए बोली दस्तावेज मई 2024 में जारी किया गया है। उक्त बोली दस्तावेज लेनदेन सलाहकारों द्वारा तैयार किया गया है, जिन्हें हब के परिचालन तंत्र/वाणिज्यिक उपयोग पर सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया है।



वास्तविक साइट फोटोग्राफ—साबरमती हब, गुजरात

ख. सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली

आपकी कंपनी ने एक मजबूत सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है जिसका पालन उसके सभी ठेकेदार, परामर्शदाता और स्वयं एनएचएसआरसीएल द्वारा भी किया जाता है।

आपकी कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान इस संबंध में निम्नलिखित पहल की हैं:

- सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना (एसएचई योजना) और निर्माण पर्यावरण प्रबंधन योजना (सीईएमपी) को ठेकेदारों द्वारा सिविल, ट्रैक और डिपो पैकेजों के लिए तैयार किया गया है और एनएचएसआरसीएल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

2023-24 के दौरान, इन योजनाओं को 8 पैकेजों (यानी सी4, सी6, पी1बी, पी1सी, पी4, टी2, टी3, और डी2) के लिए मंजूरी दे दी गई है, यह योजनाएं 3 पैकेजों (यानी सी5, सी7, और सी8) के लिए 2022-23 में पहले से ही अनुमोदित है। इसके साथ, 31 मार्च 2024 तक 11 पैकेजों के लिए एसएचई योजना और सीईएमपी को मंजूरी दे दी गई थी। इन योजनाओं को दिन-प्रतिदिन की निर्माण गतिविधियों के अनुरूप लागू किया जा रहा है।

इसके अलावा, सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी), अस्थायी यातायात नियंत्रण योजना, तथा एचआईवी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए व्यापक कार्य योजना, जो एसएचई प्रबंधन योजना का हिस्सा हैं, को भी तैयार, अनुमोदित किया गया है, तथा पहले से अनुमोदित 3 पैकेजों के साथ-साथ उपरोक्त अनुमोदित 8 पैकेजों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

हालाँकि, शेष छह पैकेजों (अर्थात् सी1, सी2, सी3, डी1, टीआई-1 और टीआई-4) के लिए ये योजनाएं समीक्षा और अनुमोदन के अधीन हैं।

- ii) नए पैकेजों पर काम शुरू होने पर एसएचई मैनुअल को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। विभिन्न सुरक्षा आवश्यकताओं की प्रभावशीलता और वास्तविक भौतिक स्थितियों पर इसके कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की गई है, और तदनुसार, एसएचई मैनुअल को 2023-24 के दौरान संशोधित किया गया है, जिसमें मैनुअल को व्यापक और सख्त बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रथाओं के साथ शर्तों को शामिल और ठीक किया गया है।

सभी आवंटित किए गए और नए पैकेजों के लिए अतिरिक्त सुधार शर्तों को शामिल करके एसएचई मैनुअल के संशोधन और अद्यतन का कार्य मार्च 2024 में शुरू किया गया है। संशोधन से साइट पर एसएचई प्रबंधन प्रणाली का बेहतर कार्यान्वयन संभव हो सकेगा।

- iii) सभी कार्य स्थलों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन नियमित निरीक्षण, लेखा परीक्षा (आंतरिक/बाह्य), प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल, जांच और सभी आवंटित कार्य पैकेज स्थलों पर आवधिक निगरानी के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है।



संचालन में पूर्ण अवधि लॉन्चिंग गैन्ट्री, अहमदाबाद जिला, गुजरात

- iv) प्रत्येक अनुबंध पैकेज के लिए प्रोजेक्ट एसएचई समितियां गठित की जाती हैं, जिनकी बैठक हर महीने में एक बार होती है। समिति बैठक से पहले कार्यकारी वॉक-डाउन में भाग लेती है और संबंधित अनुबंध पैकेजों की एसएचई योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है।
- v) एक प्रभावी निगरानी प्रणाली और घटनाओं की रोकथाम के लिए इंजीनियर का पर्यवेक्षण विभिन्न साइट निरीक्षणों, ऑडिट, जागरूकता प्रशिक्षण और संचार आदि के माध्यम से विस्तारित होता है। इंजीनियर सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन के संबंध में

कानूनी और संविदात्मक अनुपालन सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, ठेकेदार के एसएचई प्रबंधन के प्रदर्शन का प्रत्येक तिमाही के लिए बाहरी एजेंसी द्वारा ऑडिट किया जा रहा है, और इंजीनियर या सलाहकार द्वारा मासिक ऑडिट रेटिंग स्कोर (एमएआरएस) दिया जा रहा है।

#### ग. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

- i) **गुणवत्ता आश्वासन**—गुणवत्ता आश्वासन के प्रयोजन के लिए, नामित ठेकेदार द्वारा विभिन्न दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं (जैसे कार्य गुणवत्ता प्रबंधन योजना, साइट गुणवत्ता प्रबंधन योजना, डिजाइन गुणवत्ता प्रबंधन योजना, खरीद गुणवत्ता प्रबंधन योजना, विनिर्माण गुणवत्ता प्रबंधन योजना, प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन योजना, आदि), और संबंधित अनुबंध विनिर्देशों/एफआईडीआईसी शर्तों के नियमों और शर्तों के अनुसार प्रत्येक अनुबंध पैकेज के लिए कंपनी या इंजीनियर यानी टी-सीएपी [अर्थात टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, कंसल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप, आरवी एसोसिएट्स, और पैडेको (जापान)] द्वारा अलग से अनुमोदित किया जाता है।

2023-24 के दौरान, चार अनुबंध पैकेजों (अर्थात सी1, सी2, सी3 और सी6) के लिए गुणवत्ता प्रबंधन योजना, साइट गुणवत्ता प्रबंधन योजना, डिजाइन गुणवत्ता प्रबंधन योजना, खरीद गुणवत्ता योजना को अंतिम रूप दिया गया और अनुमोदित किया गया। ये 2022-23 के दौरान तीन अनुबंध पैकेजों (अर्थात सी5, सी7, और सी8) के लिए अनुमोदित योजनाओं के अतिरिक्त हैं।

- ii) **गुणवत्ता नियंत्रण**—साइट पर गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए:

- क) ठेकेदार ने साइट कार्यों, बैचिंग प्लांट (कंक्रीट उत्पादन इकाइयां), प्री-कास्टिंग यार्ड और ऑन-साइट (फील्ड) प्रयोगशालाओं की देखभाल के लिए गुणवत्ता इंजीनियरों को साइट पर नियुक्त किया है।
- ख) हर गतिविधि के लिए चेकलिस्ट साइट इंजीनियरों द्वारा भरी जाती है। बाद में इन चेकलिस्टों को गुणवत्ता इंजीनियरों द्वारा क्रॉस चेक किया जाता है और आरएफआई के साथ अपलोड किया जाता है।
- ग) इंजीनियर के प्रतिनिधियों की एक टीम साइट पर और फील्ड प्रयोगशालाओं में किए जा रहे सभी परीक्षणों की जाँच/निगरानी भी करती है। ऑफ-साइट प्रयोगशालाओं में होने वाले महत्वपूर्ण परीक्षणों को भी इंजीनियर के प्रतिनिधियों द्वारा देखा जाता है।
- घ) एनएचएसआरसीएल गुणवत्ता इंजीनियर निष्पादन और विभिन्न प्रयोगशाला परीक्षणों के दौरान साइट के कार्यों की भी जांच करते हैं।
- ङ) एनएचएसआरसीएल/मुख्यालय कार्यालय द्वारा ठेकेदार और टीसीएपी के गुणवत्ता और साइट इंजीनियरों के साथ साप्ताहिक गुणवत्ता नियंत्रण बैठकें आयोजित की जाती हैं।



फुल स्पैन कॉस्टिंग यार्ड, भरुच जिला, गुजरात

- iii) तीसरे पक्ष द्वारा आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट—पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार तिमाही आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट की व्यवस्था भी है। ऑडिट या तो ठेकेदार की कॉर्पोरेट टीम द्वारा या तीसरे पक्ष के ऑडिटर की मदद से किए जाते हैं। ऑडिट के दौरान, ठेकेदार की गुणवत्ता टीम भी ऑडिटर के साथ होती है। ऑडिट के निष्कर्षों को इंजीनियर और एनएचएसआरसीएल के साथ साझा किया जाता है, और ठेकेदार की प्रबंधन टीम की तिमाही बैठकों में इस पर चर्चा की जाती है।

#### IV. एमएचएसआर परियोजना—परिचालन एवं रखरखाव की योजना

##### क) परिचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम)

एमएचएसआर के परिचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) का निर्माण कार्य और सुदृढीकरण निरंतर आधार पर किया जा रहा है। रखरखाव संबंधी बुनियादी ढांचे की स्थापना, रखरखाव वाहनों और मशीनों की खरीद, हाई स्पीड रेल प्रशिक्षण संस्थान और अन्य सुविधाओं की स्थापना सहित ओएंडएम प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत योजना विकसित की गई है।

परिचालन एवं रख-रखाव के लिए आवश्यक विभिन्न नियमों और मैनुअलों के प्रारूप तैयार कर लिए गए हैं तथा जापानी विशेषज्ञों से प्राप्त इनपुट और जापान से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर उनमें और सुधार किया जा रहा है।

जापानी एचएसआर प्रणाली की महत्वपूर्ण संचालन एवं प्रबंधन प्रथाओं को समझने के लिए, प्रमुख संचालन एवं प्रबंधन नेताओं को 2023–24 के दौरान 9 महीने के व्यापक ऑन-द-जॉब-ट्रेनिंग (ओजेटी) के लिए जापान भेजा गया, जिसका उद्देश्य जापानी शिकानसेन में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम संचालन एवं प्रबंधन प्रथाओं को देखना और समझना था। ओजेटी से प्राप्त ज्ञान से भारत में स्थानीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कार्यान्वयन, दस्तावेजों की तैयारी और समग्र रूप से संचालन एवं प्रबंधन संगठन के निर्माण में मदद मिलेगी।

जापान में कोर स्टाफ प्रशिक्षण के अगले बैच पर जापानी समकक्षों के साथ चर्चा की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया में कर्मचारियों के उच्चतम जापानी मानकों को बनाए रखने के लिए, भारतीय परीक्षकों के एक बैच और मेडिकल डॉक्टरों के एक दल को क्रमशः जापानी एटीट्यूड टेस्ट प्रैक्टिस और मेडिकल परीक्षा प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जापान भेजा गया था। तदनुसार, भारत में जापानी मानकों के अनुसार अभिरुचि परीक्षा आयोजित करने के लिए जापान से विशेषीकृत उपस्कर और जांच सामग्री प्राप्त की गई है।

रखरखाव केंद्रों के बुनियादी ढांचे के लिए डिजाइन का काम भी शुरू कर दिया गया है, जो परिचालन एवं रखरखाव के लिए प्रमुख केंद्र होंगे।



गुजरात के वलसाड जिले में अधिरचना कार्य प्रगति पर है

## ख) एचएसआर प्रशिक्षण संस्थान

वडोदरा में एक समर्पित हाई स्पीड रेल प्रशिक्षण संस्थान (एचएसआर टीआई) की स्थापना की जा रही है। इस संस्थान में वे सभी सुविधाएं होंगी जो जापान के शिन शिराकावा में ईस्ट जापान रेलवे कंपनी (जेआर ईस्ट) के हाई स्पीड प्रशिक्षण संस्थान में उपलब्ध हैं, जैसे ड्राइवर सिम्युलेटर, ट्रैक सर्किट, बिजली आपूर्ति सहित ओएचई, सैंपल ट्रैक आदि। उक्त एचएसआरटीआई एचएसआर के ज्ञान का भंडार की ओर अग्रसर है और यह भारत में अन्य हाई स्पीड कॉरिडोर के भविष्यगत विकास के लिए आधार के रूप में काम करेगा।

एचएसआर टीआई के छात्रावास भवन का एक हिस्सा गति शक्ति विश्वविद्यालय [पूर्व में राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान (एनआरटीआई) के नाम से जाना जाता था] द्वारा पट्टे के आधार पर उपयोग किया जा रहा है; तथा दूसरे भाग का उपयोग एनएचएसआरसीएल द्वारा आंतरिक प्रशिक्षण के लिए किए जाने की योजना बनाई जा रही है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, एचएसआर टीआई में कुल मिलाकर 560 श्रमदिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

2023–24 के दौरान प्रशिक्षण संस्थान (टीआई1 पैकेज) के निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति 7.4% है:

क) मुख्य भवन के लिए—प्लिंथ बीम तक उप-संरचना स्तर पर नींव का कार्य पूरा हो चुका है, तथा प्रथम तल स्तर के लिए स्लैब का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ख) प्रशिक्षण ट्रैक के लिए—टीआई 1 पैकेज के तहत सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं और टी2 और इडब्ल्यू 1 के ठेकेदारों को सौंप दिए गए हैं।

31 मार्च 2024 तक टीआई 4 पैकेज (प्रशिक्षण संस्थान के लिए सिम्युलेटर) की भौतिक प्रगति 79% है।

## ग) पावर सोर्सिंग गतिविधियां

आपकी कंपनी को, एक “मानित लाइसेंसधारी” के रूप में, गुजरात और महाराष्ट्र में विद्युत आपूर्ति कंपनियों द्वारा एमएचएसआर के मार्ग में विभिन्न सबस्टेशनों [ट्रैक्शन सब-स्टेशन (टीएसएस): 14 और डिस्ट्रीब्यूशन सब-स्टेशन (डीएसएस): 15] के लिए कनेक्टिविटी/कनेक्शन प्रदान किया गया है।

वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र में एक ट्रांसमिशन लाइन अर्थात बोईसर टीएसएस (लगभग 15 किमी) का प्रमुख कार्य, संबंधित राज्य विद्युत उपयोगिता कंपनियों द्वारा बे ऑगमेंटेशन कार्य [अर्थात गुजरात में 1 टीएसएस] के साथ जारी रहा।

31 मार्च 2024 तक, तीन टीएसएस ट्रांसमिशन लाइनें [अर्थात महेमदाबाद, वडोदरा और साबरमती (केबल कार्य को छोड़कर)] और पांच बे ऑगमेंटेशन कार्य (अर्थात गुजरात में 3 टीएसएस और महाराष्ट्र में 2 डीएसएस) पूरे हो चुके हैं।

## V. अन्य हाई स्पीड रेल (एचएसआर) कॉरिडोर परियोजनाएं

आपकी कंपनी रेलवे बोर्ड द्वारा सौंपे गए निम्नलिखित सात एचएसआर कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य जारी रखे हुए है:

- i) दिल्ली—वाराणसी एचएसआर (942 किमी) (लखनऊ से अयोध्या तक 124 किमी का स्पर सहित);
- ii) मुंबई—नागपुर एचएसआर (765 किमी);
- iii) दिल्ली—अहमदाबाद एचएसआर (878 किमी);
- iv) मुंबई—हैदराबाद एचएसआर (671 किमी);
- v) दिल्ली—अमृतसर एचएसआर (475 किमी);
- vi) चेन्नई—मैसूर एचएसआर (464 किमी\*); तथा
- vii) वाराणसी—हावड़ा एचएसआर (752 किमी\*)

\*कॉरिडोरों की अनुमानित लंबाई, क्योंकि मार्ग का डिजाइन अभी प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्त कॉरिडोरों के संबंध में डीपीआर कार्य के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं।

**क. दिल्ली—वाराणसी एचएसआर (डीवीएचएसआर), मुंबई—नागपुर एचएसआर (एमएनएचएसआर), और दिल्ली—अहमदाबाद एचएसआर (डीएचएसआर) कॉरिडोर**

डीवीएचएसआर और एमएनएचएसआर (2021–22 में) और डीएचएसआर (2022–23 में) के लिए अंतिम डीपीआर रेल मंत्रालय (एमओआर) को सौंप दी गई है, जिसमें 300 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के लिए संरेखण डिजाइन को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड से प्राप्त इनपुट और फीडबैक को शामिल किया गया है।

उपर्युक्त तीनों डीपीआर आंतरिक रूप से तैयार किए गए थे, जिनमें सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए) और पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ईआईए) के साथ-साथ LiDAR डेटा पर आधारित अंतिम संरेखण विवरण शामिल थे।

**ख. मुंबई—हैदराबाद एचएसआर कॉरिडोर**

मई 2023 में प्रारंभिक मार्ग विकास, जीएडी, यातायात सर्वेक्षण, संचालन योजना और स्टेशन योजना आदि के लिए डेस्कटॉप अध्ययन कार्य के बाद अंतिम संरेखण डिजाइन के पूरा होने के परिणामस्वरूप, अगस्त 2023 में अंतिम डीपीआर रेल मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है, जिसमें 300 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के लिए मार्ग डिजाइन तैयार गया है।

**ग. शेष तीन एचएसआर कॉरिडोर**

2023–24 के दौरान, शेष तीन एचएसआर कॉरिडोरों के लिए डीपीआर कार्य तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं:

**i) दिल्ली—अमृतसर एचएसआर कॉरिडोर:**

प्रारंभिक मार्ग तैयार करने के लिए डेस्कटॉप अध्ययन कार्य पूरा होने के बाद, संरेखण डिजाइन, ईआईए, एसआईए, यातायात सर्वेक्षण आदि को अंतिम रूप दिया जाएगा। डीपीआर कार्य उन्नत चरण में हैं और रिपोर्ट 2024–25 में प्रस्तुत करने की योजना है।

**ii) चेन्नई—मैसूर एचएसआर:**

क) हितधारक चर्चा; अन्य गतिविधियाँ (अर्थात ईआईए रिपोर्ट, आदि) पूरी हो चुकी हैं और मई 2023 में संरेखण को अंतिम रूप दिया गया है।

ख) मई 2023 में संरेखण को अंतिम रूप देने के लिए हितधारकों की चर्चा पूरी होने के बाद LiDAR सर्वेक्षण और संरेखण डिजाइन और शेष गतिविधियाँ फिर से शुरू हुईं।

ग) डीपीआर कार्य पूरा होने के उन्नत चरण में हैं और रिपोर्ट 2024–25 के दौरान प्रस्तुत करने की योजना है।

**iii) वाराणसी—हावड़ा एचएसआर:**

क) डेस्कटॉप अध्ययन कार्य का समापन और आगे प्रारंभिक मार्ग का विकास करना।

ख) विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा के बाद संरेखण और एचएसआर स्टेशन स्थानों को अंतिम रूप दिया गया।

ग) जून 2023 में LiDAR सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, संरेखण डिजाइन और ईआईए/एसआईए/यातायात आदि जैसी विभिन्न क्षेत्रीय गतिविधियाँ प्रगति पर हैं।

घ) डीपीआर कार्य प्रगति पर है और रिपोर्ट 2024–25 के दौरान प्रस्तुत करने की योजना है।

## VI. कंपनी का वित्तीय प्रोफाइल

**क. वित्तीय सारांश या निष्पादन की मुख्य विशेषताएं**

आपकी कंपनी ने अभी तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है। वर्ष के दौरान, अन्य एचएसआर परियोजनाओं की डीपीआर के लिए परामर्श शुल्क के रूप में रु. 127.65 करोड़ की परिचालन आय और रु. 127.22 करोड़ की ब्याज से आय हुई है। इसके अलावा, 31 मार्च 2024 तक, पूंजीगत कार्य-प्रगति-की राशि रु. 41,933.93 करोड़ है।

## वित्तीय निष्पादन संकेतक:

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण                        | 2023-24   | 2022-23*  |
|---------|------------------------------|-----------|-----------|
| 1.      | परिचालन आय                   | 127.65    | शून्य     |
| 2.      | अन्य आय                      | 129.92    | 85.88     |
| 3.      | कर से पहले लाभ               | 108.95    | 56.62     |
| 4.      | कर के बाद लाभ                | 80.15     | 44.89     |
| 5.      | निवल संपत्ति                 | 15,319.09 | 14,739.93 |
| 6.      | प्रतिधारित आय में स्थानांतरण | 79.15     | 43.35     |

\*आईसीएआई की ईएसी राय के आधार पर 2023-24 के वित्तीय विवरण के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़ों में किए गए परिवर्तनों के कारण पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत/समायोजित किया गया है।

### ख. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

आपकी कंपनी ने 2023-24 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की है, और वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय रु. 3,367.28 करोड़ था।

### ग. शेयर पूंजी की संरचना

आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 20,000 करोड़ रुपये है, जिसमें भारत सरकार (जीओआई), गुजरात सरकार (जीओजी) और महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) द्वारा क्रमशः 50:25:25 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी का योगदान दिया जाएगा। यह कंपनी डीएमआरसी की तर्ज पर एक संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी है। कंपनी, ऐसे इक्विटी योगदान की प्राप्ति के तुरंत बाद आयोजित होने वाली बोर्ड बैठक में उनके बजटीय आवंटन के अनुसार तीनों मौजूदा शेयरधारकों को अलग-अलग हिस्सों में उनके द्वारा वितरित इक्विटी योगदान की राशि के अनुसार इक्विटी शेयर आवंटित करती है।

31 मार्च 2024 तक, आपकी कंपनी की चुकता शेयर पूंजी रु. 15,006 करोड़ थी, जो रेल मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालय, के माध्यम से भारत सरकार (अर्थात रु. 10,000 करोड़-भारत के राष्ट्रपति और उनके बारह नामित व्यक्तियों के नाम पर), जीओजी (अर्थात रु. 5,000 करोड़-गुजरात के राज्यपाल के नाम पर) और जीओएम (अर्थात रु. 6 करोड़-महाराष्ट्र के राज्यपाल के नाम पर) के द्वारा योगदान किया गया था।

वर्ष के दौरान आवंटित शेयरों और प्रतिशत परिवर्तन के साथ-साथ अन्य इक्विटी, ईएपी और रेल मंत्रालय से अग्रिमों का विवरण 2023-24 के वित्तीय विवरणों के तहत नोट संख्या 11 से 13 के अंतर्गत दिया गया है।



सूरत में



वडोदरा में

गुजरात में ध्वनि अवरोधक स्थापना कार्य प्रगति पर

## VII. अनुपालन

### क. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत

#### i) जमा

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया।

#### ii) अंतर-कॉर्पोरेट ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अनुसार कोई अंतर-कॉर्पोरेट ऋण (सुरक्षित या असुरक्षित) प्रदान नहीं किया है या कोई निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी नहीं दी है या कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

#### iii) संबंधित पक्ष लेन-देन का प्रकटीकरण

विस्तृत संबंधित पक्ष प्रकटीकरण 2023-24 के वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 32 के अंतर्गत दिए गए हैं।

#### iv) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने कोई क्रेडिट रेटिंग प्राप्त नहीं की है।

v) 2023-24 के लिए शेयरधारकों के लिए कोई लाभांश अनुशंसित नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी निर्माण चरण में है, और अभी तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

#### vi) समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

vii) आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं नहीं हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, और रिपोर्ट की तारीख के बीच घटित हुई हों।

viii) आपकी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है।

ix) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने विभेदक मतदान अधिकार, स्वेट इक्विटी शेयर और ईएसओपी के साथ कोई इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है।

#### x) सचिवीय मानक अनुपालन

आपकी कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन कर रही है।

#### xi) जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी नियमित आधार पर परियोजना के लिए जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, प्रबंधन और शमन के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है।

जहां तक परिसंपत्तियों और कुछ देयताओं से जुड़े जोखिमों का सवाल है, ऐसे जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन किया जाता है, तथा बीमा कंपनियों से उक्त परिसंपत्तियों के लिए पर्याप्त मूल्य का बीमा कवर प्राप्त करके उन्हें कम किया जाता है, इसके अलावा उक्त परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक समय पर और अनुशंसित शमन उपाय भी किए जाते हैं।

जहां तक वित्तीय जोखिमों का संबंध है, सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ-साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा समय-समय पर नियमित लेखा परीक्षा के अलावा आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की बाह्य फर्म को नियुक्त करके कंपनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक जांच एवं नियंत्रण उपाय अपनाए जाते हैं। आंतरिक नियंत्रणों और उपायों में सुधार के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखापरीक्षकों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई सिफारिशों को समय-समय पर कार्यान्वित किया जाता है।

xii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है, जो भविष्य में कंपनी की चालू स्थिति और परिचालन को प्रभावित करता हो।



साबरमती हब, गुजरात में सोलर मॉड्यूल प्लेट की स्थापना का कार्य पूरा हुआ

**xiii) ऊर्जा संरक्षण और हरित हाई स्पीड रेल**

हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने, ऊर्जा लागत बचाने और एचएसआर में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए आपकी कंपनी ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

क) तकनीकी विनिर्देश-2023-24 के दौरान, ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड (ईसीबीसी) के आधार पर, सिविल पैकेज (अर्थात् सी1, सी2 और सी3), डिपो पैकेज (अर्थात् डी1 और डी2) और इलेक्ट्रिकल पैकेज (अर्थात् ईडब्ल्यू-1) में भवन निर्माण कार्यों की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रणाली के तकनीकी विनिर्देशों में ऊर्जा संरक्षण को सक्षम करने वाले प्रावधान शामिल किए गए हैं। उक्त तकनीकी विनिर्देश पहले से ही अन्य सभी सिविल पैकेजों यानी सी4 से सी8 में शामिल किए जा चुके हैं।

ख) साबरमती पैसेंजर हब टर्मिनल बिल्डिंग-पैसेंजर हब बिल्डिंग की छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए, 2023-24 के दौरान रूफटॉप सौर पैनलों को चार्ज करने के लिए विद्युत निरीक्षक, भारत सरकार (ईआईजी) से मंजूरी प्राप्त हो गई है, और सबस्टेशन को सफलतापूर्वक चार्ज और चालू कर दिया गया है।

700 किलोवाट पावर (आरईएससीओ मॉडल) विकसित करने के लिए ओपीपीएल डीईएल एसपीवी प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय समझौते के अनुसार नेट मीटरिंग कार्य की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ग) तीन एचएसआर स्टेशनों अर्थात् सूरत, वडोदरा और साबरमती पर छत पर सौर पैनल लगाने का प्रावधान किया गया है।

घ) स्टेशनों, भवनों, डिपो और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए सभी विद्युत उपकरणों का चयन 2023-24 के दौरान ईसीबीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है।

**xiv) प्रौद्योगिकी अवशोषण और अनुसंधान एवं विकास**

आपकी कंपनी ने लागत प्रभावी समाधान खोजने और आत्मनिर्भर राष्ट्र की दिशा में योगदान करने के लिए भारतीय तकनीकी क्षमताओं का लाभ उठाकर हाई स्पीड रेल प्रौद्योगिकी के प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) करने के लिए एक ट्रस्ट, यानी हाई स्पीड रेलवे इनोवेशन सेंटर (एचएसआर आईसी) का गठन किया है।

इस दिशा में, एचएसआर आईसी ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है जिसमें भारत और विदेश के शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों जैसे आईआईटी, आरटीआरआई और टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। एचएसआर आईसी शिक्षाविदों के सहयोग से छह अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है। उक्त परियोजना में से प्रत्येक की प्रगति नीचे तालिकाबद्ध है:

| क्र.सं. | परियोजना                                                                                           | कार्यान्वयन संस्थान                                                        | प्रगति                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | एचएसआर और रेलवे अनुप्रयोगों के लिए रीइन्फोर्सड अर्थ (आरई) रिटेनिंग वॉल और आरई एब्यूटमेंट का डिजाइन | आईआईटी गांधीनगर                                                            | परियोजना का प्रथम चरण पूरा हो चुका है, तथा कार्यान्वयन संस्थान द्वारा आरटीआरआई, जापान का दौरा करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।                                                                                                                                                                                      |
| 2.      | विद्युत आपूर्ति के डिजाइन सत्यापन के लिए स्वदेशी सिमुलेशन मॉडल का विकास                            | क) आईआईटी रुड़की                                                           | परियोजना पूरी हो गई है। अंतिम रिपोर्ट एचएसआर आईसी को सौंप दी गई है, और परियोजना के परिणामों को समझौता ज्ञापन (एमओए) के अनुसार पुनः प्रस्तुत करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।<br>संयुक्त बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पर बाद में अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।                                           |
|         |                                                                                                    | ख) आईआईटी दिल्ली                                                           | प्रोटोटाइप एल्गोरिथम विकास, ग्राफिक यूजर इंटरफेस (जीयूआई) एकीकरण के अंतिम चरण में है।                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                    | ग) आईआईएससी बेंगलुरु एवं आईआईटी मुंबई द्वारा संयुक्त रूप से                | परियोजना का पहला चरण अगस्त 2023 में पूरा हो चुका है। प्रोटोटाइप एल्गोरिथम को यूरोपीय (ईएन) मानकों के अनुसार मान्य किया गया है। कार्यान्वयन संस्थान द्वारा 2023-24 के दौरान अंतिम रिपोर्ट और परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं। वर्तमान में आईआईएससी और आईआईटीबी द्वारा संयुक्त आईपीआर फाइलिंग पर काम किया जा रहा है।     |
| 3.      | ओएचई पेंटोग्राफ इंटरैक्शन के डिजाइन सत्यापन के लिए स्वदेशी सिमुलेशन मॉडल का विकास                  | क) आईआईटी मद्रास का उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (एएमटीडीसी)। | पैन्टोग्राफ, कैटेनरी और ट्रेन मूवमेंट के लिए प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, और इसे ईएन मानकों के अनुसार मान्य किया गया है।<br>विकसित सॉफ्टवेयर पर सिमुलेशन परीक्षण प्रगति पर हैं और परीक्षणों के आधार पर फीडबैक दिया जा रहा है।                                                                         |
|         |                                                                                                    | ख) आईआईटी दिल्ली                                                           | परियोजना जून 2024 में पूरी हुई। पेंटोग्राफ कैटेनरी इंटरैक्शन के लिए प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर का अंतिम संस्करण (जिसे विकसित किया जा रहा था) 2023-24 के दौरान पूरा हो गया है, और इसे जून 2024 में सिमुलेशन परीक्षणों के लिए एचएसआर आईसी को सौंप दिया गया है।                                                            |
|         |                                                                                                    | ग) आईआईएससी बेंगलुरु एवं आईआईटी बॉम्बे                                     | परियोजना जून 2024 में पूरी हुई। पेंटोग्राफ, कैटेनरी इंटरैक्शन के लिए प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और इसे ईएन मानकों के अनुसार मान्य किया गया है। अंतिम उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए एक बुनियादी जीयूआई को एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के साथ शामिल किया गया है। एचएसआर आईसी द्वारा इसका परीक्षण किया जा रहा है। |

| क्र.सं. | परियोजना                                                                    | कार्यान्वयन संस्थान      | प्रगति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.      | हाई-स्पीड रेलवे ट्रैक के लिए सीमेंट डामर मोर्टार (सीएएम) पर विस्तृत अध्ययन। | क) आईआईटी खड़गपुर        | परियोजना 2023-24 के दौरान पूरी हो गई है।<br>वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, कार्यान्वयन संस्थान और एचएसआर आईसी द्वारा संयुक्त रूप से मई 2024 में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष आईपीआर के पंजीकरण के लिए आवेदन दायर किया गया है।                                    |
|         |                                                                             | ख) आईआईटी मद्रास         | परियोजना पूरी हो गई है। अंतिम रिपोर्ट जुलाई 2024 में प्राप्त होगी।                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.      | हाई-स्पीड रेलवे (एचएसआर) वायाडक्ट डिजाइन का अनुकूलन।                        | क) आईआईटी (आईएसएम) धनबाद | भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त एचएसआर वायाडक्ट के प्रथम मसौदा डिजाइन दिशा-निर्देशों के बाद, संस्थान द्वारा जुलाई 2024 में अद्यतन दिशा-निर्देश प्रस्तुत किए गए, जो समीक्षाधीन हैं।<br>अनुकूलित 40 मीटर एफएसएलएम अधिसंरचना का विस्तृत डिजाइन, डिजाइन चित्रों के साथ जुलाई 2024 में प्रस्तुत किया गया है, जो समीक्षाधीन है। |
|         |                                                                             | ख) आईआईटी खड़गपुर        | 2023-24 के दौरान ABAQUS और अन्य गणितीय मॉडलों का उपयोग करके 40 मीटर FSLM सुपरस्ट्रक्चर के अनुकूलन के लिए अद्यतन मसौदा डिजाइन प्राप्त हो गया है।<br>संस्थान से दिशा-निर्देशों की प्रतीक्षा है।                                                                                                                                |
|         |                                                                             | ग) आईआईटी मद्रास         | भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त एचएसआर वायाडक्ट के डिजाइन संबंधी दिशा-निर्देश 2023-24 के दौरान प्राप्त हो चुके हैं। इस पर प्राप्त फीडबैक के आधार पर संस्थान से अद्यतन दिशा-निर्देशों की प्रतीक्षा है।<br>उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिसंरचना और उपसंरचना का मसौदा डिजाइन संस्थान से अपेक्षित है।                   |

वर्ष के दौरान, सितंबर 2023 में सलाहकार परिषद की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनुसंधान परियोजनाओं की स्थिति और प्रगति की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई।

**ख.** 2023-24 के दौरान कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 157 के तहत आपकी कंपनी को कोई **राष्ट्रपति का निर्देश** प्राप्त नहीं हुआ है।

**ग.** **सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई)**

आपकी कंपनी ने संगठन के भीतर एक प्रभावी तंत्र बनाकर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का उद्देश्य और क्रियान्वयन दोनों में पालन किया है। इसके अलावा, इसने एक अपीलीय प्राधिकारी, एक लोक सूचना अधिकारी और एक सहायक लोक सूचना अधिकारी को नामित किया है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 की आवश्यकताओं के अनुसार, उक्त अधिकारियों के विवरण सहित आवश्यक अद्यतन जानकारी/विवरण कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट कर दिए गए हैं। एनएचएसआरसीएल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के तहत अपनी वेबसाइट पर सक्रिय खुलासे के माध्यम से जागरूक नागरिक बनाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा है।

आरटीआई प्रश्न आम तौर पर भूमि अधिग्रहण, डीपीआर, भर्ती, एचएसआर परियोजना के बारे में सामान्य जानकारी आदि से संबंधित होते हैं, और आम तौर पर निर्धारित समय के भीतर जवाब दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान प्राप्त सभी 265 आवेदनों (जिनमें 31 प्रथम अपील और 2 द्वितीय अपील आवेदन शामिल हैं) का निपटारा कर दिया गया है।

## VIII. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता

बोर्ड ने अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण की समय पर तैयारी शामिल है। कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इसके आकार, पैमाने और इसके संचालन की जटिलताओं के अनुरूप है।

## IX. सूचना प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग

### क. पीएमआईएस के क्षेत्र में

एमएचएसआर परियोजना एक मेगा रैखिक रेल परिवहन परियोजना है जिसमें सिविल और अन्य इंजीनियरिंग जटिलताएं शामिल हैं, बड़ी संख्या में गतिविधियां अंतर्निहित अन्योन्याश्रितताओं को कवर करती हैं। इस परियोजना से डिजाइन, ड्राइंग, निरीक्षण के लिए अनुरोध (आरएफआई), पत्र आदि सहित दस्तावेजों और डेटा की भारी मात्रा उत्पन्न होने की भी उम्मीद है।

इसलिए, एमएचएसआर परियोजना की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण के लिए, आपकी कंपनी ने एक एकीकृत डिजिटल प्रबंधन सूचना प्रणाली या परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) लागू की है, जो आंतरिक वित्तीय और मानव संसाधन मॉड्यूल के साथ एकीकृत है, जिसमें दस्तावेजों/डेटा का केंद्रीकृत संचालन होता है। सभी हितधारक/उपयोगकर्ता (यानी ठेकेदार, पीएमसी एजेंसियां, नियोक्ता, सलाहकार) पीएमआईएस के साझा प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, और साइट और अन्य कार्यालयों से वास्तविक समय के आधार पर सिस्टम/प्रक्रियाओं को अपडेट करते हैं। साइट से या ट्रांजिट के दौरान पहुंच और कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया गया है।

संपूर्ण एकीकृत पीएमआईएस प्रणाली में डैशबोर्ड रिपोर्टिंग के लिए विभिन्न प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर और मानव संसाधन, वित्त, पेट्रोल, क्रय आदि जैसे ईबीएस मॉड्यूल शामिल हैं।

### ख. सिस्टम, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के क्षेत्र में

आपकी कंपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्नति, नवीनतम आईटी प्रौद्योगिकियों को अपनाने और समग्र साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित है। इस दिशा में, 2023-24 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई हैं:

- 2022-23 के दौरान मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईआईटीवाई) द्वारा कंपनी के नेटवर्क उपकरणों और सर्वरों के भेद्यता मूल्यांकन के बाद, सभी खामियों को दूर कर दिया गया और सभी खामियों को समाप्त और सत्यापित करते हुए अंतिम दोष मूल्यांकन रिपोर्ट अगस्त 2023 में एसटीक्यूसी द्वारा प्रस्तुत की गई। उक्त ऑडिट में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सर्वर, फायरवॉल, कोर स्विच, एक्सेस स्विच, डब्ल्यूएलएन नियंत्रक, स्टोरेज और कंपनी के अन्य नेटवर्क डिवाइस शामिल हैं।



गुजरात के वलसाड जिले में पीएससी पुल का कार्य प्रगति पर है

- ii) विभिन्न आईटी सुरक्षा नीतियों जैसे नेटवर्क एक्सेस पॉलिसी, ईमेल नीति, सॉफ्टवेयर और पैच प्रबंधन नीति आदि का ऑडिट भी एसटीक्यूसी, निदेशालय, एमईआईटीवाई द्वारा किया गया है। उक्त ऑडिट रिपोर्ट फरवरी 2023 में एसटीक्यूसी द्वारा प्रस्तुत की गई है, और एसटीक्यूसी द्वारा दी गई टिप्पणियों का अनुपालन प्रक्रियाधीन है।
- iii) बढ़ते साइबर सुरक्षा खतरों से सुरक्षा के लिए एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिसपॉन्स (ईडीआर) सॉल्यूशन खरीदा गया है और कंपनी के एंडपॉइंट आईटी उपकरणों जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर आदि में इंस्टॉल किया गया है। उक्त ईडीआर सॉल्यूशन में उन्नत सुरक्षा क्षमताएं हैं, जैसे कि उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित मॉडल, व्यवहार आधारित सुरक्षा, फॉरेंसिक संग्रह और स्वचालित रिपोर्ट आदि का उपयोग करके हस्ताक्षर आधारित और हस्ताक्षर रहित सुरक्षा नियंत्रण।
- iv) कंपनी के सभी कर्मचारियों तक जानकारी की आसान पहुंच के लिए एनएचएसआरसीएल इंटरनेट वेबसाइट मार्च 2024 में शुरू की गई है।

## X. मानव संसाधन (एचआर)

जनशक्ति किसी भी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। कंपनी की मानव संसाधन नीतियों का उद्देश्य सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभाओं को आकर्षित करना और उन्हें कायम रखना है। कर्मचारियों को पीएसयू, मेट्रो कंपनियों, निजी क्षेत्र से भर्ती किया गया है, या आम तौर पर केंद्रीय/राज्य सरकार के विभागों और केंद्रीय/राज्य पीएसयू आदि से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है।

आपकी कंपनी की जनशक्ति 31 मार्च 2023 को 387 (74 प्रतिनियुक्ति पर) से बढ़कर 31 मार्च 2024 को 389 (71 प्रतिनियुक्ति समेत) हो गई।

आपकी कंपनी ने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन जारी रखा, इसके अलावा अन्य कल्याणकारी उपायों जैसे कि कर्मचारियों के लिए लंबर टेक के साथ एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन किए गए वर्कस्टेशन और कुर्सीयां; कार्यस्थल पर कम शोर और धूल मुक्त वातावरण; कर्मचारियों के लिए पूल परिवहन; निर्दिष्ट आयु के बाद कर्मचारियों के लिए नियमित निवारक स्वास्थ्य जांच सुविधा; आदि।

आपकी कंपनी महिला कर्मचारियों को अनुकूल और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया था, ताकि कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और शोषण के मामलों की जांच की जा सके। 2023-24 के दौरान कंपनी को कोई शिकायत नहीं मिली है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने संगठन की महिला कर्मचारियों को शिक्षित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित गतिविधियों जैसे स्वास्थ्य वार्ता, प्रतिष्ठित महिला हस्तियों द्वारा वित्तीय साक्षरता सत्र आदि के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जोश और उत्साह के साथ मनाया।

आपकी कंपनी ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ तथा रेलवे बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में स्थापना दिवस मनाया। कंपनी के सभी परियोजना कार्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस समारोह से जुड़े। इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की गई तथा उन्हें पुरस्कृत किया गया।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस और शतरंज जैसे विभिन्न इनडोर और आउटडोर खेल आयोजनों की सुविधा कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रदान की जिसने खेल भावना और टीम वर्क का जश्न मनाने के साधन के रूप में काम किया, तथा कर्मचारियों के बीच सौहार्द और प्रतिस्पर्धी उत्साह बढ़ा। इसके अलावा, कर्मचारियों ने मैराथन, पर्वतारोहण और साइकिल रैली में भाग लिया, जिससे उनके मन, शरीर और आत्मा को तरोताजा करने में मदद मिली।

### 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/कार्यक्रम:

- i) जेएआरटीएस ने 9 प्रशिक्षण एवं प्रमाणन (टीएंडसी) पाठ्यक्रम (15 नियोजित में से) आयोजित और पूरे किए हैं, जबकि 200 से अधिक कर्मिकों को विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें साइट प्रबंधकों का प्रशिक्षण; ट्रैक बेड का निर्माण; ट्रैक स्लैब का विनिर्माण; संदर्भ पिन सर्वेक्षण और डेटा विश्लेषण; रेल वेल्ड की रफ/फाइनल फिनिशिंग, परीक्षण; मोटर कार परिचालन के लिए सुरक्षा; आदि शामिल हैं।



फुल स्पैन गर्डर कास्टिंग यार्ड, भरुच जिला, गुजरात

पंद्रह टीएंडसी पाठ्यक्रम और सलाहकार सेवाएं 2021-22 में जापान रेलवे तकनीकी सेवा (जेएआरटीएस) के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के अनुसरण में योजनाबद्ध हैं, जिसमें साइट पर प्रशिक्षित जनशक्ति सुनिश्चित करने के लिए जापानी ट्रैक प्रौद्योगिकी में जापानी विशेषज्ञों द्वारा 1000 से अधिक इंजीनियरों/पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद मई 2024 के महीने में तीन और प्रशिक्षण कार्यक्रम [अर्थात् ट्रैक स्लैब इंस्टॉलेशन इंजीनियर, सीमेंट डामर मोर्टार (सीएएम) इंजीनियर, और सीएएम इंजीनियर (गुणवत्ता नियंत्रण) के लिए प्रशिक्षण] भी शुरू किए गए हैं।

- ii) कंपनी को कर्मचारियों के बीच जापानी भाषा की बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जापान ओवरसीज कोऑपरेशन वालंटियर्स (जेओसीवी) कार्यक्रम के माध्यम से जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से प्रयोजन प्राप्त हुआ है। उक्त कार्यक्रम के तहत, कर्मचारियों को उनकी भाषा सीखने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने के लिए एक समर्पित जापानी भाषा शिक्षक नियुक्त किया गया है। प्रतिभागियों को आवश्यक भाषा कौशल और सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि से लैस करने के लिए इन कक्षाओं को सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है।

2023-24 के दौरान, 20 कर्मचारियों ने जापानी भाषा कक्षाओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इसके अलावा, कंपनी के विभिन्न अधिकारियों को नियमित रूप से प्रासंगिक विषय पर कार्यशालाओं/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए नामित किया जाता है, जैसे कि एसोचौम द्वारा आयोजित 'वित्तीय रिपोर्टिंग और नियंत्रण'; 'एआईएमए का डिजिटल इमर्शन रिट्रीट डिजिटल ओडिसी'; डीएमए और एआईएमए द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'वैश्विक संधारणीयता शिखर सम्मेलन'; आदि।

## **XI. सतर्कता**

सतर्कता विभाग का नेतृत्व एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करता है, जिसकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक टीम होती है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के दौरान, आपकी कंपनी ने सीवीसी द्वारा सुझाए गए छह फोकस क्षेत्रों पर जागरूकता फैलाने के लिए विशेष पहल की, अर्थात् पीआईडीपीआई समाधान के बारे में जागरूकता; क्षमता निर्माण कार्यक्रम; व्यवस्थित सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन; शिकायत निपटान के लिए आईटी का लाभ उठाना; दिशा-निर्देशों/मैनुअल/परिपत्रों का अद्यतन; और शिकायतों का निपटान।

आपकी कंपनी ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर दृश्यता और जन अपील वाली विभिन्न आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया है, जैसे खेल आयोजन (अर्थात साइक्लोटान, वॉकथॉन, क्रिकेट स्प्रिंट रेस), प्रश्नोत्तरी, “भ्रष्टाचार को न कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध हों” विषय पर नारा लेखन प्रतियोगिता आदि।

इसके अलावा, साइबर धोखाधड़ी से बचाव और कार्य संस्कृति में संचालन को शामिल करने के लिए कंपनी द्वारा अक्टूबर 2023 में “साइबर सुरक्षा धोखाधड़ी” और “नैतिक कार्य संस्कृति और कॉर्पोरेट प्रशासन” पर कार्यशाला आयोजित की गई।

आपकी कंपनी ने वास्तविक समय के आधार पर शिकायतों पर नजर रखने के लिए एक समर्पित सतर्कता सूचना प्रणाली विकसित की है।

कंपनी के दो अधिकारियों द्वारा लिखित “सार्वजनिक परियोजना की निगरानी-प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाना” विषय पर एक लेख अक्टूबर 2023 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के वार्षिक समाचार पत्र ‘विज्ञेयवाणी’ के विशेष अंक में प्रकाशित किया गया था। उक्त लेख एमएचएसआर परियोजना की निगरानी के लिए अत्याधुनिक वेब-आधारित पीआईएमएस के कार्यान्वयन पर केंद्रित है।

## XII. लोगो, पुरस्कार और मान्यता

2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी को इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा आयोजित ‘सबसे प्रशंसित केंद्रीय इकाई (रेलवे)’ की श्रेणी में 8वां इन्फ्रा फोकस शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार 26 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा तत्कालीन एमडी को प्रदान किया गया।

इसके अलावा, आपकी कंपनी ने ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के अंतर्गत अपने नाम के संक्षिप्त नाम के साथ-साथ अपने पहले से पंजीकृत लोगो में और बदलाव भी पंजीकृत किए हैं।

आपकी कंपनी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों आदि में भाग लेती है। 2023-24 के दौरान, कंपनी ने रेलवे मंडप के हिस्से के रूप में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में प्रस्तावित सूरत एचएसआर स्टेशन के मॉडल सहित एमएचएसआर परियोजना की मुख्य विशेषताओं का प्रदर्शन किया; साथ ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में भागीदारी की, और दिसंबर 2023 में गुजरात में भारतीय रोड कांग्रेस प्रदर्शनी में भाग लिया।



आईआईटीएफ-एनएचएसआरसीएल का प्रस्तावित  
सूरत एचएसआर स्टेशन मॉडल



8वां इन्फ्रा फोकस शिखर सम्मेलन और पुरस्कार

## XIII. विजन एवं मिशन

आपकी कंपनी ने निम्नलिखित को अपने विजन और मिशन के रूप में अपनाया है:

**क. विजन**

जीवन की बेहतर गुणवत्ता और देश के विकास के लिए तकनीकी उत्कृष्टता के साथ सुरक्षित, विश्वसनीय और दीर्घकालिक हाई स्पीड रेल सेवाएं मुहैया करना।

**ख. मिशन**

- ग्राहकों के लिए एक दक्ष, सुरक्षित, संधारणीय और विश्वसनीय परिवहन का विकल्प उपलब्ध करना।
- अत्याधुनिक हाई स्पीड रेल यातायात अवसंरचना के निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के लोगों को एक-दूसरे से जोड़ना।
- हाईस्पीड रेल तकनीकी के समावेशीकरण, स्वदेशीकरण और नवोन्मेष को बढ़ावा देना।

**XIV. बोर्ड समितियां**

**क. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति**

आपकी कंपनी ने अभी तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है, इसलिए वित्तीय वर्ष के दौरान कोई परिचालन लाभ अर्जित नहीं किया है।

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर कार्यों को करने के उद्देश्य से एक बोर्ड स्तरीय 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति' का गठन किया है, जिसे 'सीएसआर समिति' के रूप में जाना जाता है। उक्त समिति को एक नोडल अधिकारी और उनकी टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

सीएसआर समिति, इसकी संरचना, बैठकों में उपस्थिति, सीएसआर बजट, सीएसआर गतिविधियां आदि के बारे में विवरण '2023-24 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट' में दिया गया है, जो निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है और इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

**ख. अन्य समितियां**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार, आपकी कंपनी को संयुक्त उद्यम असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के नाते अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक रखने की आवश्यकता नहीं है।

परिणामस्वरूप, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित धारा 177 और 178 के प्रावधानों के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा, हितधारक संबंध समिति का गठन (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत) भी लागू नहीं है क्योंकि कंपनी में सदस्यों/शेयरधारकों की संख्या 1000 से कम है।

तदनुसार, कंपनी में इन तीनों समितियों में से कोई भी समिति मौजूद नहीं है।

**XV. कॉर्पोरेट प्रशासन**

आपकी कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन की सच्ची भावना का पालन करती है और पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिक संचालन प्रथाओं और पेशेवर प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करके सर्वोत्तम शासन प्रथाओं को लागू करती है।

**XVI. निदेशक मंडल**

**क. बोर्ड की संरचना**

कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की संख्या 3 से कम और 15 से अधिक नहीं होगी। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी में निदेशकों के निम्नलिखित ग्यारह पद क्रियाशील हैं:

- पूर्णकालिक निदेशकों के छह पद [अर्थात् प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजनाएं), निदेशक (इलेक्ट्रिकल एवं सिस्टम), निदेशक (रोलिंग स्टॉक), और निदेशक (कार्य)],

- ii) रेल मंत्रालय (भारत सरकार) से नामांकित निदेशकों (अंशकालिक अध्यक्ष सहित) के तीन पद,  
iii) भाग लेने वाली राज्य सरकारों से नामांकित निदेशक के दो पद यानी गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार से एक-एक पद।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, 24 जुलाई 2024 को निदेशक (परिवहन, सुरक्षा और विपणन) के रूप में श्री विकास चौबे के शामिल होने के साथ, पूर्णकालिक निदेशक का एक और पद भी चालू हो गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, सभी निदेशकों को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) से निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) प्राप्त करने के बाद ही कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया जाता है।

#### ख. निदेशकों का पारिश्रमिक

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आपकी कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक सरकार द्वारा जारी उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार, औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए)/केंद्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमान के अनुसार पारिश्रमिक लेते हैं।

भारत सरकार तथा भागीदार राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत नामित निदेशक, निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं बल्कि सरकारी अधिकारियों के रूप में संबंधित सरकार (सरकारों) से केन्द्रीय महंगाई भत्ते (सीडीए) वेतनमानों के अंतर्गत अपना पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

#### ग. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सभी पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को कंपनी के बोर्ड द्वारा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक घोषित किया गया है।

#### घ. बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की 2023-24 के दौरान पांच (5) बार बैठक हुई, यानी 26 जून 2023, 20 जुलाई 2023, 29 सितंबर 2023, 22 दिसंबर 2023 और 28 मार्च 2024 को।

उपरोक्त बोर्ड बैठकों और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के संबंध में निदेशक मंडल में हुए परिवर्तन तथा निदेशकों और कंपनी सचिव की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | निदेशक का नाम                                                         | पद                                                                                 | बोर्ड की बैठकों की संख्या          |             | पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थित (29.09.2023) को आयोजित) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
|         |                                                                       |                                                                                    | निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित | उपस्थित हुए |                                                           |
| i)      | निदेशक:                                                               |                                                                                    |                                    |             |                                                           |
| 1.      | जया वर्मा सिन्हा<br>(डीआईएन-09295401)<br>सीआरबी एवं सीईओ, रेलवे बोर्ड | अंशकालिक अध्यक्ष<br>(भारत सरकार द्वारा मनोनीत)<br>(1 सितंबर 2023 से प्रभावी)       | 3                                  | 3           | हाँ                                                       |
| 2.      | विवेक कुमार गुप्ता<br>(डीआईएन-10423972)                               | प्रबंध निदेशक<br>(पूर्णकालिक निदेशक)<br>(5 फरवरी 2024 से प्रभावी)                  | 1                                  | 1           | लागू नहीं                                                 |
| 3.      | विवेक प्रकाश त्रिपाठी*<br>(डीआईएन-10216466)                           | निदेशक वित्त<br>(पूर्णकालिक निदेशक)<br>(1 जुलाई 2023 से प्रभावी)                   | 4                                  | 4           | हाँ                                                       |
| 4.      | अंजुम परवेज**<br>(डीआईएन-06682287)                                    | निदेशक परियोजनाएँ<br>(पूर्णकालिक निदेशक)<br>(29 अगस्त 2023 से प्रभावी)             | 3                                  | 3           | हाँ                                                       |
| 5.      | आलोक कटियार<br>(डीआईएन-10299139)                                      | निदेशक इलेक्ट्रिकल एवं सिस्टम<br>(पूर्णकालिक निदेशक)<br>(31 अगस्त 2023 से प्रभावी) | 3                                  | 3           | हाँ                                                       |

| क्र.सं. | निदेशक का नाम                                                                                            | पद                                                                                                                | बोर्ड की बैठकों की संख्या          |             | पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थित (29.09.2023) को आयोजित) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                          |                                                                                                                   | निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित | उपस्थित हुए |                                                           |
| 6.      | संदीप श्रीवास्तव<br>(डीआईएन-10298843)                                                                    | निदेशक रोलिंग स्टॉक<br>(पूर्णकालिक निदेशक)<br>(22 सितंबर 2023 से प्रभावी)                                         | 3                                  | 3           | हाँ                                                       |
| 7.      | प्रमोद शर्मा<br>(डीआईएन-06573986)                                                                        | निदेशक कार्य<br>(पूर्णकालिक निदेशक)<br>(26 दिसंबर 2023 से प्रभावी)                                                | 1                                  | 1           | लागू नहीं                                                 |
| 8.      | अन्विता सिन्हा<br>(डीआईएन-09670512),<br>कार्यकारी निदेशक / स्था. (राजपत्रित संवर्ग), रेलवे बोर्ड         | अंशकालिक निदेशक<br>(भारत सरकार द्वारा मनोनीत)                                                                     | 5                                  | 3           | नहीं                                                      |
| 9.      | डॉ. प्रणय प्रभाकर<br>(डीआईएन-10546309)<br>मुख्य कार्यकारी निदेशक / इंफ्रा, रेलवे बोर्ड                   | अंशकालिक निदेशक<br>(भारत सरकार द्वारा मनोनीत)<br>(12 मार्च 2024 से प्रभावी)                                       | 1                                  | 1           | लागू नहीं                                                 |
| 10.     | संजय जगदीशचंद्र सेठी<br>(डीआईएन-02235406)<br>अतिरिक्त. मुख्य सचिव (परिवहन एवं बंदरगाह), महाराष्ट्र सरकार | अंशकालिक निदेशक<br>(महाराष्ट्र सरकार द्वारा मनोनीत)<br>(18 मार्च 2024 से प्रभावी)                                 | 1                                  | 0           | लागू नहीं                                                 |
| 11.     | अरुण बिजलवान<br>(डीआईएन-08012372)                                                                        | निदेशक वित्त<br>(पूर्णकालिक निदेशक)<br>(2 जनवरी 2018 से 30 जून 2023 तक पद पर रहे)                                 | 1                                  | 0           | लागू नहीं                                                 |
| 12.     | विजय कुमार<br>(डीआईएन-08205585)                                                                          | निदेशक रोलिंग स्टॉक<br>(पूर्णकालिक निदेशक)<br>(23 अगस्त 2018 से 22 अगस्त 2023 तक पद पर रहे)                       | 2                                  | 2           | लागू नहीं                                                 |
| 13.     | संदीप कुमार<br>(डीआईएन-08206781)                                                                         | निदेशक विद्युत एवं प्रणाली<br>(पूर्णकालिक निदेशक)<br>(31 अगस्त 2018 से 30 अगस्त 2023 तक पद पर रहे)                | 2                                  | 1           | लागू नहीं                                                 |
| 14.     | अनिल कुमार लाहोटी<br>(डीआईएन-10053659)<br>पूर्व अध्यक्ष एवं सीईओ, रेलवे बोर्ड                            | अंशकालिक अध्यक्ष<br>(भारत सरकार द्वारा मनोनीत)<br>(22 फरवरी 2023 से 31 अगस्त 2023 तक पद पर रहे)                   | 2                                  | 2           | लागू नहीं                                                 |
| 15.     | राजेंद्र प्रसाद***<br>(डीआईएन-08006234)                                                                  | प्रबंध निदेशक<br>(पूर्णकालिक निदेशक)<br>(29 नवंबर 2017 से 30 सितंबर 2023 तक पद पर रहे)                            | 3                                  | 3           | हाँ                                                       |
| 16.     | रूप नारायण सुनकर<br>(डीआईएन-10121323),<br>पूर्व सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे बोर्ड                       | प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार),<br>(भारत सरकार द्वारा मनोनीत)<br>(1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक पद पर रहे) | 1                                  | 1           | लागू नहीं                                                 |

| क्र.सं.         | निदेशक का नाम                                                                                                                                 | पद                                                                                                    | बोर्ड की बैठकों की संख्या          |             | पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थित (29.09.2023) को आयोजित) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                               |                                                                                                       | निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित | उपस्थित हुए |                                                           |
| 17.             | मुकुल सरन माथुर<br>(डीआईएन-07361718),<br>पूर्व मुख्य कार्यकारी निदेशक/इंफ्रा,<br>रेलवे बोर्ड                                                  | अंशकालिक निदेशक<br>(भारत सरकार द्वारा मनोनीत)<br>(6 जनवरी 2023 से 4 मार्च 2024 तक पद पर रहे)          | 4                                  | 3           | नहीं                                                      |
| 18.             | पराग जैन नैनुतिया<br>(डीआईएन-00295846),<br>पूर्व मुख्य सचिव (परिवहन एवं<br>बंदरगाह), महाराष्ट्र सरकार                                         | अंशकालिक निदेशक<br>(महाराष्ट्र सरकार द्वारा मनोनीत)<br>(11 अप्रैल 2023 से 13 मार्च 2024 तक पद पर रहे) | 4                                  | 1           | नहीं                                                      |
| 19.             | हरेशकुमार चंदूलाल मोदी<br>(डीआईएन-08626316),<br>पूर्व मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग)<br>एवं अपर सचिव, सड़क एवं भवन<br>विभाग, गुजरात सरकार | अंशकालिक निदेशक<br>(गुजरात सरकार द्वारा मनोनीत)<br>[12 नवंबर 2021 से 30 जून 2024 तक पद पर रहे]        | 5                                  | 3           | हाँ                                                       |
| ii) कंपनी सचिव: |                                                                                                                                               |                                                                                                       |                                    |             |                                                           |
| 20.             | सुमीता शर्मा                                                                                                                                  | कंपनी सचिव                                                                                            | 5                                  | 5           | हाँ                                                       |

\* 1 जुलाई 2023 से 27 अगस्त 2023 तक निदेशक वित्त के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला और 28 अगस्त 2023 से निदेशक वित्त का पूर्णकालिक प्रभार ग्रहण किया।

\*\* 1 जनवरी 2024 से 5 फरवरी 2024 तक प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला।

\*\*\* निदेशक परियोजना के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने के साथ ही 8 मई 2023 से प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

इससे पहले, वह 29 नवंबर 2017 से निदेशक परियोजना के पद का प्रभार और 7 जुलाई 2022 से प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।

## XVII. आचार और नैतिकता संहिता

आपकी कंपनी ने 1 जून 2018 से अपने कर्मचारियों, वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशक मंडल के लिए आचार और नैतिकता संहिता लागू की है, जो आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में काम से संबंधित मुद्दों और दुविधाओं से निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है।

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन टीम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उक्त आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

## XVIII. आम सभा की बैठकें

क) पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) का विवरण निम्नानुसार है:

| वित्तीय वर्ष            | बैठक आयोजित करने की तिथि | समय      | स्थान                                         | पारित विशेष प्रस्ताव (यदि कोई हो) |
|-------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2022-23<br>(7वीं एजीएम) | 29 सितंबर 2023           | 1300 बजे | समिति कक्ष संख्या-237, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली | नहीं                              |
| 2021-22<br>(6वीं एजीएम) | 22 दिसंबर 2022           | 1700 बजे | समिति कक्ष संख्या-237, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली | हाँ                               |
| 020-21<br>(5वीं एजीएम)  | 16 नवंबर 2021            | 1630 बजे | वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से             | नहीं                              |

ख) वर्ष 2023–24 के दौरान कोई अतिरिक्त-साधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित नहीं की गई है।

ग) चालू वर्ष के लिए एजीएम-2023–24 के लिए कंपनी की प्रस्तावित 8वीं एजीएम निम्नलिखित विवरण के अनुसार आयोजित की जाएगी:

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| दिन    | — सोमवार                 |
| दिनांक | — 30 सितंबर 2024         |
| समय    | — 1100 बजे               |
| स्थान  | — रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली |

#### **XIX. कंपनी की वेबसाइट**

आपकी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट [www.nhsrcl.in](http://www.nhsrcl.in) है। कंपनी से संबंधित सभी प्रमुख जानकारी, जिसमें व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट, परियोजना की स्थिति सहित परियोजना के तकनीकी विवरण, एसआईए/आरएपी और आईपीपी रिपोर्ट, निविदा विवरण, साबरमती मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब के बारे में विवरण, विभिन्न रिक्तियां और ऐसी रिक्तियों के परिणाम आदि शामिल हैं, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न भाषाओं (अंग्रेजी भाषा के अलावा) जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी और जापानी में उपलब्ध हैं। कंपनी का वार्षिक रिटर्न निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है—<https://www.nhsrcl-in/hi/about&us/annual&report>.

#### **XX. लेखा परीक्षक**

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी में 2023–24 के लिए निम्नलिखित लेखा परीक्षक नियुक्त हैं:

- क. मेसर्स दीवान पी. एन. चोपड़ा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा 2023–24 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- ख. मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, को कंपनी द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए 2023–24 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- ग. अशोक श्याम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, को कंपनी द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए 2023–24 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

#### **XXI. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण**

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि:

- i) वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;
- ii) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया था और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए गए थे और अनुमान उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि के बारे में सही और निष्पक्ष राय दी जा सके;
- iii) कंपनी ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित सावधानी बरती थी;
- iv) वार्षिक लेखा तैयार करने में चालू व्यवसाय दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था; और
- v) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

#### **XXII. अन्य प्रासंगिक दस्तावेज**

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, इसके नियमों के साथ पठित, निम्नलिखित रिपोर्ट/दस्तावेज प्रासंगिक अनुलग्नकों के साथ इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग हैं, तथा इन्हें अनुलग्नक क्रमांक के रूप में संलग्न किया गया है:

- 1) 2023-24 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट
- 2) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अनुलग्नक-1

अनुलग्नक-2

इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त टिप्पणियां तथा उन पर प्रबंधन का उत्तर, यदि कोई हो, भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा।

### XXIII. आभार

हम भारत और जापान की सरकारों: रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों; गुजरात और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों; भारत और जापान के राजदूतों और दूतावासों; नीति आयोग; औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी); जेईटीआरओ के अधिकारियों; जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए); जापान अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार (जेआईसी); और जेआर ईस्ट; और विभिन्न मीडिया चैनलों को कंपनी को उनके निरंतर समर्थन के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

हम कंपनी के सभी कर्मचारियों के कंपनी के प्रति समर्पण और ईमानदारी के लिए उनकी हार्दिक सराहना भी करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(विवेक कुमार गुप्ता)  
प्रबंध निदेशक  
[डीआईएन: 10423972]

(विवेक प्रकाश त्रिपाठी)  
निदेशक वित्त  
[डीआईएन: 10216466]

दिनांक: 21.08.2024

स्थान: नई दिल्ली

# 2023-24 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट

## 1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में, कंपनी समाज के उत्थान और बेहतरी के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की अवधारणा के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी नैतिकता, समावेशिता, पारदर्शिता और शासन के लिए उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से अपने व्यवसाय का संचालन करने का प्रयास करती है। कंपनी देश में सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करती है।

सीएसआर नीति का उद्देश्य हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम आधारित और प्रभावोन्मुख तरीके से कार्य करना है। समाज के वंचित, उपेक्षित और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी, तथा उन जिलों के निवासियों के लिए काम करने को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कंपनी काम कर रही है या उसके निकटवर्ती जिले हैं।

कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के चयन के लिए एक प्रणाली बनाई है, जिसके तहत क्षेत्रीय स्तर के कार्यालय हितधारकों के साथ बातचीत के बाद स्थानीय जरूरतों के आधार पर सीएसआर प्रस्ताव की सिफारिश कर सकते हैं।



सीएसआर परियोजना-खाद्य वितरण वाहनों की खरीद

## 2. सीएसआर समिति का गठन

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति (अंशकालिक निदेशक की अध्यक्षता में) का गठन किया है। उक्त सीएसआर समिति कंपनी द्वारा किए गए सभी कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करके सीएसआर एजेंडा की निगरानी करती है और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है। उक्त बोर्ड स्तरीय समिति की सहायता एक नोडल अधिकारी और उनकी टीम द्वारा की जा रही है।

वर्ष के दौरान, श्री निशांत सिंघल, जीएम/प्रोक्योरमेंट को 29 सितंबर 2023 से नोडल अधिकारी सीएसआर के रूप में नामित किया गया है (श्री अंजुम परवेज, तत्कालीन पीईडी/पीएंडडी और नोडल अधिकारी सीएसआर के स्थान पर)। नोडल अधिकारी सभी सीएसआर परियोजनाओं को लागू करने के लिए सीएसआर समिति की सहायता करता है, और सीएसआर समिति की बैठकों में एक स्थायी आमंत्रित व्यक्ति होता है।

31 मार्च 2024 तक, सीएसआर समिति में अध्यक्ष के रूप में सुश्री अन्विता सिन्हा, ईडी/एस्टैबलिशमेंट (राजपत्रित कैडर), रेलवे बोर्ड और अंशकालिक निदेशक, एनएचएसआरसीएल शामिल हैं; और श्री विवेक प्रकाश त्रिपाठी, निदेशक वित्त और सीएफओ; और श्री अंजुम परवेज, निदेशक (परियोजनाएं); सदस्य के रूप में, साथ ही समिति की सचिव के रूप में सुश्री सुमीता शर्मा, कंपनी सचिव शामिल हैं। वर्ष के दौरान दो बार क्रमशः 26 जून 2023 और 29 सितंबर 2023 को सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया गया।

सीएसआर समिति की 2023-24 के दौरान तीन (3) बार बैठक हुई, यानी 19 जुलाई 2023, 18 दिसंबर 2023 और 14 मार्च 2024 को। नोडल अधिकारी और कंपनी सचिव दोनों कंपनी की उपरोक्त तीनों सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थित थे। उक्त तीनों बैठकों में सीएसआर समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

| क्र.सं. | निदेशक का नाम                               | निदेशक पद का पदनाम/प्रकृति                                                                            | बैठकों की संख्या                          |             |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
|         |                                             |                                                                                                       | सदस्य के रूप में कार्यकाल के दौरान आयोजित | उपस्थित हुए |
| 1.      | हरीशकुमार चंदूलाल मोदी<br>[डीआईएन-08626316] | नामित निदेशक<br>और अध्यक्ष, सीएसआर समिति<br>(29.09.2023 तक)                                           | 1                                         | 1           |
| 2.      | अन्विता सिन्हा<br>[डीआईएन-09670512]         | नामित निदेशक<br>और अध्यक्ष, सीएसआर समिति<br>(29.09.2023 से प्रभावी)                                   | 2                                         | 2           |
| 3.      | अरुण बिजल्वाण<br>[डीआईएन-08012372]          | निदेशक वित्त<br>एवं सदस्य, सीएसआर समिति<br>(26.06.2023 तक)                                            | 0                                         | 0           |
| 4.      | विजय कुमार<br>[डीआईएन-08205585]             | निदेशक रोलिंग स्टॉक<br>एवं सदस्य, सीएसआर समिति<br>(अपने कार्यकाल की समाप्ति तक अर्थात् 22.08.2023 तक) | 1                                         | 1           |
| 5.      | संदीप कुमार<br>[डीआईएन-08206781]            | निदेशक विद्युत एवं प्रणाली<br>एवं सदस्य, सीएसआर समिति<br>(26.06.2023 से 30.08.2023 तक)                | 1                                         | 0           |
| 6.      | विवेक प्रकाश त्रिपाठी<br>[डीआईएन-10216466]  | निदेशक वित्त<br>एवं सदस्य, सीएसआर समिति<br>(29.09.2023 से प्रभावी)                                    | 2                                         | 2           |
| 7.      | अंजुम परवेज<br>[डीआईएन-06682287]            | निदेशक परियोजना<br>एवं सदस्य, सीएसआर समिति<br>(29.09.2023 से)                                         | 2                                         | 2           |

**3. वेब-लिंग जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की जाती हैं:**

क) सीएसआर समिति की संरचना और कंपनी द्वारा शुरू की गई बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं—  
<https://nhsrcl-in/hi/about&us/latest&social&initiatives>.

ख) सीएसआर नीति (समय-समय पर संशोधित)—<https://nhsrcl-in/sites/default/files/2023&01/Amended%20CSR%20Policy-pdf>

**4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब-लिंग के साथ कार्यकारी सारांश, कंपनी पर लागू नहीं है।**

**5. क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का औसत शुद्ध लाभ रु. 60,16,39,527.34 है।**

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत रु.1,20,32,791/- बनता है।

ग) कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 7(2) के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों से सीएसआर परियोजनाओं से कोई अधिशेष उत्पन्न नहीं हुआ है।

घ) कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 7(3) के अनुसरण में प्रतिभार के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं है।

ड) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल सीएसआर दायित्व रु.1,20,32,791/- है [अर्थात (ख) + (ग) - (ड)]।

6. क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि : रु. 1,20,32,791/-  
(दोनों चालू परियोजना और चालू परियोजना के अलावा),  
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनुमोदित।
- ख) प्रशासनिक उपरिव्यय में व्यय की गई राशि : 0
- ग) प्रभाव आंकलन पर व्यय की गई राशि : लागू नहीं
- घ) 2023-24 के लिए खर्च की गई कुल सीएसआर राशि [(क)+(ख)+(ग)] : रु. 1,20,32,791/-
- ड) 2023-24 के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि का विवरण:

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि (रुपये में) | अव्ययित राशि                                                         |                    |                                                                                                  |      |                    |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
|         |                                               | धारा 135(6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि |                    | धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि |      |                    |
|         |                                               | राशि (रुपये में)                                                     | स्थानांतरण की तिथि | फंड का नाम                                                                                       | राशि | स्थानांतरण की तिथि |
| 1.      | 27,676                                        | 67,82,206                                                            | 27 मार्च 2024      | —शून्य—                                                                                          |      |                    |
| 2.      |                                               | 52,22,909                                                            | 28 मार्च 2024      |                                                                                                  |      |                    |
| कुल     | 27,676                                        | 1,20,05,115                                                          |                    |                                                                                                  |      |                    |

(च) प्रतिभार के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो : 0



सीएसआर परियोजना-मध्याह्न भोजन वितरण वाहन

**7.** पिछले तीन वित्तीय वर्षों की चालू परियोजनाओं के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण (वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय):

| (1)<br>क्र.सं. | (2)<br>वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई | (3)<br>परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि/ सीएसआर खाते में स्थानांतरित की गई राशि (रु. में) | (4)<br>धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में राशि |                                 |                                     | (7)<br>धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाएगी-31.3.2024 को [(6)-(9)] | (8)<br>धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में हस्तांतरित राशि | (9)<br>कमी | (10)<br>परियोजना की स्थिति-पूर्ण/ जारी |
|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
|                |                                                |                                                                                          | 01.04.2023 को (रु. में)                                    | 2023-24 के दौरान खर्च (रु. में) | संचयी व्यय- 31.03.2024 को (रु. में) |                                                                                                                              |                                                                                                               |            |                                        |
| 1.             | 2020-21                                        | —                                                                                        | —                                                          | —                               | —                                   | —                                                                                                                            | —                                                                                                             | —          | —                                      |
| 2.             | 2021-22                                        | 14,87,500 <sup>1</sup>                                                                   | 14,87,500                                                  | 14,87,500                       | 14,87,500                           | 0                                                                                                                            | —                                                                                                             | —          | पूरा हुआ                               |
| 3.             | 2021-22                                        | 48,50,000 <sup>2</sup>                                                                   | 24,25,000                                                  | 19,40,000                       | 43,65,000                           | 4,85,000                                                                                                                     | —                                                                                                             | —          | चालू                                   |
| 4.             | 2022-23                                        | 22,90,000                                                                                | 22,90,000                                                  | 22,90,000                       | 22,90,000                           | 0                                                                                                                            | —                                                                                                             | —          | पूरा हुआ                               |
| 5.             | 2022-23                                        | 27,30,000 <sup>3</sup>                                                                   | 27,30,000                                                  | 27,30,000                       | 27,30,000                           | 0                                                                                                                            | —                                                                                                             | —          | वापस लिया गया <sup>3</sup>             |
|                | कुल                                            | 1,13,57,500                                                                              | 89,32,500                                                  | 84,47,500                       | 1,08,72,500                         | 4,85,000                                                                                                                     |                                                                                                               |            |                                        |

**टिप्पणियाँ:**

1) परियोजना की समय-सीमा 2023-24 तक बढ़ा दी गई थी क्योंकि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा एक ही बिल में पूरी राशि का दावा किया गया था, जिसका भुगतान परियोजना पूर्णता रिपोर्ट प्राप्त होने पर 21 अप्रैल 2023 (अर्थात् 2023-24 के दौरान) किया गया था, हालांकि, परियोजना फरवरी 2023 (अर्थात् 2022-23 के दौरान) में पूरी हुई।

2) परियोजना की समयसीमा 2024-25 तक बढ़ा दी गई है।

3) कंपनी ने परियोजना के लिए दी गई मंजूरी वापस ले ली है; और रु.27,30,000/- की उक्त प्रतिबद्ध राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित चार निधियों में समान रूप से योगदान दिया गया है:

- |                                      |   |                |
|--------------------------------------|---|----------------|
| i) स्वच्छ गंगा कोष                   | — | रु. 6,82,500/- |
| ii) पीएम केयर्स कोष                  | — | रु. 6,82,500/- |
| iii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष | — | रु. 6,82,500/- |
| iv) स्वच्छ भारत कोष                  | — | रु. 6,82,500/- |

**8.** वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछले वित्तीय वर्षों सहित) में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से निर्मित या अर्जित की गई परिसंपत्तियों पर खर्च की गई राशि से संबंधित विवरण:

क) परिसंपत्ति(यों) का निर्माण-पूर्ण:

| संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण [सहित]                                                                                                                                             | संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का पिन कोड सहित पूरा पता और स्थान                                                                                                                                     | निर्माण की तारीख                                                                               | 2023-24 के दौरान खर्च की गई सीएसआर राशि (रु. में) | पंजीकृत स्वामी की इकाई/ प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                   | नाम और सीएसआर पंजीकरण संख्या                        | पंजीकृत पता                                                              |
| गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा जिलों में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसने के लिए दो (2) खाद्य वितरण वाहनों की खरीद<br>[प्रोजेक्ट आईडी: सीएसआर-6] | उक्त दोनों वाहन (पूँजीगत परिसंपत्ति) अक्षय पात्र फाउंडेशन के नाम पर निहित हैं।<br><br>पता: आर.एस. नं.-1104, अहमदाबाद डेंटल कॉलेज के सामने, भदज-कडी रोड, संतेज, टीए-कलोल, गांधीनगर, गुजरात-382115 | क) अहमदाबाद वाहन: पंजीकरण की तिथि-13.10.2023<br><br>ख) वडोदरा वाहन: पंजीकरण की तिथि-13.10.2023 | 22,90,000                                         | अक्षय पात्र फाउंडेशन<br><br>सं.-CSR00000286         | हरे कृष्णा हिल, वेस्ट ऑफ कॉर्ड रोड, राजाजीनगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560010। |

ख) परिसंपत्ति(यों) का निर्माण-प्रगति पर:

- परियोजना आईडी: सीएसआर-3-आईआईटी रुड़की (सीएसआर पंजीकरण संख्या CSR00003687), कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से अनुश्रुति अकादमी फॉर द डेफ, आईआईटी रुड़की परिसर, उत्तराखंड 247667, में छह (6) क्लास रूम और पहली मंजिल पर कॉरिडोर को जोड़ने के लिए एक (1) फुटब्रिज का निर्माण। पूँजीगत परिसंपत्ति आईआईटी रुड़की के नाम पर होगी।
- प्रोजेक्ट आईडी: सीएसआर-9-आईआईटी रुड़की कैंपस उत्तराखंड-247667 में अनुश्रुति एकेडमी फॉर द डेफ (एएडी) की सुरक्षा के लिए ऑडिटोरियम में लाइटिंग, साउंड सिस्टम और फर्निशिंग की स्थापना और सीसीटीवी कैमरे और अग्निशामक यंत्रों की स्थापना, कार्यान्वयन एजेंसी आईआईटी रुड़की (सीएसआर पंजीकरण संख्या सीएसआर00003687) के माध्यम से। पूँजीगत परिसंपत्ति आईआईटी रुड़की के नाम पर होगी।
- परियोजना आईडी: सीएसआर-10-सूरत, नवसारी और भरुच, गुजरात में लागत प्रभावी सैनितरी नैपकिन के उत्पादन के लिए तीन (3) स्वयं सहायता समूहों की स्थापना, शक्ति फाउंडेशन ट्रस्ट (सीएसआर पंजीकरण संख्या CSR00012313), कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। पूँजीगत परिसंपत्ति स्वयं सहायता समूहों के नाम पर निहित होगी।
- परियोजना आईडी: सीएसआर-11-महाराष्ट्र के पालघर जिले के दमनगांव गांव [लड़कों के लिए] और गांव [लड़कियों के लिए], में स्वच्छता के उद्देश्य से आश्रम स्कूल छात्रावास के लिए दो स्वच्छताग्रहों का निर्माण, कार्यान्वयन एजेंसी पृथ्वीसंग्राम ग्रामविकास (सीएसआर पंजीकरण संख्या सीएसआर 00010032) के माध्यम से। पूँजीगत परिसंपत्ति स्कूल के नाम पर निहित होगी।
- परियोजना आईडी: सीएसआर-12-सोसाइटी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ विलेजर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ हिमालयन एरियाज (सुविधा) (सीएसआर पंजीकरण संख्या सीएसआर00000399), कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से गुजरात के

नवसारी जिले में स्मार्ट क्लासेस स्थापित करने के लिए उपकरणों की खरीद का समर्थन करना। पूंजीगत परिसंपत्ति स्कूल के नाम पर होगी।

9. कारण, यदि कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करने में विफल रही है: लागू नहीं

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

(विवेक कुमार गुप्ता)  
प्रबंध निदेशक  
[डीआईएन: 10423972]

(अन्विता सिन्हा)  
अंशकालिक निदेशक  
एवं अध्यक्ष, सीएसआर समिति  
[डीआईएन: 09670512]

(विवेक प्रकाश त्रिपाठी)  
निदेशक वित्त और सीएफओ  
एवं सदस्य, सीएसआर समिति  
[डीआईएन: 10216466]

(अंजुम परवेज)  
निदेशक परियोजनाएँ  
एवं सदस्य, सीएसआर समिति  
[डीआईएन: 06682287]

दिनांक: 21.08.2024

स्थान: नई दिल्ली



VAP & ASSOCIATES  
Company Secretaries

अनुलग्नक-2

मुख्य कार्यालय:

105, चार्ल्स सॉलिटेयर, अहिंसा खण्ड-2,  
इंदिरापुरम, गाजियाबाद-201014, यू.पी.

फोन: 91-0120-4272409

एम: 91-9910091070, 9711670085

ईमेल : vapassociatespcs@gmail.com

फॉर्म-एमआर 3

## सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

कंपनी सचिव /कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सदस्यगण,

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय तल, एशिया भवन, रोड नं. 205,

सेक्टर-9, द्वारका, दिल्ली-110077.

हमने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएन: U60200DL2016GOI291002) (इसके बाद इसे 'कंपनी' कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से की गई थी कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया था।

क) कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक्स, दाखिल किए गए फॉर्मों और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि ('लेखा परीक्षा अवधि') के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं, जो इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं।

ख) हमने प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है।

- कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियम;
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक लागू होते हैं। (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कंपनी में कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नहीं था और कंपनी द्वारा कोई बाहरी वाणिज्यिक उधार नहीं लिया गया था);
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित विनियम और दिशा-निर्देश (कंपनी के सूचीबद्ध नहीं होने के कारण लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

- vi) कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के विभिन्न विभागों के प्रमुखों द्वारा कंपनी के सचिवालयी विभाग को प्रस्तुत किए गए अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने आमतौर पर उन अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया है जो विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं, जिनमें पर्यावरण कानून और श्रम कानून शामिल हैं।
- ग) हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:
- (i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और आम बैठकों (एसएस-2) के संबंध में सचिवीय मानक ('एसएस')।
  - (ii) कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते (कंपनी के लिए लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं है क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध नहीं है)।
- घ) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने सामान्यतः अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।
- ङ) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि
- i) कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यपालक निदेशकों और गैर-कार्यपालक निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।
  - ii) सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को शेड्यूल करने के लिए पर्याप्त सूचना दी जाती है, और एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट्स आम तौर पर कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं, और बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।
  - iii) बोर्ड बैठकों और समिति बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया है, जैसा भी मामला हो।
- च) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि उपलब्ध कराई गई जानकारी और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर ली गई अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।
- छ) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि ऑडिट अवधि के दौरान, कंपनी में निम्नलिखित घटनाएं हुईं, जिनका उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रभाव पड़ा।
- i) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने गुजरात के माननीय राज्यपाल को 1,000/- रुपये प्रति शेयर मूल्य के 79,45,700 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।

टिप्पणी: इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो "अनुलग्नक क" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

वीएपी एवं एसोसिएट्स के लिए

कंपनी सचिव

एफआरएन: P2023UP098500

सहकर्मी समीक्षा संख्या: 1083/2021

पारुल जैन

मैनेजिंग पार्टनर

एम. नं. F8323

सी. पी. संख्या 13901

यूडीआईएन: F008323F001014361

दिनांक: 21.08.2024

स्थान: गाजियाबाद

## सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

सदस्यगण,  
राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,  
पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय तल, एशिया भवन, रोड नं. 205,  
सेक्टर-9, द्वारका, दिल्ली-110077.

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट इस पत्र के साथ ही पढ़ी जाए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित रूप से लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमने जो प्रक्रिया और पद्धतियाँ अपनाई हैं, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
4. हमारी लेखापरीक्षा जांच केवल कंपनी द्वारा लागू कानूनों के कानूनी अनुपालन तक ही सीमित है, हमने इससे संबंधित व्यावहारिक पहलुओं की जांच नहीं की है।
5. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता के साथ-साथ निर्दिष्ट कानूनों के तहत कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न प्रकटीकरणों और रिटर्न में रिपोर्ट किए गए मूल्यों और आंकड़ों की शुद्धता को सत्यापित नहीं किया है, हालांकि हमने इस तरह के रिटर्न में प्रस्तुत जानकारी पर कुछ हद तक भरोसा किया है।
6. इस लेखापरीक्षा में कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की समीक्षा नहीं की गई है, क्योंकि वे वैधानिक लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं और इस रिपोर्ट की सामग्री को कंपनी के संबंध में किसी अन्य लेखा परीक्षक/एजेंसियों/प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ पढ़ा जाना चाहिए, न कि अलग से।
7. आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रणों सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, यह अपरिहार्य जोखिम रहता है कि कुछ गलत विवरण या भौतिक गैर-अनुपालन का पता नहीं चल पाएगा, भले ही लेखापरीक्षा की योजना उचित रूप से बनाई गई हो और लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुसार निष्पादित की गई हो।
8. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से पुष्टि प्राप्त की है।
9. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है, न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों के संचालन की प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में।

वीएपी एवं एसोसिएट्स के लिए

कंपनी सचिव

एफआरएन: P2023UP098500

सहकर्मी समीक्षा संख्या: 1083/2021

पारुल जैन

मैनेजिंग पार्टनर

एम. नं. F8323

सी. पी. संख्या 13901

यूडीआईएन: F008323F001014361

दिनांक: 21.08.2024

स्थान: गाजियाबाद

# वित्तीय विवरण

## दीवान पी.एन. चोपड़ा एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

विंडसर ग्रांड, 15वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 1—सी, सेक्टर—126, नोएडा—201303, यूपी, भारत

फोन: 91—120—6456999, ई—मेल: dpnc@dpncindia-com

# स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

### राय

हमने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण (अन्य विस्तृत आय सहित), (इक्विटी में परिवर्तन का विवरण) और उस तारीख को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित वित्तीय विवरणों के संबंध में टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के तहत अपेक्षित जानकारी और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति और इसके लाभ, कुल विस्तृत आय, (इक्विटी में परिवर्तन) और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य करते हैं।

### राय का आधार

हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे दिया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ-साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो कि अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए संगत हैं, और हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई नैतिक संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों के संदर्भ में हमारी लेखा परीक्षा राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### ध्यानाकर्षण

- हम वित्तीय विवरणों में दी गई टिप्पणी संख्या 13.2.1 और 33(ख)(iii) पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत कंपनी और एमओआर के बीच ईएपी कोष से संबंधित नियम एवं शर्तें इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की तिथि तक अभी भी विचाराधीन हैं। इससे संबंधित नियमों एवं शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने तक, कंपनी ने 31 मार्च 2024 तक प्राप्त हुए ईएपी कोष को "वित्तीय देनदारियाँ—गैर—चालू" मद के अंतर्गत पेश किया है और कंपनी ने रेल मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 2020/इंफ्रा/8/5 दिनांक 02—11—2023 में तय शर्तों के आधार पर ब्याज प्रदान किया है।
- हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 11.4 पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें संस्था के अंतर्नियम के खंड 26 के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार महाराष्ट्र सरकार से इक्विटी योगदान की कमी को रेखांकित किया गया है। यह खंड स्पष्ट करता है कि कंपनी के प्रमोटर्स के बीच यह सहमति है कि किसी भी अवधि में भारत सरकार की हिस्सेदारी 26% से कम नहीं होगी और महाराष्ट्र सरकार/गुजरात सरकार की हिस्सेदारी 10% से कम नहीं होगी। हालाँकि, महाराष्ट्र सरकार ने तुलन पत्र तैयार करने

मुख्य कार्यालय:

57—एच, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली—110001, भारत दूरभाष: +91-11-23322359/1418

ईमेल: dpnc@dpncindia.com

की तिथि तक कुल शेयरधारिता का केवल 0.04% योगदान दिया है और संस्था के अंतर्नियम के अनुसार बाकी का योगदान अभी भी किया जाना है।

3. हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 33(ख)(ii) पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें बताया गया है कि कंपनी लगातार अपनी परियोजनाओं के लिए सरकारी और निजी पक्षों से भूमि अधिग्रहण करती है और भूमि के मालिकों को मौद्रिक मुआवजा देती है। निजी पक्षों के मामले में, कंपनी भूमि एवं आरएंडआर भुगतान से संबंधित कंपनी नीति के अनुसार नई संपत्ति के अनुवर्ती क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है। नई संपत्ति के अनुवर्ती क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

### वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन चर्चा व विश्लेषण में समावेशित जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट व शेयरधारकों की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। रिपोर्ट हमें इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संबंध में हमारा दायित्व अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय यह ध्यान रखना है कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षण के दौरान हमें प्राप्त जानकारी के साथ असंगत हैं या फिर यह कोई गलत बयानी है।

### वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और प्रशासन प्रभारियों के दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के प्रति उत्तरदायी है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन (अन्य विस्तृत आय सहित), (इक्विटी में परिवर्तन) और नकदी प्रवाह का सत्य एवं स्पष्ट तथ्य देते हैं।

इस दायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और कार्यान्वयन; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति हेतु प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यान्वित थे, जो वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं तथा गलत बयानी से मुक्त, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या भूल के कारण, वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित है।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन का दायित्व कंपनी के चालू समुत्थान बने रहने की क्षमता का आंकलन करने, जहां लागू हो, चालू समुत्थान से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने तथा लेखांकन के चालू समुत्थान आधार का उपयोग करने का होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को बंद करने या इसका परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख हेतु भी जिम्मेदार है।

### वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हुआ हो या किसी भूल के कारण हो, और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसम्मत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया लेखा परीक्षण हमेशा ही ऐसी भौतिक गलतबयानी का पता लगा लेगा जब भी ऐसी गलत बयानी मौजूद हो। इस प्रकार की गलत बयानी धोखाधड़ी या किसी भूल के कारण हो सकती है और उन्हें वस्तुगत माना जाता है यदि, अलग-अलग या समग्र रूप से, इनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर इसके उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा है।

मानक लेखांकन के अनुरूप लेखा परीक्षण में हमने व्यावसायिक निर्णय लिए हैं और पूरे परीक्षण के दौरान कड़ी निगरानी बनाए रखी है। हमने ये कदम भी उठाए हैं:

- वित्तीय विवरणों में गलत विवरण के जोखिमों को पहचानने और उनका आंकलन करने का प्रयास किया है, चाहे ये धोखाधड़ी के कारण हुए हो या भूल के कारण हुए हों, उन जोखिमों से निपटने वाली लेखा परीक्षण प्रक्रियाएं तय की हैं और निष्पादित की हैं, तथा ऐसे लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं जो हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के कारण गलत बयानी का पता न चल पाने का जोखिम के कारण हुई गलत बयानी के जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी के पीछे साठगांठ, जालसाजी, जानबूझ कर की गई त्रुटि, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन कारण हो सकते हैं।
- लेखा परीक्षण हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी हासिल करना ताकि ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता कितनी है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का आंकलन किया है।
- लेखांकन के लिए चालू समुत्थान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और हासिल किए गए लेखा परीक्षण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जिससे कंपनी की चालू समुत्थान बने रहने की क्षमता पर संदेह पैदा हो सकता है। यदि हम पाते हैं कि कोई वस्तुगत अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरण के संबंधित हिस्से की ओर अथवा यदि ऐसे खुलासे हमारा मत बदलने में अपर्याप्त हैं, तो इस ओर भी ध्यान दिलाना होगा। हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। हालांकि भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां कंपनी को जारी रखे जाने से रोक सकती हैं।
- स्पष्टीकरण सहित समग्र वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन, और इस बात का भी आंकलन करना कि क्या वित्तीय विवरण निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए लेनदेन और अन्य मामलों को दर्शाता है या नहीं।

वस्तुगतता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जिससे अलग-अलग या समग्र रूप से ऐसी संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के किसी जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षण के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में चिह्नित किए गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखा परीक्षण के नियोजित दायरे और परीक्षण के दौरान सामने आई आंतरिक नियंत्रण में कोई बड़ी कमी सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में उन लोगों से संपर्क करते हैं, जिन्हें इस संबंध में प्रशासन का जिम्मा दिया गया है।

हम प्रशासन से संबंधित लोगों को एक विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों पर संपर्क किया है, जो हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों की भी जानकारी दी है।

## अन्य मामले

1. वैधानिक लेखा परीक्षा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवश्यक दस्तावेज/सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था करके की गई थी। कंपनी ने हमें ई-मेल और कंपनी के रिमोट सुरक्षित नेटवर्क के जरिए निम्नलिखित जानकारी/रिकॉर्ड/दस्तावेज/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए हैं:
  - क) आवश्यक रिकॉर्ड/दस्तावेजों, विलेखों, प्रमाणपत्रों और संबंधित रिकॉर्ड की स्कैन की गई कॉपी, ई-मेल या कंपनी के रिमोट सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराए हैं; तथा
  - ख) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन, ई-मेल और इसी तरह के संचार चैनलों पर संवाद एवं चर्चा के माध्यम से पूछताछ के माध्यम से।

प्रबंधन ने यह भी कहा है कि हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराए गए डेटा और जानकारी सत्य, पूर्ण, विश्वसनीय हैं और बिना किसी और मैनुअल संशोधन के सीधे कंपनी की लेखा प्रणाली से तैयार किए जाते हैं, रिकॉर्ड और फाइलों से निकाली जाती है, ताकि इसकी अखंडता, प्रामाणिकता, पठनीयता और पूर्णता बनी रहे। इसके अलावा, विभिन्न आंतरिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट/निरीक्षण रिपोर्ट/अन्य रिपोर्ट (जैसा लागू हो) की हमारी समीक्षा के आधार पर, हमारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रिया पर्याप्त नहीं होगी।

## 2. तुलनात्मक जानकारी का लेखा परीक्षण करने वाले अगले लेखा परीक्षक:

इन वित्तीय विवरणों में शामिल 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण "एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स" द्वारा 20 जुलाई, 2023 की उनकी असंशोधित रिपोर्टों के माध्यम से किए गए और रिपोर्ट किए गए, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और जिन पर हमने इन वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा हेतु भरोसा किया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

## अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- हमने अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अनुपालन को 'अनुलग्नक-क' में दिया है।
- केंद्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 11 के तहत जारी कम्पनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट आदेश, 2020 ("आदेश") की अपेक्षा अनुसार हमने आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में दर्शाए मामलों के बारे में लागू होने की सीमा तक, "अनुलग्नक-ख" में विवरणी दी है।
- अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थे।
- हमारी राय में, कंपनी के पास कानून द्वारा अपेक्षित पर्याप्त लेखा परीक्षण पुस्तकें हैं, जैसा कि इन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ (ज)(vi) में बताए गए मामलों को छोड़कर।
- इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण (अन्य विस्तृत आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण, लेखा पुस्तकों में उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुरूप हैं।
- हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;
- सरकारी कंपनी होने के नाते, 'क्या कोई निदेशक, निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य है; के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के मद्देनजर कंपनी पर लागू नहीं है।
- अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी पर लागू नहीं होंगे।
- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक-ग" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।
- कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
  - कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है—वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 33(ख) देखें;
  - कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई भी लंबी अवधि का अनुबंध नहीं था, जिसके लिए किसी पूर्वानुमानित हानि हुई हो।
  - ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित था।
  - क) प्रबंधन ने ऐसा दर्शाया है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों में दी गई टिप्पणियों में प्रकटीकरण किया गया है, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हैं) कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('मध्यस्थ') शामिल हैं, अग्रिम या ऋण के रूप में नहीं दिया गया है या निवेश नहीं किया गया है, चाहे इसका रिकॉर्ड लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, जिसे कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से चिह्नित किए गए अन्य व्यक्तियों या

संस्थाओं ('अंतिम लाभार्थी') को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण किया जाएगा या निवेश किया जाएगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान किया जाएगा;

- ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों में दी गई टिप्पणियों में प्रकटीकरण किया गया है, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) से कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('वित्त पोषण पक्ष') शामिल हैं, इस विचार के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से चिह्नित किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी; तथा
- ग) परिस्थितियों में उचित एवं समुचित मानी गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खण्ड (i) एवं (ii) के अन्तर्गत प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई भी तथ्यात्मक गलत कथन है।
- v) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा लाभांश घोषित नहीं किया गया और न ही इसका भुगतान किया गया।
- vi) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने अपनी खाताबही को बनाए रखने हेतु एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखा परीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) की सुविधा है। हालाँकि, विवरण/साक्ष्य के अभाव में, हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

दीवान पी.एन. चोपड़ा एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
फर्म पंजीकरण संख्या 000472N

संदीप दहिया  
साझेदार  
सदस्यता संख्या 505371  
यूडीआईएन: 24505371BKAPQC7941

दिनांक: 21.08.2024  
स्थान: नोएडा

### स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का “अनुलग्नक-क”

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर हमारी इसी दिनांक की रिपोर्ट के “अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” खंड के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक।

| क्र.सं. | दिशा-निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | लेखा परीक्षक के उत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i)      | क्या कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के जरिए सभी लेनदेन की लेखांकन प्रक्रिया की उपयुक्त प्रणाली है? यदि हां, तो लेखे के साथ साथ वित्तीय पक्षों की प्रमाणिकता पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से अलग लेनदेन लेखांकन प्रक्रिया का प्रभाव, यदि कोई है, तो उल्लेख किया जा सकता है।                                                                                                 | हमारे लेखापरीक्षा के दौरान, हमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला जिससे यह माना जाए कि आईटी प्रणाली के जरिए सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने हेतु कंपनी के पास प्रणाली मौजूद नहीं है। हमारे लेखापरीक्षा और प्रासंगिक अभिलेखों की जांच के आधार पर, हमारी राय में सभी लेखांकन लेनदेन का लेखा आईटी प्रणाली के जरिए किया जाता है और खातों की अखंडता पर इसके वित्तीय प्रभाव हमारे द्वारा नहीं पाया गया। |
| ii)     | क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/माफी/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डाला गया है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का उचित विवरण दिया जाता है? (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)। | वर्तमान में, कंपनी द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया है और इसलिए, पुनर्गठन, माफी या छूट या कर्ज या ऋण या ब्याज, आदि का कोई मामला नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                          |
| iii)    | क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/मिलने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? यदि नहीं, तो ऐसे मामलों का उल्लेख करें।                                                                                                                                                   | वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्र/राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के लिए धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए, संवितरण के नियमों और शर्तों के अनुसार इस प्रकार प्राप्त निधियों के लेखांकन/उपयोग के लिए कोई प्रयोज्यता नहीं है।                                                                                                                                                         |

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का “अनुलग्नक—ख”

(जैसा कि हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के शीर्षक “अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” के पैराग्राफ—1 में संदर्भित है)

कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण पेश करने के उद्देश्य से की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा लेखा परीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांची गई खाता बहियों और अन्य रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख) प्रबंधन ने पर्याप्त अंतराल पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया है और इस दौरान किसी भी तरह की भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं। हमने सभी भूमि (चाहे वह कंपनी या ठेकेदार के नियंत्रण में हो) के सत्यापन हेतु वैकल्पिक प्रक्रियाओं का भी इस्तेमाल किया है।

ग) हमारे द्वारा संपत्ति की कर रसीदों और जिस भूमि पर भवन का निर्माण किया गया है, उसके पट्टा समझौते, हमें प्रदान किए गए पंजीकृत विक्रय विलेख/अंतरण विलेख/स्थानांतरण विलेख की जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, स्वयं निर्मित भवनों से संबंधित स्वत्व और अन्य सभी अचल संपत्तियों के स्वत्व विलेख (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं), जिनका संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत शामिल वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, तुलन पत्र की तारीख तक कंपनी के नाम पर हैं, निम्नलिखित को छोड़कर:

| संपत्ति के मद का विवरण | सकल वहन मूल्य (रु लाख में) | स्वत्व विलेख किसके नाम पर है | क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी हैं | संपत्ति किस तारीख से धारित है | कंपनी के नाम पर धारित न किए जाने का कारण   |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| भूमि—फ्रीहोल्ड         | 2,53,199.53                | परियोजना से प्रभावित व्यक्ति | नहीं                                                                     | *                             | स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है |
| भूमि—फ्रीहोल्ड         | 38,359.32                  | गुजरात सरकार                 | हाँ                                                                      | *                             | स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है |

फ्रीहोल्ड भूमि में परियोजना से प्रभावित विभिन्न व्यक्तियों और सरकारी विभागों से ली गई भूमि शामिल है, जिसे अलग-अलग तिथियों को अधिग्रहित किया गया है, इसलिए ऐसे अधिग्रहण का तिथिवार प्रकटीकरण नहीं दर्शाया गया है।

**टिप्पणी:** इसमें संपत्ति की वे मदें शामिल नहीं हैं जहां स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और न ही पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, केवल उपयोग के अधिकार की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

घ) कंपनी वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) या अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर रही है, इसलिए पैराग्राफ 3 (1) (डी) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

ङ) प्रबंधन के अभ्यावेदन के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने को लेकर कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है, इसलिए पैराग्राफ 3 (1) (ई) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

ii) क) कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(ए) के तहत टिप्पणी लागू नहीं है।

- ख) लेखा बही और रिकॉर्ड की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है और कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दायर तिमाही रिटर्न या विवरण कंपनी की खाता बहीयों के अनुरूप हैं।
- iii) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित। तदनुसार, आदेश के खंड (iii)(ए), (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- iv) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति से संबंधित ऐसा कोई भी लेनदेन नहीं किया है जिससे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन लागू होता है। तदनुसार आदेश के खंड (iv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- v) कंपनी ने कोई जमा या जमा मानी जाने वाली राशि स्वीकार नहीं की है; इसलिए आदेश का पैराग्राफ 3(अ) लागू नहीं होता है।
- vi) हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और जैसा कि स्पष्ट किया गया है, केन्द्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव करना निर्दिष्ट नहीं किया है।
- vii) क) हमारी राय में, कंपनी सामान्यतः उचित प्राधिकरणों के पास निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित रही है, जिसमें माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य लागू वैधानिक बकाया शामिल हैं।  
31 मार्च 2023 तक माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि बकाया नहीं थी, जो उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि तक बकाया हो।
- ख) लेखा बहीयों और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, उपखंड (क) में निर्दिष्ट कोई बकाया राशि किसी विवाद के कारण जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- viii) लेखा बहीयों और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो लेखा बहीयों में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में दर्शाया या प्रकट किया गया हो, इसलिए खंड 3 (viii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- ix) क) लेखा बहीयों और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर और हमारी राय में, किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य ऋण के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।  
ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा इरादतन ऋण न चुकाने वाली कंपनी घोषित नहीं किया गया है।  
ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।  
घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अल्पकालिक ऋण नहीं लिया है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।  
ङ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की जांच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों से संबंधी दायित्वों को पूरा करने हेतु किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।  
च) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं जुटाया है।

- x) क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधनों सहित) के जरिए धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- ख) उपलब्ध कराए गए विवरण के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों का आवंटन किया है और सिवाय निम्नलिखित के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 तथा धारा 62 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, और जुटाई गई धनराशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया गया है जिनके लिए यह धनराशि जुटाई गई थी।

| प्रतिभूतियों की प्रकृति | पेशकश का प्रकार              | राशि (लाख में) | गैर-अनुपालन की प्रकृति                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इक्विटी शेयर            | निजी/अधिमान्य/अन्य प्लेसमेंट | 59456.00       | कंपनी अधिनियम की धारा 42 में दी गई समय सीमा के भीतर शेयरों का आवंटन नहीं किया गया है और धनराशि अलग बैंक खाते में जमा नहीं की गई है। |
| इक्विटी शेयर            | निजी/अधिमान्य/अन्य प्लेसमेंट | 20001.00       | शेयरों का आवंटन समय सीमा के भीतर किया गया है, लेकिन धनराशि अलग बैंक खाते में जमा नहीं की गई है।                                     |

- xi) क) हमारी राय में, हमारी लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है या कंपनी पर धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है या रिपोर्ट किया गया है।
- ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के समक्ष दायर नहीं की गई है।
- xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश का पैराग्राफ 3(xii) लागू नहीं होता।
- xiii) कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर तथा हमारी राय में, संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुरूप हैं, जहां लागू हो तथा ऐसे लेन-देनों का विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है।
- xiv) क) हमारी राय में तथा हमारी जांच के आधार पर, कंपनी में उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।
- ख) हमने लेखा परीक्षा अवधि के लिए कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टों पर विचार किया है।
- xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- xvi) क) कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।
- ख) कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।
- ग) कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है और तदनुसार सीआईसी के मानदंडों को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- घ) कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, समूह के हिस्से के रूप में कोई सीआईसी नहीं है और इसलिए खंड 3 (xvi) (घ) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- xvii) कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

- xviii) वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है, अतः यह खंड लागू नहीं होता।
- xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की समय-सीमा तथा अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं से संबंधित हमारी जानकारी का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी ऐसी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम यहां स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता को लेकर कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे स्पष्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा।
- xx) क) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, अव्ययित शेष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के अंतर्गत जारी परियोजनाओं के अलावा किसी अन्य पर खर्च नहीं किया गया है। इसलिए, आदेश के खंड (xx) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- ख) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के अंतर्गत जारी परियोजना के अंतर्गत अव्ययित शेष 120.05 लाख रुपए की राशि को उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधानों के अनुपालन में विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।

दीवान पी.एन. चोपड़ा एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 000472N

संदीप दहिया

साझेदार

सदस्यता संख्या 505371

यूडीआईएन: 24505371BKAPQC7941

दिनांक: 21.08.2024

स्थान: नोएडा

## समान तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक—ग

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने समान तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के साथ 31 मार्च, 2024 तक नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण किया है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी गाइडेंस नोट के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और उन्हें बनाए रखने के प्रति जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा तय करना, उनका कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है, जो इसके व्यवसाय के सुचारु और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा सकें। इनमें कंपनी की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसम्पत्तियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और पूर्णता, और अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना भी शामिल है।

### लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय जाहिर करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखा परीक्षा के बारे में जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत 'आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखा परीक्षा के लिए व्यवहार्य सीमा तक निर्धारित समझे गए, परामर्श टिप्पणी ("गाइडेंस नोट") और लेखांकन मानकों के अनुसार की है। ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। ये मानक और गाइडेंस नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम उद्देश्यपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षण योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कायम किए गए और बनाए रखे गए तथा सभी महत्वपूर्ण मामलों में संचालित किए गए।

हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उसकी प्रचालनगत सक्षमता के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी खामी के जोखिम का आंकलन करना, और आंकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और उसकी प्रचालनगत क्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के बारे में गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, के जोखिम का आंकलन शामिल होता है।

हमें विश्वास है कि हमें जो लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने और सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए तय की जाती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) ऐसे रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित हो, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन तथा उसकी स्थिति को सही-सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हों; (2) इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि उनके लेनदेन का रिकार्ड आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार, वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यक रूप से रखा गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कम्पनी प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनधिकृत अर्जन, इस्तेमाल या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला हो।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव का कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

### हमारी राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी विषयगत पहलुओं के संदर्भ में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर निर्देशित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचाराधीन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी ढंग से परिचालन में थे।

दीवान पी.एन. चोपड़ा एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
फर्म पंजीकरण संख्या 000472N

संदीप दहिया  
साझेदार  
सदस्यता संख्या 505371  
यूडीआईएन: 24505371BKAPQC7941

दिनांक: 21.08.2024  
स्थान: नोएडा

## 31 मार्च 2024 को तुलन पत्र

राशि (रु. लाख में)

| विवरण |                                                                             | नोट सं. | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक | 1 अप्रैल 2022 तक* |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| I.    | परिसंपत्तियां                                                               |         |                  |                  |                   |
| 1.    | गैर-चालू परिसंपत्तियां                                                      |         |                  |                  |                   |
|       | (क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर                                            | 3       | 10,13,007.35     | 9,25,078.17      | 8,01,281.42       |
|       | (ख) जारी पूँजीगत कार्य                                                      | 4       | 41,93,392.59     | 25,99,983.86     | 10,17,133.19      |
|       | (ग) अन्य अमूर्त संपत्तियां                                                  | 5.1     | 5,511.68         | 6,685.63         | 7,008.10          |
|       | (घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां                                          | 5.2     | 509.36           | 509.36           | —                 |
|       | (ङ.) राइट-ऑफ-यूज एसेट                                                       | 5.3     | 21,084.98        | 20,397.45        | 20,971.92         |
|       | (च) वित्तीय परिसंपत्तियां                                                   | 6       |                  |                  |                   |
|       | (i) ऋण                                                                      | 6.1     | 24.73            | 25.69            | 27.66             |
|       | (ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां                                             | 6.2     | 411.46           | 227.88           | 534.44            |
|       | (छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)                                        | 7       | 149.78           | 283.67           | 404.56            |
|       | (ज) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां                                          | 8       | 8,04,546.56      | 6,42,953.43      | 6,48,048.47       |
|       |                                                                             |         | 60,38,638.49     | 41,96,145.14     | 24,95,409.76      |
| 2.    | चालू परिसंपत्तियां                                                          |         |                  |                  |                   |
|       | (क) वित्तीय परिसंपत्तियां                                                   | 9       |                  |                  |                   |
|       | (i) व्यापार प्राप्य                                                         | 9.1     | —                | —                | —                 |
|       | (ii) नकद और नकद समतुल्य                                                     | 9.2     | 65,197.14        | 57,288.19        | 2,97,110.76       |
|       | (iii) उपरोक्त (ii) के अतिरिक्त बैंक शेष                                     | 9.3     | 124.90           | 89.32            | 20,308.17         |
|       | (iv) ऋण                                                                     | 9.4     | 3.85             | 3.85             | 3.85              |
|       | (v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां                                              | 9.5     | 13,845.02        | 897.74           | 1,016.77          |
|       | (ख) चालू-कर परिसंपत्तियां (निविल)                                           | 19      | —                | 373.98           | 492.94            |
|       | (ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां                                                 | 10      | 596.94           | 10,424.29        | 8,057.64          |
|       |                                                                             |         | 79,767.85        | 69,077.37        | 3,26,990.13       |
|       | कुल परिसंपत्तियां                                                           |         | 61,18,406.34     | 42,65,222.51     | 28,22,399.89      |
| II.   | इक्विटी और देयता                                                            |         |                  |                  |                   |
| 1.    | इक्विटी                                                                     |         |                  |                  |                   |
|       | (क) इक्विटी शेयर पूँजी                                                      | 11      | 15,00,600.00     | 14,21,143.00     | 12,93,000.00      |
|       | (ख) अन्य इक्विटी                                                            | 12      | 31,309.31        | 52,850.50        | 39,058.03         |
|       |                                                                             |         | 15,31,909.31     | 14,73,993.50     | 13,32,058.03      |
| 2.    | देयताएं                                                                     |         |                  |                  |                   |
| (i)   | गैर-चालू देयताएं                                                            |         |                  |                  |                   |
|       | (क) वित्तीय देयताएं                                                         | 13      |                  |                  |                   |
|       | (i) पट्टा देयताएं                                                           | 13.1    | 1,096.28         | 867.76           | 1,414.81          |
|       | (ii) व्यापार देय                                                            |         |                  |                  |                   |
|       | (क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि; और                    |         | —                | —                | —                 |
|       | (ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि |         | —                | —                | —                 |
|       | (iii) अन्य                                                                  | 13.2    | 43,59,023.53     | 25,30,799.86     | 13,20,523.08      |
|       | (ख) अन्य चालू देनदारियां                                                    | 14      | 1,257.06         | 791.96           | 751.45            |
|       | (ग) प्रावधान-चालू                                                           |         | —                | —                | —                 |
|       | (घ) चालू कर देयता (निविल)                                                   | 15      | —                | —                | 8.75              |
|       |                                                                             |         | 43,61,376.87     | 25,32,459.58     | 13,22,698.09      |
| (ii)  | चालू देनदारियां                                                             |         |                  |                  |                   |
|       | (क) वित्तीय देयताएं                                                         | 16      |                  |                  |                   |
|       | (i) पट्टा देयताएं                                                           | 16.1    | 945.46           | 831.96           | 682.03            |
|       | (ii) व्यापार देय                                                            | 16.2    |                  |                  |                   |
|       | (क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि; और                    |         | —                | —                | —                 |
|       | (ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि |         | —                | —                | —                 |
|       | (iii) अन्य                                                                  | 16.3    | 1,99,275.40      | 2,32,441.41      | 1,43,469.35       |
|       | (ख) अन्य चालू देनदारियां                                                    | 17      | 24,041.02        | 25,145.05        | 23,213.76         |
|       | (ग) प्रावधान-चालू                                                           | 18      | 456.20           | 351.01           | 278.63            |
|       | (घ) चालू कर देयता (निविल)                                                   | 19      | 402.08           | —                | —                 |
|       |                                                                             |         | 2,25,120.16      | 2,58,769.43      | 1,67,643.77       |
|       | कुल इक्विटी और देयताएं                                                      |         | 61,18,406.34     | 42,65,222.51     | 28,22,399.89      |

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| सामान्य सूचना                              | 1       |
| प्रमुख लेखांकन नीतियों का सारांश           | 2       |
| वित्तीय विवरण निर्मित करने वाले भाग के नोट | 1 से 43 |

\*पुनः उद्धृत नोट 41 देखें

यह हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र है।

दीवान पी.एन. चोपड़ा एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
एफआरएन: **000472N**

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

साझेदार: संदीप दहिया  
सदस्यता सं.: **505371**

विवेक कुमार गुप्ता  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन: **10423972**

विवेक प्रकाश त्रिपाठी  
निदेशक वित्त एवं सीएफओ  
डीआईएन: **10216466**

सुमीता शर्मा  
कंपनी सचिव  
सदस्यता सं.: **FCS5250**

स्थान: नई दिल्ली  
तारीख: 21.08.2024

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि का विवरण

राशि (रु लाख में)

| विवरण |                                                                                              | नोट सं. | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु* |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|
| I     | प्रचालनों से राजस्व                                                                          | 20.1    | 12,765.55                         | —                                  |
| II    | अन्य आय                                                                                      | 20.2    | 12,992.16                         | 8,588.11                           |
| III   | <b>कुल आय (I + II)</b>                                                                       |         | <b>25,757.71</b>                  | <b>8,588.11</b>                    |
|       | व्यय                                                                                         |         |                                   |                                    |
|       | कर्मचारी लाभ व्यय                                                                            | 21      | 258.79                            | 240.65                             |
|       | वित्तीय लागत                                                                                 | 22      | 2.57                              | 16.28                              |
|       | मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय                                                                   | 23      | 52.20                             | 193.17                             |
|       | अन्य व्यय                                                                                    | 24      | 14,549.04                         | 2,475.75                           |
| IV    | <b>कुल व्यय (IV)</b>                                                                         |         | <b>14,862.60</b>                  | <b>2,925.85</b>                    |
| V     | असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)                                                |         | <b>10,895.11</b>                  | <b>5,662.26</b>                    |
| VI    | असाधारण मदें                                                                                 |         | —                                 | —                                  |
| VII   | <b>कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)</b>                                                            |         | <b>10,895.11</b>                  | <b>5,662.26</b>                    |
| VIII  | कर व्यय:                                                                                     |         |                                   |                                    |
|       | (1) चालू कर                                                                                  | 25      | 2,738.47                          | 1,042.61                           |
|       | (2) आस्थगित कर                                                                               | 25      | 140.81                            | 129.74                             |
| IX    | <b>चालू प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ/(हानि) (VII-VIII)</b>                                     |         | <b>8,015.83</b>                   | <b>4,489.91</b>                    |
| X     | असतत प्रचालनों से लाभ/(हानि)                                                                 |         | —                                 | —                                  |
| XI    | असतत प्रचालनों का कर व्यय                                                                    |         | —                                 | —                                  |
| XII   | असतत प्रचालनों से लाभ/(हानि) (X-XI)                                                          |         | —                                 | —                                  |
| XIII  | <b>अवधि हेतु लाभ/(हानि) (IX + XII)</b>                                                       |         | <b>8,015.83</b>                   | <b>4,489.91</b>                    |
| XIV   | अन्य विस्तृत आय                                                                              |         |                                   |                                    |
|       | क. (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा                         | 26      | (27.47)                           | (35.15)                            |
|       | (ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा           | 26      | 6.91                              | 8.85                               |
|       | ख. (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा                              |         | —                                 | —                                  |
|       | (ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा                |         | —                                 | —                                  |
| XV    | <b>अवधि हेतु कुल विस्तृत आय (XIII + XIV) (अवधि हेतु लाभ (हानि) और अन्य विस्तृत आय शामिल)</b> |         | <b>7,995.27</b>                   | <b>4,463.61</b>                    |
| XVI   | प्रति इक्विटी शेयर आय:                                                                       |         |                                   |                                    |
|       | (सतत प्रचालन हेतु)                                                                           |         |                                   |                                    |
|       | (1) मूल (रु. में) (शेयर का अंकित मूल्य रु. 1,000)                                            | 27      | 5.37                              | 3.27                               |
|       | (2) द्रवीकृत (रु. में) (शेयर का अंकित मूल्य रु. 1,000)                                       | 27      | 5.37                              | 3.27                               |
| XVII  | प्रति इक्विटी शेयर आय:                                                                       |         |                                   |                                    |
|       | (असतत प्रचालनों हेतु)                                                                        |         |                                   |                                    |
|       | (1) मूल (रु. में) (शेयर का अंकित मूल्य रु. 1,000)                                            |         | —                                 | —                                  |
|       | (2) द्रवीकृत (रु. में) (शेयर का अंकित मूल्य रु. 1,000)                                       |         | —                                 | —                                  |
| XVIII | प्रति इक्विटी शेयर आय:                                                                       |         |                                   |                                    |
|       | (सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु)                                                                |         |                                   |                                    |
|       | (1) मूल (रु. में) (शेयर का अंकित मूल्य रु. 1,000)                                            | 27      | 5.37                              | 3.27                               |
|       | (2) द्रवीकृत (रु. में) (शेयर का अंकित मूल्य रु. 1,000)                                       | 27      | 5.37                              | 3.27                               |

वित्तीय विवरण निर्मित करने वाले भाग के नोट 1 से 43

\*पुनः उद्धृत नोट 41 देखें

यह हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट में उल्लिखित लाभ एवं हानि का विवरण है।

दीवान पी.एन. चोपड़ा एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन: 000472N

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

साझेदार: संदीप दहिया  
सदस्यता सं.: 505371

विवेक कुमार गुप्ता  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन: 10423972

विवेक प्रकाश त्रिपाठी  
निदेशक वित्त एवं सीएफओ  
डीआईएन: 10216466

सुमीता शर्मा  
कंपनी सचिव  
सदस्यता सं.: FCS5250

स्थान: नई दिल्ली  
तारीख : 21.08.2024

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का विवरण

राशि (रु लाख में)

| विवरण                                                                                                | 31 मार्च 2024 को<br>समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को<br>समाप्त वर्ष हेतु |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>                                                          |                                      |                                      |
| असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ                                                                        | 10,895.11                            | 5,662.26                             |
| <b>समायोजन:</b>                                                                                      |                                      |                                      |
| मूल्यहास एवं परिशोधन                                                                                 | 52.20                                | 193.17                               |
| करों पर ब्याज                                                                                        | —                                    | 0.90                                 |
| एचबीए परिसंपत्तियों पर ब्याज आय (इंडएएस समायोजन)                                                     | (0.99)                               | (1.02)                               |
| ब्याज से आय                                                                                          | (14,635.76)                          | (9,622.14)                           |
| अन्य व्यापक मदें                                                                                     | (20.56)                              | (35.15)                              |
| पट्टा देयता पर ब्याज                                                                                 | 2.57                                 | 2.49                                 |
| वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज से आय                                                                 | (20.65)                              | (21.13)                              |
| पट्टा संशोधन                                                                                         | —                                    | (1.77)                               |
| उचित मूल्य समायोजन—सुरक्षा जमा                                                                       | 0.39                                 | 0.40                                 |
| <b>प्रचालनात्मक पूँजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ</b>                                       | <b>(3,727.69)</b>                    | <b>(3,821.99)</b>                    |
| <b>समायोजन:</b>                                                                                      |                                      |                                      |
| वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)—अन्य                                                          | (13,312.93)                          | (27.08)                              |
| अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)                                                             | 9,789.50                             | (2,384.72)                           |
| गैर चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)                                                              | (75.74)                              | 15.78                                |
| वित्तीय परिसंपत्ति ऋण में कमी/(वृद्धि)                                                               | 1.95                                 | 2.99                                 |
| नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष में कमी/(वृद्धि)                                              | (35.58)                              | 16.56                                |
| वित्तीय दायित्व में (कमी)/वृद्धि—अन्य                                                                | (34,442.37)                          | 99,266.37                            |
| प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि                                                                          | 570.29                               | 112.89                               |
| अन्य चालू देयता में (कमी)/वृद्धि                                                                     | (1,104.03)                           | 1,931.27                             |
| गैर चालू देयता में (कमी)/वृद्धि                                                                      | —                                    | (8.75)                               |
| <b>कुल समायोजन</b>                                                                                   | <b>(38,608.91)</b>                   | <b>98,925.31</b>                     |
| <b>प्रचालनों से सृजित नकदी</b>                                                                       | <b>(42,336.60)</b>                   | <b>95,103.32</b>                     |
| प्रदत्त आय कर                                                                                        | (1,969.32)                           | (924.55)                             |
| <b>प्रचालनात्मक गतिविधियों से सृजित कुल नकदी</b>                                                     | <b>(44,305.92)</b>                   | <b>94,178.77</b>                     |
| <b>ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>                                                            |                                      |                                      |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों और सीडब्ल्यूआईपी की खरीद (बिक्री पश्चात निवल) | (16,79,452.52)                       | (17,05,971.82)                       |
| परियोजना कार्य एवं पूंजीगत मदों के लिए पूंजीगत अग्रिम                                                | (1,61,517.39)                        | 5,079.26                             |
| नकदी और नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक शेष में परिवर्तन                                                | —                                    | 20,202.29                            |
| ब्याज से आय                                                                                          | 14,838.48                            | 10,095.94                            |
| <b>निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त कुल नकद</b>                                                         | <b>(18,26,131.43)</b>                | <b>(16,70,594.33)</b>                |
| <b>ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>                                                          |                                      |                                      |
| इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्त आय                                                           | 50,000.00                            | 1,08,143.00                          |
| शेयर अनुप्रयोग धन लम्बित आवंटन                                                                       | —                                    | 29,457.00                            |
| शेयर निर्गमन व्यय                                                                                    | (79.46)                              | (145.64)                             |
| रेल मंत्रालय की ओर से अग्रिम/ईएपी                                                                    | 18,29,500.00                         | 12,00,000.00                         |
| पट्टा देयता पर ब्याज                                                                                 | (144.16)                             | (157.78)                             |
| पट्टा देयता पर भुगतान                                                                                | (930.08)                             | (703.59)                             |
| <b>वित्तीय गतिविधियों से सृजित निवल नकदी</b>                                                         | <b>18,78,346.30</b>                  | <b>13,36,592.99</b>                  |

| विवरण                                                  | 31 मार्च 2024 को<br>समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को<br>समाप्त वर्ष हेतु |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क + ख + ग) | 7,908.95                             | (2,39,822.57)                        |
| प्रारंभिक नकद और नकद समतुल्य                           | 57,288.19                            | 2,97,110.76                          |
| अन्तिम नकदी तथा नकदी समतुल्य                           | 65,197.14                            | 57,288.19                            |
| नकद एवं नकद समतुल्य में शामिल हैं                      |                                      |                                      |
| हस्तगत मुद्रा:                                         |                                      |                                      |
| बैंकों में शेष:                                        |                                      |                                      |
| – चालू खाते में                                        | 36,623.50                            | 1,444.81                             |
| – फ्लेक्सी खातों में                                   | 28,558.29                            | 35,828.60                            |
| – तीन माह से कम मूल परिपक्वता सहित सावधि जमा           | —                                    | 20,000.00                            |
| – अग्रदाय खातों में                                    | 15.35                                | 14.78                                |
| तुलन पत्र के अनुसार नकदी तथा नकदी समतुल्य              | 65,197.14                            | 57,288.19                            |

**टिप्पणियाँ:** नकदी प्रवाह विवरण कॉरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नकदी प्रवाह विवरण पर इंड एस-7 में निर्धारित के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है। 31 मार्च 2024 के अनुसार वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों का समाधान नोट 28 (ii) में प्रस्तुत किया गया है।

‘पुनः उद्धृत नोट 41 देखें

यह हमारी इसी दिनांक की रिपोर्ट में उल्लिखित नकदी प्रवाह का विवरण है।

दीवान पी.एन. चोपड़ा एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन: 000472N

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

साझेदार: संदीप दहिया  
सदस्यता सं.: 505371

विवेक कुमार गुप्ता  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन: 10423972

विवेक प्रकाश त्रिपाठी  
निदेशक वित्त एवं सीएफओ  
डीआईएन: 10216466

सुमीता शर्मा  
कंपनी सचिव  
सदस्यता सं.: FCS5250

स्थान: नई दिल्ली  
तारीख : 21.08.2024

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

### क. इक्विटी शेयर पूंजी

| विवरण                                   | वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष | पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष | चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| शेयरों की संख्या (संख्या)               | 14,21,14,300                              | —                                                               | 14,21,14,300                                         | 79,45,700                                          | 15,00,60,000.00                        |
| शेयर पूंजी की राशि (राशि लाख रुपये में) | 14,21,143.00                              | —                                                               | 14,21,143.00                                         | 79,457.00                                          | 15,00,600.00                           |

### ख. अन्य इक्विटी

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                              | आरक्षी एवं अधिशेष |              | शेयर अनुप्रयोग धन लंबित आबंटन | कुल         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------|
|                                                                    | सामान्य आरक्षी    | अनुरक्षित आय |                               |             |
| वर्ष के प्रारम्भ में शेष                                           | —                 | 24,478.65    | 29,457.00                     | 53,935.65   |
| लेखांकन नीति में परिवर्तन अथवा अवधि पूर्व त्रुटियाँ (नोट 41 देखें) | —                 | (1,085.15)   | —                             | (1,085.15)  |
| वर्ष के आरंभ में पुनः घोषित शेष                                    | —                 | 23,393.50    | 29,457.00                     | 52,850.50   |
| वर्ष हेतु लाभ                                                      | —                 | 8,015.83     | —                             | 8,015.83    |
| वर्ष हेतु अन्य विस्तृत आय (आयकर के बाद निवल)                       | —                 | (20.56)      | —                             | (20.56)     |
| वर्ष हेतु कुल विस्तृत आय                                           | —                 | 7,995.28     | —                             | 7,995.28    |
| अवधि के दौरान प्राप्त शेयर अनुप्रयोग धन                            | —                 | —            | 50,000.00                     | 50,000.00   |
| वर्ष के दौरान निर्गत शेयर                                          | —                 | —            | (79,457.00)                   | (79,457.00) |
| शेयर निर्गमन व्यय                                                  | —                 | (79.46)      | —                             | (79.46)     |
| वर्ष के अंत में शेष                                                | —                 | 31,309.32    | —                             | 31,309.32   |

यह हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट में उल्लिखित इक्विटी में परिवर्तन का विवरण है।

दीवान पी.एन. चोपड़ा एंड कंपनी के लिए  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
 एफआरएन: 000472N

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

साझेदार: संदीप दहिया  
 सदस्यता सं.: 505371

विवेक कुमार गुप्ता  
 प्रबंध निदेशक  
 डीआईएन: 10423972

विवेक प्रकाश त्रिपाठी  
 निदेशक वित्त एवं सीएफओ  
 डीआईएन: 10216466

सुमीता शर्मा  
 कंपनी सचिव  
 सदस्यता सं.: FCS5250

स्थान: नई दिल्ली  
 तारीख: 21.08.2024

## 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

### क. इक्विटी शेयर पूंजी

| विवरण                                   | वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष | पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष | चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| शेयरों की संख्या (सं.)                  | 12,93,00,000                              | —                                                               | 12,93,00,000                                         | 1,28,14,300                                        | 14,21,14,300.00                        |
| शेयर पूंजी की राशि (राशि लाख रुपये में) | 12,93,000                                 | —                                                               | 12,93,000                                            | 1,28,143                                           | 14,21,143                              |

### ख. अन्य इक्विटी

| विवरण                                                              | आरक्षी एवं अधिशेष |                  | शेयर अनुप्रयोग धन लंबित आबंटन | कुल              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
|                                                                    | सामान्य आरक्षी    | अनुरक्षित आय     |                               |                  |
| वर्ष के प्रारम्भ में शेष                                           | —                 | 19,253.77        | 20,000.00                     | 39,253.77        |
| लेखांकन नीति में परिवर्तन अथवा अवधि पूर्व त्रुटियाँ (नोट 41 देखें) | —                 | (195.76)         | —                             | (195.76)         |
| वर्ष के प्रारम्भ में पुनः घोषित शेष                                | —                 | <b>19,058.01</b> | <b>20,000.00</b>              | <b>39,058.01</b> |
| वर्ष हेतु लाभ (पुनः घोषित)                                         | —                 | 4,489.92         | —                             | 4,489.92         |
| वर्ष हेतु अन्य विस्तृत आय (आयकर के बाद शुद्ध)                      | —                 | (26.30)          | —                             | (26.30)          |
| वर्ष हेतु कुल विस्तृत आय                                           | —                 | <b>4,463.62</b>  | —                             | <b>4,463.62</b>  |
| अवधि के दौरान प्राप्त शेयर अनुप्रयोग धन                            | —                 | —                | 1,37,600.00                   | 1,37,600.00      |
| वर्ष के दौरान निर्गत शेयर                                          | —                 | —                | (1,28,143.00)                 | (1,28,143.00)    |
| शेयर निर्गमन व्यय                                                  | —                 | (128.14)         | —                             | (128.14)         |
| वर्ष के अंत में शेष                                                | —                 | <b>23,393.49</b> | <b>29,457.00</b>              | <b>52,850.49</b> |

राशि (रु. लाख में)

यह हमारी इसी दिनांक की रिपोर्ट में उल्लिखित इक्विटी में परिवर्तन का विवरण है।

दीवान पी.एन. चोपड़ा एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन: 000472N

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

साझेदार: संदीप दहिया  
सदस्यता सं.: 505371

विवेक कुमार गुप्ता  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन: 10423972

विवेक प्रकाश त्रिपाठी  
निदेशक वित्त एवं सीएफओ  
डीआईएन: 10216466

सुमीता शर्मा  
कंपनी सचिव  
सदस्यता सं.: FCS5250

स्थान: नई दिल्ली  
तारीख: 21.08.2024

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

### 1. सामान्य सूचना

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) भारत में अधिवासित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय द्वितीय तल, एशिया भवन, रोड सं. 205, सेक्टर 9, द्वारका (दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली) नई दिल्ली-110077 है। कंपनी को भारत में 12 फरवरी, 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित किया गया था, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य (इसके बाद "एमएचएसआर परियोजना" के रूप में संदर्भित) के बीच हाई स्पीड रेल सेवाओं की योजना, रूपरेखा, विकास, निर्माण, प्रवर्तन, रखरखाव, प्रचालन तथा वित्त पोषण तथा/अथवा अपने किसी अन्य क्षेत्र में, स्वयमेव अथवा अधिग्रहण द्वारा अथवा रेल मंत्रालय या भारत सरकार या ऐसे किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के अनुसार समस्त सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित किसी माध्यम या माध्यमों के संयोजन के नये ट्रांजिट रूट का निर्माण है।

### 2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

#### 2.1 क) अनुपालन का विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण यथासमय संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) के अनुसार तैयार किए जा रहे हैं।

#### ख) मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित मदों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत परिपाटी तथा उपचय आधार पर तैयार किया गया है जिन्हें प्रासंगिक भारतीय लेखांकन मानक द्वारा वांछित उचित मूल्य पर मापित किया गया है।

- कुछ निश्चित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा दायित्वों को उचित मूल्य पर मापित किया गया है (टिप्पणी सं. 2.19 पर वित्तीय विलेख से सम्बद्ध लेखांकन नीति का संदर्भ लें)
- परिभाषित लाभ योजना तथा योजना परिसम्पत्तियाँ

#### ग) चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में संपत्ति एवं देनदारियों को प्रस्तुत करती है। संपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह हो:

- सामान्य परिचालन चक्र में साधित होनी, या बेचने या उपभोग करने की अभिप्रेत;
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से संघटित;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर साधित होने की अपेक्षित है; या
- नकद या नकद समतुल्य जब तक कि रिपोर्टिंग की तारीख के कम से कम 12 महीनों बाद किसी दायित्व का आदान-प्रदान या उपयोग करने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी संपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

देयता को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह हो:

- सामान्य परिचालन चक्र में निपटारा होने के अपेक्षित;
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से संघटित;
- रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीने के भीतर निपटारा होने के कारण; या
- रिपोर्टिंग दिनांक के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों को गैर-चालू संपत्ति और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

#### परिचालन चक्र:

परिचालन चक्र प्रसंस्करण हेतु संपत्ति के अधिग्रहण और नकद व नकद समतुल्य में उनकी वसूली के बीच का समय है। कंपनी ने अपने परिचालन चक्र को 12 महीने तय किया है।

#### घ) आंकलन तथा निर्णय का उपयोग

इंड एस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबन्धन के लिए निर्णय, आंकलन तथा अभिधारणाएँ निर्मित करना अपेक्षित है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर लेखांकन नीतियों तथा परिसम्पत्तियों, दायित्वों, आकस्मिक परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के प्रकटन और आय तथा व्ययों की प्रतिवेदित राशि को प्रभावित करते हैं। ऐसे आंकलन के उदाहरण में कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के तहत भावी दायित्व और सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी जीवन, कर्मचारी लाभ व्यय, प्रावधानों आदि का आंकलन सम्मिलित है। वास्तविक परिणाम इन आंकलन से भिन्न हो सकते हैं।

आंकलन तथा निहित अभिधारणाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इन आंकलन में परिवर्तनों के कारण भावी परिणामों में भिन्नता हो सकती है और वास्तविक परिणाम तथा आंकलन के मध्य के अन्तर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणामों को ज्ञात/प्रकटित किया गया है।

वित्तीय विवरणों की समझ में वृद्धि के क्रम में, आंकलन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विषय में सूचना, वित्तीय विवरणों में चिह्नित राशियों पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों के प्रयोग में अनिश्चितता तथा महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं:

- **संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण:** उपयोगी जीवन तथा अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा मूल्य ह्रास के साथ की जाती है। जीवनकाल भावी घटनाओं के पूर्वानुमान तथा ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होता है।
- **प्रावधान:** तुलन पत्र की तिथि पर दायित्वों के समायोजन हेतु अनुमान के आधार पर प्रावधानों का निर्धारण किया जाता है।
- **आकस्मिक देयताएं/परिसम्पत्तियाँ:** प्रबन्धन के निर्णय पर आधारित आकस्मिक देयताएं/परिसम्पत्तियों के प्रकटन की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है और वर्तमान प्रबन्धकीय अनुमान को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित की जाती हैं।
- **गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों का क्षति परीक्षण:** सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों के अभिधारणा के निर्णय के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- **आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का अभिज्ञान:** आस्थगित कर सम्पत्तियों का अभिज्ञान भावी कर योग्य आय की सम्भाव्यता के आधार पर किया जाता है जिसके विरुद्ध आस्थगित कर का उपयोग किया जा सके।
- **रोजगार पश्चात लाभ:** रोजगार लाभ दायित्वों का मापन जीवनांकिक पूर्वानुमानों के आधार पर किया जाता है जिसमें मृत्यु तथा आहरण दर और छूट की दर पर भावी विकास से सम्बद्ध पूर्वानुमान, वेतन वृद्धि की दरें तथा मुद्रास्फीति दर शामिल हैं। कंपनी विचार करती है कि दायित्वों के मापन में प्रयुक्त पूर्वानुमान उचित तथा प्रलेखित हैं। किन्तु इन पूर्वानुमानों में कोई परिवर्तन होने से परिणामी गणनाओं पर तात्त्विक प्रभाव पड़ता है।

ड) सभी वित्तीय सूचनाएँ भारतीय रुपयों में प्रस्तुत की जाती हैं और अन्य रूप से कथित को छोड़कर समस्त मूल्य निकटतम लाख में प्रदर्शित किये जाते हैं।

राशियों को लाख रुपयों में प्रदर्शित किया गया है। यदि योग करने में कोई अनियमितता राउंड ऑफ (पूर्णांकन) के कारण है तो इसे सुधारने की आवश्यकता नहीं होगी।

## 2.2 नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह की गणना अप्रत्यक्ष विधि से की जाती है जिसके द्वारा गैर-नकदी प्रकृति के लेन-देनों के प्रभावों तथा विगत अथवा भावी नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित अदायगी या संग्रहण हेतु कर पूर्व लाभ/(हानि) को समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाहों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक्कृत किया जाता है।

नकदी प्रवाह के विवरण में प्रस्तुतीकरण के उद्देश्य हेतु नकदी तथा नकदी समतुल्य के अंतर्गत उपलब्ध नकदी, वित्तीय संस्थानों में आदेश पर धारित जमा, अन्य अल्पकालीन, तीन माह की मूल परिपक्वता वाले उच्च तरल निवेश जो ज्ञात नकद राशि में तुरन्त परिवर्तनीय हों और जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य हो तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में वर्तमान दायित्वों में उधारियों के भीतर प्रदर्शित किया गया है।

### 2.3 प्रकार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें कंपनी प्रचालन (कार्यात्मक मुद्रा) करती है। वित्तीय विवरणों भारतीय रुपया (आईएनआर) में प्रदर्शित किया जाता है जो कि कंपनी की प्रकार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा है।

#### विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन-देनों को लेन-देन के समय विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलेखित किया जाता है।

विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक मदों को प्रतिवेदन की तिथि के समय लागू दरों पर परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक मदों के समायोजन या परिवर्तन के कारण होने वाले विनिमय के अन्तर को लाभ या हानि के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

### 2.4 सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर

- क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की माप न्यून संचयी मूल्य ह्रास तथा खराबी क्षति की लागत पर, यदि कोई हो, की जाती है। परिसम्पत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:
- परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रत्यक्ष आरोप्य लागत
  - यदि अभिज्ञान मानदंडों की पूर्ति हो जाती है तो मदों के विनष्टीकरण और हटाने तथा उस साइट को पुर्नस्थापित करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य जिस पर वह स्थित है।
- ख) यदि अभिज्ञान मानदंडों की पूर्ति हो जाती है तो प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत की लागत को पूंजीकृत किया जाता है।
- ग) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी मद को निस्तारण के समय अथवा परिसम्पत्ति के सतत प्रयोग से कोई भावी आर्थिक लाभ होने की सम्भावना न हो तो इसे अमान्य कर दिया जाता है। सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी मद का निस्तारण अथवा सेवामुक्ति से उत्पन्न किसी लाभ अथवा हानि को विक्रय कार्यवाहियों तथा परिसम्पत्ति की वाहक राशि के अन्तर के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसे लाभ या हानि विवरण में स्थान दिया जाता है।

#### मूल्य ह्रास तथा ऋण परिशोधन

- क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट के अनुसार उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) से प्रावधानित किया गया है।
- ख) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी मद के प्रत्येक भाग को अलग-अलग मूल्यह्रासित किया जाता है, यदि उस मद की कुल लागत के सम्बन्ध में पुर्जे की लागत सार्थक है तथा उस पुर्जे का उपयोगी जीवन शेष परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।
- ग) **कर्मचारियों को प्रदत्त परिसम्पत्ति**
- कर्मचारियों को प्रदत्त परिसम्पत्ति: मोबाइल फोन को छोड़कर, कर्मचारियों को प्रदत्त परिसम्पत्तियों एसएलएम आधार पर 3 साल की अवधि में मूल्यह्रासित किया गया है।
  - कर्मचारियों को प्रदत्त मोबाइल फोन: कर्मचारियों को प्रदत्त परिसम्पत्तियों एसएलएम आधार पर 2 साल की अवधि में मूल्यह्रासित किया गया है।
  - वापस न लेने के आधार पर कर्मचारियों को प्रदत्त ब्रीफ केस और लैंडलाइन उपकरण की लागत की प्रतिपूर्ति को भुगतान वर्ष में व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है।

घ) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के सार्थक मदों की चालू तथा तुलनात्मक अवधि हेतु परिसम्पत्तियों का आन्कलित उपयोगी जीवन (कर्मचारियों को दी गई परिसम्पत्तियों के अलावा) निम्नलिखित है:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| फर्नीचर तथा फिक्सचर  | 10 वर्ष |
| ईडीपी परिसम्पत्तियाँ | 3 वर्ष  |
| कार्यालयी उपकरण      | 5 वर्ष  |
| वाहन                 | 8 वर्ष  |
| बिल्डिंग             | 60 वर्ष |
| ट्रैक स्लैब          | 15 वर्ष |

ङ) लीजहोल्ड इम्पूवमेंट्स (पट्टे की सम्पत्ति का निर्माण) उस महीने से पट्टे की अवधि में परिशोधित किए जाते हैं जिसमें इस तरह के सुधार को पूँजीकरण किया जाता है।

च) मूल्यहास की विधियों, उपयोगी जीवन तथा अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर की गयी है।

## 2.5 अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

### क) प्रारंभिक मान्यता और माप

एक अमूर्त परिसम्पत्ति को तभी और केवल तभी मान्यता दी जाती है जहाँ यह सम्भावना हो कि भावी आर्थिक लाभ जो संपत्ति के लिए माना जा सकता है कंपनी की ओर प्रवाहित होगा और परिसम्पत्ति की लागत की माप विश्वसनीय ढंग से की जा सकती है।

कंपनी द्वारा खरीदी गई अमूर्त परिसम्पत्ति की कीमत प्रारंभिक मान्यता से गणना की जाती है। बाद में माप कम लागत पर संचित परिशोधन और संचित ह्रास घाटे से किये जाते हैं। मूल्य में अपने इच्छित उद्देश्य के लिए परिसम्पत्ति तैयार करने के लिए आवश्यक किसी भी प्रत्यक्ष योगदान की लागत शामिल हैं।

विकास कार्यों पर व्यय केवल तभी पूँजीकृत होगा जब लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है, उत्पादन या प्रक्रिया तकनीकी रूप से और व्यावसायिक रूप से संभव है, भविष्य के वित्तीय लाभ संभव हैं और कंपनी का इरादा है और विकास को पूरा करने और संपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन रखती हैं।

अमूर्त परिसम्पत्ति के तहत पूँजीकरण के लिए व्यय को विकास की अमूर्त परिसम्पत्ति के रूप में माना जाता है जब तक कि वे अपने इच्छित उद्देश्य के लिए तैयार न हों।

स्पेक्ट्रम लाइसेंस की खरीद हेतु दूरसंचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग को अन्य आकस्मिक व्ययों सहित किया गया भुगतान अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त है।

### ख) ऋण परिशोधन

अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन इस प्रकार किया जाता है:

1. सॉफ्टवेयर-ईआरपी के अलावा अन्य 3 वर्ष
2. सॉफ्टवेयर-ईआरपी 5 वर्ष
3. स्पेक्ट्रम-स्पेक्ट्रम के लाइसेंस की अवधि में
4. भूमि के उपयोग के अधिकार का परिशोधन उपयोग के अधिकार की अवधि में किया जाता है। वर्तमान और तुलनात्मक अवधि के लिए ऐसी संपत्तियों का उपयोगी जीवन 15 वर्ष है।

### ग) तदंतर लागत

तदंतर व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में पहचाना जाता है, जब यह संभावित होता है कि होने वाले लागत भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम के लिए प्रवाहित होंगे और वस्तु की लागत की माप विश्वसनीय ढंग से की जा सकती है।

## घ) मान्यता वापस लेना

एक अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता तब वापस ली जाती है जब उनके उपयोग या निपटान के माध्यम से कोई भविष्य के वित्तीय लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। अमूर्त परिसंपत्ति के एक आइटम के निपटान में लाभ और नुकसान, लाभ-हानि विवरण में पहचाने गए अमूर्त परिसंपत्ति की मात्रा की तुलना करके निर्धारित किया जाता है।

## 2.6 प्रगति पर पूंजीगत कार्य

रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को बकाया संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के अधिग्रहण की गई राशि तथा उस तारीख से पहले अपेक्षित उपयोग हेतु तैयार नहीं संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की लागत का खुलासा प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत किया जाता है। बिल के निपटान पर परिसमाप्त क्षति की गणना की जाती है। मूल्य परिवर्तन सहित दावों की गणना स्वीकृति पर की जाती है। व्यय जिनकी पहचान प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा हाथ में ली गई परियोजना के साथ की जा सकती है, को “प्रत्यक्ष परियोजना व्यय” के तहत “प्रगति पर पूंजीगत कार्य” में डेबिट कर दिया जाता है। कर्मचारी लाभ की प्रकृति वाले अप्रत्यक्ष व्यय और परियोजना से संबद्ध अप्रत्यक्ष व्यय को परियोजना से प्रभावित किया गया है।

निर्माण की अवधि से जुड़े आय तथा अन्य आकस्मिक आय, जैसे कि ब्याज आय (इक्विटी के माध्यम से प्राप्त निधियों के तात्कालिक उपयोग से होने वाले को छोड़कर), निविदा प्रपत्रों की बिक्री आदि को निर्माण के दौरान होने वाले व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

जेआईसीए से प्राप्त ब्याज वाले ऋण के विरुद्ध पास-थ्रू असिस्टेंट (ईएपी निधि) पर अर्जित ब्याज तथा परियोजना से संबंधित ठेकेदारों आदि को प्रदान किए गए ब्याज वाले अग्रिम को ऋण लागत की सीमा तक सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

## 2.7 भूमि

1. भूमि को इंड एसों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुत करने हेतु फ्रेमवर्क द्वारा आवश्यक नियंत्रण के आधार एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।
2. विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों सहित भूस्वामियों द्वारा सौंपे गए और कंपनी द्वारा कब्जा किए गए भूमि पार्सल को कंपनी के नाम पर हक विलेखों के पंजीकरण की प्रतीक्षा किए बिना, कंपनी द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय या भुगतान करने पर जो भी पहले हो, पूंजीकृत किया गया है।
3. बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, जब देय राशि देय हो तब बुक की जाएगी क्योंकि राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4. पुनर्वास और पुनर्स्थापन और भूमि से संबंधित अन्य खर्चों की लागत को भूमि की कीमत में जोड़ा जाता है।
5. अस्थायी रूप से किए गए भुगतान/भूमि पर लीज-होल्ड भूमि सहित लागत, स्ट्रक्चर के अधिग्रहण की लागत कम हुई ऐसी संरचनाओं की बिक्री आय या मुआवजे के लिए प्रदान की गई बाध्यता के संगत प्रभाव को भूमि या लीज-होल्ड भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।
6. अस्थायी रूप से किए गए भुगतान/अस्थायी आधार पर अधिग्रहित भूमि के प्रति प्रदान किए गए दायित्व का संगत प्रभाव भूमि के कब्जे की अवधि में परिशोधित होता है।
7. कंपनी के लिए भूमि खरीदने हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) को भुगतान की गई राशि को शुरुआत में एडवांस फॉर लैंड (सीएएलए) माना जाता है। उक्त उद्देश्य के लिए सीधे भूस्वामियों को सीएएलए खातों के माध्यम से संवितरण भूमि लागत के रूप में समायोजित किया जाता है और शेष राशि सीएएलए के साथ अग्रिम के रूप में दर्शाई जाती है।

## 2.8 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ तथा आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

क) उन देनदारियों के संबंध में प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, जिनका मापन केवल प्राक्कलनों का काफी हद तक उपयोग करके किया जा सकता है, जब:

- i) पिछली किसी घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की वर्तमान समय में दायित्व हो।
- ii) आर्थिक लाभ को शामिल कर संसाधनों का संभावित प्रसार, उन दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित हो, तथा

iii) दायित्व की राशि का प्राक्कलन विश्वसनीय तरीके से किया जा सकता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को प्रावधानों का पुनरावलोकन किया जा सकता है।

#### प्रावधानों की छूट प्रदान करना

जब राशि के समय-मूल्य का प्रभाव वस्तुगत हो, तो किसी प्रावधान की राशि उस दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित व्यय का वर्तमान मूल्य होगा।

ख) निम्नलिखित मामलों में से प्रत्येक में आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया जाता है:

- i) किसी पिछली घटना से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जहाँ यह संभावना नहीं हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों का प्रसार अपेक्षित होगा; या
- ii) वर्तमान दायित्व का एक विश्वसनीय प्राक्कलन तैयार नहीं किया जा सकता है; या
- iii) एक संभाव्य दायित्व, जब तक संसाधन के प्रसार की संभाव्यता क्षीण हो।

आकस्मिक देनदारी तथा आकस्मिक परिसंपत्ति के विरुद्ध आवश्यक देनदारी तथा प्रावधानों का पुनरावलोकन प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को किया जाता है।

ग) जब आर्थिक लाभ का प्रसार संभाव्य हो, तो आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा किया जाता है।

## 2.9 राजस्व की पहचान

क) ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व

- i) ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व को तब पहचाना जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है।
- ii) प्राप्त प्रतिफल या प्राप्त प्राप्य के उचित मूल्य पर ही राजस्व का मापन किया जाता है।

ख) अन्य राजस्व की पहचान

- i) ब्याज आय की पहचान, प्रभावी ब्याज दर तरीके का उपयोग करके बकाया राशि तथा लागू योग्य ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समयानुपातिक आधार पर किया जाता है।

## 2.10 पट्टा

i) पट्टाग्राही के रूप में

परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार को शुरू में उस लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता की प्रारंभिक राशि में, कोई भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को नष्ट करने और हटाने की अनुमानित लागत या अंतर्निहित परिसंपत्ति या उस साइट को पुनर्स्थापित करने की अनुमानित लागत जिस पर वह स्थित है, के योग में से पट्टा प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त हुई राशि को घटाना शामिल है।

इसके पश्चात, राइट-ऑफ-यूज एसेट को सीधी-रेखा विधि का उपयोग करके प्रारंभ तिथि से लेकर राइट-ऑफ-एसेट-एसेट के उपयोग की अवधि के अंत तक या लीज अवधि के अंत तक को घटाया जाता है। उपयुक्त-उपयोगी संपत्ति अनुमानित उपयोगी जीवन, संपत्ति, पौधों और उपकरणों के अनुमानित आधार पर निर्धारित की जाती है। इसके अलावा, राइट-ऑफ-यूज एसेट कभी-कभी ह्रास के नुकसान, यदि कोई हो, से कम हो जाती है, और पट्टे की देयता की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए समायोजित की जाती है।

पट्टा देयता की गणना शुरू में लीज भुगतान की प्रारंभ तिथि पर की जाती है, जिनका प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया गया हो, और पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट देकर, या यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी की वृद्धिशील ऋण दर से की जाती है।

लीज देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है; जब किसी इंडेक्स या रेट में बदलाव से भविष्य के पट्टों के भुगतान में कोई बदलाव होता है, तो इसे पुनः मापा जाता है। जब इस तरह से पट्टा दायित्व

को फिर से मापा जाता है, तो एक संगत समायोजन 'राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स' की वहन राशि के लिए किया जाता है, या अगर सही उपयोग की परिसंपत्ति की वहन राशि शून्य हो गई हो तो लाभ और हानि में दर्ज किया जाता है।

कंपनी राइट-ऑफ-यूज एसेट प्रस्तुत करती है जो "अन्य उपयोगिताओं के अधिकार" और तुलन पत्र में "अन्य वित्तीय दायित्वों के अधिकार" के तहत निवेश परिसंपत्ति की परिभाषा को पूरा नहीं करती है।

#### अल्पावधि पट्टा और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टा

कंपनी ने अल्प अवधि पट्टों के लिए संपत्ति का उपयोग का अधिकार और लीज दायित्व को मान्यता नहीं देने का चयन किया है, जिनकी पट्टा अवधि 12 महीने या उससे कम है और जो कम मूल्य की आस्तियों के पट्टे हैं। कंपनी इन पट्टों से जुड़े पट्टे के भुगतान को सीधी-रेखा के आधार पर एक व्यय के रूप में मानती है।

#### ii) पट्टा दाता के रूप में

जब कंपनी पट्टा दाता के रूप में होती है, तो यह पट्टे की स्थापना के समय निर्धारित करती है कि प्रत्येक पट्टा एक वित्त पट्टा है या परिचालन पट्टा है। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी इस बात का समग्र मूल्यांकन करती है कि पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व हेतु प्रासंगिक सभी जोखिम और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है या नहीं। यदि यह मामला है, तो पट्टा एक वित्त पट्टा है, यदि नहीं तो यह एक परिचालन पट्टा है। मूल्यांकन के हिस्से के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख हिस्से के रूप में है।

यदि किसी व्यवस्था में पट्टे और गैर-पट्टे के घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में प्रतिफल को आवंटित करने के लिए इंड एस-115 "ग्राहकों से संविदा से राजस्व" लागू करती है।

कंपनी "अन्य आय" के हिस्से के रूप में लीज अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में परिचालन पट्टे के तहत प्राप्त लीज भुगतानों को पहचानती है।

### 2.11 उधारीकृत लागत

किसी परियोजना के लिए विशेष रूप से ऋण ली गई निधियों पर होने वाले उधारीकृत लागत और इनमें पहचाने गए लागत को परियोजना के प्रारंभ होने के समय तक पूंजीकृत कर दिया जाता है या इसके किसी हिस्से को पूंजीकृत कर दिया जाता है और उसके उपरांत उसे उस विस्तार तक राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है, जिस विस्तार तक परिसंपत्तियाँ वाणिज्यिक परिचालन के अधीन हैं।

ऋण ली गई निधि के अस्थायी उपयोग से संबंधित आय को उधारीकृत लागत की सीमा तक ऋण लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाता है; ऋण लागत से अधिक राशि को लाभ और हानि के विवरण में क्रेडिट किया जाता है।

### 2.12 कर्मचारी लाभ

#### क) कम अवधि के कर्मचारी लाभ

सेवा ग्रहण करने की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरी तरह से भुगतान योग्य सभी कर्मचारी लाभों को कम अवधि के कर्मचारी लाभों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लाभ जैसे कि वेतन, मजदूरी, तथा कम अवधि के अनुकंपित गैरहाजिरियों, एल.टी.सी. इत्यादि को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

#### ख) लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ

- i) लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ, जैसे लंबी अवधि के अनुकंपित गैरहाजिरियों तथा अर्ध वेतन छुट्टी के लिए दायित्वों को उसी रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जैसे कि परिभाषित लाभ योजनाओं के मामलों में किया जाता है, जैसे नीचे (ग) (ii) में उल्लिखित है, सिवाय लंबी अवधि की कर्मचारी लाभ योजना के मामले में बीमाकिक लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

#### ग) सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ

- i) परिभाषित योगदानकारी योजनाएँ: कंपनी भविष्य निधि योजना, सी.जी.आई.एस. और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को निर्धारित योगदान देती है। कंपनी अपने कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ भी प्रदान करती है। इन योजनाओं के तहत भुगतान किए गए/भुगतान योग्य योगदान की मान्यता उस अवधि के दौरान प्रदान की जाती है, जिस अवधि के दौरान कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है।

ii) परिभाषित लाभ योजनाएँ: उपदान/ग्रेच्युटी, सामान भत्ता और चिकित्सा उपरांत सेवानिवृत्ति लाभ सेवानिवृत्ति उपरांत परिभाषित लाभ योजना हैं। तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देनदारी, तुलन पत्र की तारीख को पारिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में से योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाकर निकाला जाता है। पारिभाषित लाभ दायित्व की गणना एक स्वतंत्र गणक से की जाती है और प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट (पी.यू.सी.) तरीके का उपयोग किया जाता है।

- कंपनी ने उपदान/मेडिकल फंड के प्रबंधन हेतु एक अलग एन.एच.एस.आर.सी.एल. कर्मचारी समूह उपदान ट्रस्ट/एन.एच.एस.आर.सी.एल. मेडिकल ट्रस्ट की स्थापना की है।
- कंपनी अपने तुलन पत्र में परिभाषित लाभ योजना के शुद्ध दायित्व को परिसंपत्ति या देयता के रूप में मान्यता देती है।
- शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) के पुनर्मापन के माध्यम से लाभ या हानि को अन्य विस्तृत आय में मान्यता दी जाती है।
- योजना परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो का वास्तविक प्रतिफल, जो परिभाषित लाभ दायित्व को मापने हेतु उपयोग की जाने वाली छूट दर को लागू करके गणना किए गए प्रतिफल से अधिक है, तो उसे अन्य विस्तृत आय में मान्यता दी जाती है।
- शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर सेवा लागत और शुद्ध ब्याज लागत/(आय) को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

#### घ) सेवानिवृत्ति लाभ:

“प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले कर्मचारी” के सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाता है।

#### ङ) पुनः मापन

अनुभव लाभ के समायोजन और परिभाषित लाभ योजनाओं जैसे कि उपदान, सामान भत्ता और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजनाओं से संबंधित बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनर्मूल्यांकन लाभ और हानि को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में होते हैं। उन्हें इक्विटी में बदलाव और तुलन पत्र में प्रतिधारित लाभ में शामिल किया गया है।

### 2.13 चालू आयकर

- किसी वर्ष के लिए कर पर होने वाले व्यय में चालू आयकर तथा विलंबित कर शामिल रहता है।
- चालू कर का मापन उस राशि पर किया जाता है, जिस राशि का भुगतान लागू कर की दरों का उपयोग करके कर प्राधिकारियों को किया जाना है।
- राशि की गणना करने के लिए कर की दर या कर संबंधी कानून वही होते हैं, जो रिपोर्टिंग की तारीख को उन देशों में लागू रहते हैं या लागू होने वाले होते हैं, जहाँ कंपनी अपना परिचालन कर रही होती है और कर योग्य आय उत्पन्न कर रही होती है।
- ओ.सी.आई. मदों से संबंधित चालू कर को अन्य विस्तृत आय (ओ.सी.आई.) में मान्यता प्रदान की जाती है।

### 2.14 विलंबित कर

भारतीय लेखांकन मानक संस्थान द्वारा जारी इंड एस (इंड-एस 12) “आयकर” के अनुसार।

- विलंबित आयकर परिसंपत्तियाँ तथा देनदारियों की मान्यता उन तात्कालिक अंतरों के लिए दी जाती है, जिनकी गणना रिपोर्टिंग की तारीख को लागू या निश्चित रूप से लागू होने वाले कर की दरों या कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है।
- विलंबित कर की पहचान उस सीमा तक की जाती है, जहाँ तक यह संभाव्य हो कि वैसा कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध घटाये जाने योग्य तात्कालिक अंतरों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के पिछले बकायों तथा अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग में लाया जा सकता है।

- iii) प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को विलंबित आयकर परिसंपत्तियों द्वारा वहन की जाने वाली राशि का पुनरावलोकन किया जाता है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभाव्य नहीं हो कि उपयोग की जाने वाली विलंबित आय कर परिसंपत्ति के सभी या किसी हिस्से की अनुमति प्रदान करने के लिए उपयुक्त कर योग्य आय उपलब्ध रहेगी।
- iv) ओ.सी.आई. मद से संबंधित विलंबित कर की मान्यता अन्य विस्तृत आय (ओ.सी.आई.) में दी जाती है।

## 2.15 प्रति शेयर आय

1. प्रति शेयर मूल आय की गणना, किसी अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की प्रभारित औसत संख्या द्वारा, उस अवधि के लिए इक्विटी शेयर धारकों को योगदानकारी सकल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की प्रभारित औसत संख्या का समायोजन बोनस के मुद्दे तथा शेयर में गिरावट की घटनाओं के लिए किया जाता है।
2. प्रति शेयर तरलीकृत आय की गणना के उद्देश्य से, उस अवधि के लिए इक्विटी शेयर धारकों को योगदानकारी सकल लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की प्रभारित औसत संख्या का समायोजन, सभी तरलीकृत क्षमतावान इक्विटी शेयरों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।

## 2.16 प्राथमिक व्यय

सभी प्राथमिक व्यय को व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब ये व्यय होते हैं।

## 2.17 तुलन-पत्र की तिथि के उपरांत घटित घटनाएँ

तुलन-पत्र की तिथि के बाद होने वाली घटनाओं को इंड एस 10 (तुलन-पत्र की तिथि के बाद होने वाली आकस्मिकताएँ और घटनाएँ) के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है।

## 2.18 उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को उचित मूल्य पर कुछ विशेष वित्तीय उपकरणों का मापन करती है। उचित मूल्य वह मूल्य है, जिसे मापन की तारीख को क्रमबद्ध लेनदेन के रूप में किसी परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त किया जाता है या देनदारी के हस्तांतरण में चुकाया जाता है। उचित मूल्य मापन उन पूर्वानुमानों पर आधारित होता है, जो निम्न में किसी परिसंपत्ति को बेचने या देनदारियों के हस्तांतरण करने से होने वाले किसी भी लेनदेन से होता है:

- मूल बाजार में परिसंपत्ति या देनदारी के लिए,
- या मूल बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देनदारी के सबसे लाभप्रद बाजार में

मूल या सबसे लाभप्रद बाजार कंपनी के पहुँच के भीतर होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या किसी देनदारी के उचित मूल्य का मापन उन पूर्वानुमानों का उपयोग करके किया जाता है, जिनका उपयोग बाजार में प्रतिस्पर्धी किसी परिसंपत्ति या देनदारी के मूल्यन में करते हैं और यह मान लिया जाता है कि बाजार के प्रतिस्पर्धी अपने सबसे अच्छे आर्थिक हित की दिशा में कार्य करते हैं। कंपनी मूल्यन की तकनीक का उपयोग करती है, जो परिस्थितियों में समुचित हों और जिसके लिए उचित मूल्य के मापन के लिए समुचित आँकड़े उपलब्ध होते हैं और संबंधित पर्यवेक्षी आदानों का उपयोग सबसे अधिकतम कर दिया जाता है तथा अपर्यवेक्षी आदानों का उपयोग निम्नतम कर दिया जाता है।

## 2.19 वित्तीय प्रपत्र

### क) प्रारंभिक मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देनदारियों को मान्यता तब मिलती है, जब कंपनी लिखत के अनुबंधित प्रावधानों में एक पक्षकार बन जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देनदारियों का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या जारी करने में प्रत्यक्ष तौर पर योगदानकारी विनिमय लागत (वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देनदारियों को छोड़ कर लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर) को वित्तीय परिसंपत्तियों या देनदारियों के प्रारंभिक मान्यता के समय मापन किए गए उचित मूल्य में जोड़ दिया जाता है या उससे घटा दिया जाता है।

## ख) परिणामी मापन

### वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण निम्नलिखित श्रेणियों में किया जाता है।

#### i) मूर्तकरण लागत पर

वित्तीय परिसंपत्तियों का परिशोधित मापन मूर्तकरण लागत पर किया जाता है, यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी ऐसे व्यापार के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका उद्देश्य इन परिसंपत्तियों को धारित करना है ताकि संविदागत नकद का संग्रहण किया जा सके और वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधित अवधि नकद प्रवाह को किसी विशिष्ट तिथि को बढ़ा सके और जो बकाया मूलधन की राशि पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान मात्र हो।

#### ii) अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है, यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी ऐसे व्यापार के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका उद्देश्य तब पूरा होता है जब संविदागत नकद का संग्रहण किया जाए तथा वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचा जाए और वित्तीय परिसंपत्ति का संविदागत अवधि नकद प्रवाह को किसी विशिष्ट तिथि को बढ़ा सके और जो बकाया मूलधन की राशि पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान मात्र हो।

#### iii) लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर तब किया जाता है, जब प्रारंभिक मान्यता पर इसका मापन अन्य विस्तृत आय के माध्यम से मूर्तकरण लागत पर या उचित मूल्य पर किया जाता है। लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देनदारियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष तौर पर योगदानकारी लेनदेन की लागत को अविलंब लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

### वित्तीय देनदारियाँ

वित्तीय देनदारियों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

#### i) अमूर्तकरण लागत पर वित्तीय देनदारियाँ

व्यापार तथा अन्य देयताओं, सुरक्षा जमा तथा धारिता राशि इत्यादि द्वारा दर्शाए गए अमूर्तकरण लागत पर वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और उसके उपरांत प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके इसे अमूर्तकरण लागत पर ले जाया जाता है।

#### ii) लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियाँ (एफवीटीपीएल)

कंपनी ने एफवीटीपीएल पर किन्हीं वित्तीय देनदारियों को चिह्नित नहीं किया है।

## ग) मान्यता समाप्त करना

#### i) वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहाँ लागू हो वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों का एक समूह) की मान्यता तब खत्म की जाती है जब परिसंपत्ति से होने वाले नकद प्रवाह से जुड़ा संविदागत अधिकार समाप्त होता है या यह वित्तीय परिसंपत्तियों तथा इससे जुड़े सभी जोखिमों और लाभों को संपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है।

#### ii) वित्तीय देनदारी

वित्तीय देनदारी की मान्यता तब समाप्त की जाती है जब देनदारी के अधीन किसी दायित्व का निपटान कर दिया जाता है या निरस्त कर दिया जाता है या वह समाप्त हो जाता है। जब किसी वर्तमान वित्तीय देनदारी का स्थान, उसी ऋण प्रदाता के प्रति अन्य देनदारी परिणामी रूप से किसी अन्य शर्तों पर ले लेती है या किसी वर्तमान देनदारी की शर्तों को आंशिक रूप से बदला जाता है तो ऐसे बदलाव या सुधार को वास्तविक देनदारी की मान्यता समाप्त करने के रूप में माना जाता है और नई देनदारी की मान्यता तथा क्रमशः वहन की जाने वाली राशियों में अंतर को लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

## 2.20 पूर्व अवधि समायोजन

जिस अवधि में त्रुटि हुई, उससे पहले की अवधि के लिए तुलनात्मक मात्रा को बहाल करके महत्वपूर्ण पूर्व अवधि की त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है। यदि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले त्रुटि हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी की प्रारंभिक शेष राशि को तब तक बहाल किया जाता है जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, इस मामले में, तुलनात्मक जानकारी को नए लेखांकन से संभावित रूप से लागू करने के लिए समायोजित किया जाता है जो कि संभावित रूप से सबसे प्रारंभिक तिथि से व्यावहारिक है।

### पूर्वदत्त व्यय

प्रत्येक मामले में 5,00,000/- रुपये तक के पूर्वदत्त व्यय को वर्ष के व्यय/आय के रूप में माना जाता है और खातों के प्राकृतिक प्रमुख के तहत लिया जाता है।

## 2.21 इंड एस 8 'लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' के अनुसार प्रकटीकरण

### क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतिगत सूचना

कंपनी ने 1 अप्रैल 2023 से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2023 को 'लेखांकन नीतिगत सूचना के प्रकटीकरण' से संबंधित अधिसूचना के अनुसार इंड एस 1 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' में संशोधन को अपनाया है। हालांकि इस संशोधन के कारण लेखांकन नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई लेखांकन नीतिगत सूचना प्रभावित हुई। संशोधनों में (वस्तुगत) लेखांकन नीतियों के बजाय (महत्वपूर्ण) के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है। संशोधन लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण के लिए भौतिकता के अनुप्रयोग पर मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं, संस्थाओं को उपयोगी, संस्था-विशिष्ट लेखांकन नीति जानकारी प्रदान करने में सहायता करते हैं जिसकी उपयोगकर्ता को वित्तीय विवरणों में अन्य जानकारी को समझने की आवश्यकता होती है।

### ख) वे मानक/संशोधन जो जारी किए गए लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं:

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एम.सी.ए.) यथासमय कंपनी (इंड एस) नियम, 2006 के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। एमसीए ने ऐसा कोई नया मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन अधिसूचित नहीं किया है, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हैं।

**नोट:-3**  
**संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर**

| विवरण                                           | पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि | भवन      | ट्रेक स्लैब | पट्टाधृत सुधार | फर्नीचर एवं फिक्स्चर | मोटर वाहन | ईडीपी परिसंपत्तियां | कार्यालयी उपकरण | राशि (रु. लाख में)  | कुल |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------|----------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|-----|
| सकल वाहक राशि                                   |                           |          |             |                |                      |           |                     |                 |                     |     |
| 1 अप्रैल 2022 को संवर्धन                        | 7,94,680.76               | 3,772.71 | 1,339.76    | 646.98         | 813.48               | 75.02     | 1,513.49            | 819.99          | 8,03,662.19         |     |
| निस्तारण/समायोजन                                | 1,24,225.74 (2.05)        | —        | —           | 91.87          | 58.65 (2.74)         | —         | 170.48 (20.14)      | 144.67 (42.03)  | 1,24,691.41 (66.96) |     |
| 31 मार्च 2023 को संवर्धन                        | 9,18,904.45               | 3,772.71 | 1,339.76    | 738.85         | 869.39               | 75.02     | 1,663.83            | 922.63          | 9,28,286.64         |     |
| निस्तारण/समायोजन                                | 88,182.00                 | —        | —           | 39.94          | 37.98 (164.14)       | —         | 175.98 (44.57)      | 306.22 (196.63) | 88,742.12 (405.34)  |     |
| 31 मार्च 2024 को संचित मूल्यद्वारा              | 10,07,086.45              | 3,772.71 | 1,339.76    | 778.79         | 743.23               | 75.02     | 1,795.24            | 1,032.19        | 10,16,623.42        |     |
| 1 अप्रैल 2022 को वर्ष हेतु प्रभारित मूल्यद्वारा | —                         | 62.52    | 258.73      | 448.30         | 289.53               | 37.29     | 846.47              | 437.93          | 2,380.77            |     |
| निस्तारण/समायोजन                                | —                         | 59.73    | 84.85       | 148.17         | 119.27 (1.46)        | 8.91      | 263.77 (17.69)      | 200.01 (37.86)  | 884.71 (57.01)      |     |
| 31 मार्च 2023 को वर्ष हेतु प्रभारित मूल्यद्वारा | —                         | 122.25   | 343.58      | 596.47         | 407.34               | 46.20     | 1,092.55            | 600.08          | 3,208.47            |     |
| निस्तारण/समायोजन                                | —                         | 59.73    | 84.85       | 88.77          | 110.42 (153.15)      | 8.91      | 237.90 (36.05)      | 177.55 (171.33) | 768.13 (360.53)     |     |
| 31 मार्च 2024 को निवल वाहक मूल्य                | —                         | 181.98   | 428.43      | 685.24         | 364.60               | 55.11     | 1,294.41            | 606.31          | 3,616.07            |     |
| 31 मार्च 2024 को                                | 10,07,086.45              | 3,590.73 | 911.33      | 93.55          | 378.63               | 19.91     | 500.83              | 425.88          | 10,13,007.35        |     |
| 31 मार्च 2023 को                                | 9,18,904.45               | 3,650.46 | 996.18      | 142.38         | 462.05               | 28.82     | 571.28              | 322.55          | 9,25,078.17         |     |
| 1 अप्रैल 2022 को                                | 7,94,680.76               | 3,710.19 | 1,081.03    | 198.68         | 523.95               | 37.73     | 667.02              | 382.06          | 8,01,281.42         |     |

**नोट 3.1**—फ्रीहोल्ड भूमि में भूमि अधिग्रहण करने की लागत एवं भूमि अधिग्रहण एवं सुविधा से संबंधित व्यय शामिल हैं। कुछ मामलों में, भूमि फ्रीहोल्ड है और कंपनी के नाम पर विलेख अभी तक हस्तांतरित नहीं हुआ है। कुछ मामलों में फ्रीहोल्ड भूमि अधिग्रहित विलेखदाखिल-खारिज हस्तांतरण लंबित है।

**नोट 3.2**—भूमि से संबंधित व्यय को वर्ष के दौरान भूमि के संबंधित मद में किए गए योगदान के अनुपात में फ्रीहोल्ड भूमि, लीजहोल्ड भूमि एवं भूमि उपयोग के अधिकार हेतु आवंटित किया गया है।

**नोट 3.3**—कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेखों के संबंध में जानकारी के लिए नोट 40 (xviii) देखें।

**नोट:-4**

**जारी पूंजीगत कार्य**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                   | कुल                 |
|-------------------------|---------------------|
| <b>1 अप्रैल 2022 को</b> | <b>10,17,133.19</b> |
| संवर्धन (अनुगामी व्यय)  | 15,82,850.67        |
| समायोजन                 | —                   |
| <b>31 मार्च 2023 को</b> | <b>25,99,983.86</b> |
| संवर्धन (अनुगामी व्यय)  | 15,93,408.73        |
| समायोजन                 | —                   |
| <b>31 मार्च 2024 को</b> | <b>41,93,392.59</b> |

**नोट 4.1-जारी पूंजीगत कार्य का विवरण**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                                                                                                                                              | शेष राशि<br>01.04.2022<br>तक | वित्त वर्ष 2022-23  |          | वित्त वर्ष 2023-24  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                    |                              | संवर्धन             | समायोजन  | संवर्धन             | समायोजन             |
| क. एमएचएसआर*:<br>निर्माण/खरीद लागत<br>यूटिलिटी/उपयोगिता स्थानांतरण<br>परामर्श सेवा लागत<br>प्रारंभिक परियोजना व्यय<br>आकस्मिक परियोजना व्यय<br>घटाया: निविदा का विक्रय एवं अन्य आय | 7,81,722.74                  | 14,80,012.78        | —        | 14,54,740.13        | —                   |
|                                                                                                                                                                                    | 1,47,738.10                  | 23,305.56           | —        | 30,444.36           | —                   |
|                                                                                                                                                                                    | 29,117.08                    | 30,871.93           | —        | 49,526.70           | —                   |
|                                                                                                                                                                                    | 5,429.02                     | 1,285.73            | —        | 68.85               | —                   |
|                                                                                                                                                                                    | 56,069.00                    | 21,713.65           | —        | 44,195.96           | —                   |
|                                                                                                                                                                                    | (2,942.75)                   | (753.66)            | —        | (16.62)             | —                   |
| ख. कार्यालय भवन :<br>कार्यालय भवन                                                                                                                                                  | —                            | 26,414.68           | —        | 14,449.35           | —                   |
| <b>कुल</b>                                                                                                                                                                         | <b>10,17,133.19</b>          | <b>15,82,850.67</b> | <b>—</b> | <b>15,93,408.73</b> | <b>—</b>            |
|                                                                                                                                                                                    |                              |                     |          |                     | <b>41,93,392.59</b> |

## नोट 4.2—जारी पूंजीगत कार्य की आयु निर्धारण अनुसूची

31 मार्च 2024 तक

राशि (रु. लाख में)

| सीडब्ल्यूआईपी                       | निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआई में राशि |              |             |                | कुल          |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
|                                     | 1 वर्ष से कम                           | 1-2 वर्ष     | 2 से 3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |              |
| जारी परियोजनाएं (एमएचएसआर)          | 15,78,959.38                           | 15,56,436.00 | 7,45,623.41 | 2,71,509.79    | 41,52,528.57 |
| कार्यालय भवन                        | 14,449.35                              | 26,414.68    | —           | —              | 40,864.03    |
| अस्थायी रूप से निर्लंबित परियोजनाएं | —                                      | —            | —           | —              | —            |
| कुल                                 | —                                      | —            | —           | —              | 41,93,392.60 |

31 मार्च 2024 तक

राशि (रु. लाख में)

| सीडब्ल्यूआईपी                       | निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआई में राशि |             |             |                | कुल          |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------------|
|                                     | 1 वर्ष से कम                           | 1-2 वर्ष    | 2 से 3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |              |
| जारी परियोजनाएं (एमएचएसआर)          | 15,56,436.00                           | 7,45,623.41 | 1,51,686.66 | 1,19,823.13    | 25,73,569.19 |
| कार्यालय भवन                        | 26,414.68                              | —           | —           | —              | 26,414.68    |
| अस्थायी रूप से निर्लंबित परियोजनाएं | —                                      | —           | —           | —              | —            |
| कुल                                 | —                                      | —           | —           | —              | 25,99,983.87 |

नोट 4.3—जारी पूंजीगत कार्य की आयु निर्धारण अनुसूची जिसका पूरा होना विलम्बित है या जिसकी लागत मूल योजना में अधिक हो गई है।

31 मार्च 2024 तक

राशि (रु. लाख में)

| सीडब्ल्यूआईपी                       | निम्न में पूरा किया जाना है |          |             |                | कुल          |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------|----------------|--------------|
|                                     | 1 वर्ष से कम                | 1-2 वर्ष | 2 से 3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |              |
| जारी परियोजनाएं (एमएचएसआर)          | —                           | —        | —           | 41,52,528.57   | 41,52,528.57 |
| कार्यालय भवन                        | —                           | —        | —           | —              | —            |
| अस्थायी रूप से निर्लंबित परियोजनाएं | —                           | —        | —           | —              | —            |
| कुल                                 | —                           | —        | —           | 41,52,528.57   | 41,52,528.57 |

\* मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना

**नोट 5.1—अन्य अमूर्त संपत्तियाँ**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                          | स्पेक्ट्रम शुल्क* | सॉफ्टवेयर       | राइट फॉर यूज ऑफ लैंड | कुल             |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>सकल वाहक राशि</b>           |                   |                 |                      |                 |
| <b>1 अप्रैल 2022 को</b>        | —                 | <b>5,839.99</b> | <b>2,490.93</b>      | <b>8,330.92</b> |
| संवर्धन                        | 1,159.47          | 48.78           | 70.29                | 1,278.54        |
| निस्तारण/समायोजन               | —                 | (116.99)        | —                    | (116.99)        |
| <b>31 मार्च 2023 को</b>        | <b>1,159.47</b>   | <b>5,771.78</b> | <b>2,561.22</b>      | <b>9,492.47</b> |
| संवर्धन                        | 1,208.19          | 63.90           | 71.98                | 1,344.07        |
| निस्तारण/समायोजन               | (1159.47)         | (0.81)          | —                    | (1160.28)       |
| <b>31 मार्च 2024 को</b>        | <b>1,208.19</b>   | <b>5,834.87</b> | <b>2,633.20</b>      | <b>9,676.26</b> |
| <b>संचित मूल्यहास एवं हानि</b> |                   |                 |                      |                 |
| <b>1 अप्रैल 2022 को</b>        | —                 | <b>1,062.42</b> | <b>260.38</b>        | <b>1,322.80</b> |
| वर्ष हेतु परिशोधन शुल्क        | 187.42            | 1,128.15        | 168.47               | 1,484.04        |
| निस्तारण/समायोजन               | —                 | —               | —                    | —               |
| <b>31 मार्च 2023 को</b>        | <b>187.42</b>     | <b>2,190.57</b> | <b>428.85</b>        | <b>2,806.84</b> |
| वर्ष हेतु परिशोधन शुल्क        | 1,211.36          | 1,139.90        | 166.55               | 2,517.81        |
| निस्तारण/समायोजन               | (1159.47)         | (0.60)          | —                    | (1160.07)       |
| <b>31 मार्च 2024 को</b>        | <b>239.31</b>     | <b>3,329.87</b> | <b>595.40</b>        | <b>4,164.58</b> |
| <b>निवल वाहक राशि</b>          |                   |                 |                      |                 |
| <b>31 मार्च 2024 को</b>        | <b>968.88</b>     | <b>2,505.00</b> | <b>2,037.80</b>      | <b>5,511.68</b> |
| <b>31 मार्च 2023 को</b>        | <b>972.05</b>     | <b>3,581.21</b> | <b>2,132.37</b>      | <b>6,685.63</b> |
| <b>1 अप्रैल 2022 को</b>        | —                 | <b>4,777.55</b> | <b>2,230.54</b>      | <b>7,008.10</b> |

\* कंपनी ने स्पेक्ट्रम प्रभारों के निस्तारण के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय ली है और तदनुसार स्पेक्ट्रम संबंधी शुल्क हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस पर किए गए व्यय को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी गई है और वर्ष के दौरान इसके परिशोधन को एमएचएसआर परियोजना के निर्माण से सीधे संबंधित व्यय माना गया है और परियोजना की लागत के साथ पूंजीकृत किया गया है।

**नोट 5.2—विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                              | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ—कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर | 509.36           | 509.36           |
| <b>कुल</b>                                         | <b>509.36</b>    | <b>509.36</b>    |

**नोट 5.2.1—विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची**
**31 मार्च 2024 तक**

राशि (रु. लाख में)

| विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ    | निम्न अवधि हेतु विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि |             |             |                | कुल    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------|
|                                   | 1 वर्ष से कम                                            | 1 से 2 वर्ष | 2 से 3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |        |
| कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर               | —                                                       | 509.36      | —           | —              | 509.36 |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं | —                                                       | —           | —           | —              | —      |

### 31 मार्च 2023 तक

राशि (रु. लाख में)

| विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ    | निम्न अवधि हेतु विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि |             |             |                | कुल    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------|
|                                   | 1 वर्ष से कम                                            | 1 से 2 वर्ष | 2 से 3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |        |
| कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर               | 509.36                                                  | —           | —           | —              | 509.36 |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं | —                                                       | —           | —           | —              | —      |

नोट 5.2.2—विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची, जिनका पूरा होना विलंबित है या जिनकी लागत उनकी मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है।

### 31 मार्च 2024 तक

राशि (रु. लाख में)

| विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ | निम्न अवधि हेतु विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि |             |             |                | कुल    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------|
|                                | 1 वर्ष से कम                                            | 1 से 2 वर्ष | 2 से 3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |        |
| कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर            | 509.36                                                  | —           | —           | —              | 509.36 |
| कुल                            | 509.36                                                  | —           | —           | —              | 509.36 |

### नोट 5.3—राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट्स

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                            | भूमि      | भवन      | वाहन     | कुल       |
|----------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| <b>सकल वाहक राशि</b>             |           |          |          |           |
| 1 अप्रैल 2022 को                 | 19,413.74 | 2,898.67 | 419.30   | 22,731.71 |
| वर्ष के दौरान संवर्धन            | —         | 190.72   | 117.51   | 308.23    |
| निस्तारण/समायोजन                 | 2.05      | (79.30)  | (208.71) | (285.96)  |
| 31 मार्च 2023 को                 | 19,415.79 | 3,010.09 | 328.10   | 22,753.98 |
| वर्ष के दौरान संवर्धन            | 415.95    | 1,233.55 | 38.55    | 1,688.05  |
| निस्तारण/समायोजन                 | —         | —        | —        | —         |
| 31 मार्च 2024 को                 | 19,831.74 | 4,243.64 | 366.65   | 24,442.03 |
| <b>संचित मूल्यह्रास एवं हानि</b> |           |          |          |           |
| 1 अप्रैल 2022 को                 | 336.72    | 1,198.37 | 224.69   | 1,759.78  |
| वर्ष हेतु प्रभारित मूल्यह्रास    | 141.92    | 648.11   | 94.73    | 884.76    |
| निस्तारण/समायोजन                 | —         | (79.30)  | (208.71) | (288.01)  |
| 31 मार्च 2023 को                 | 478.64    | 1,767.18 | 110.71   | 2,356.53  |
| वर्ष हेतु प्रभारित मूल्यह्रास    | 141.92    | 768.22   | 90.38    | 1,000.52  |
| निस्तारण/समायोजन                 | —         | —        | —        | —         |
| 31 मार्च 2024 को                 | 620.56    | 2,535.40 | 201.09   | 3,357.05  |
| <b>निवल वाहक मूल्य</b>           |           |          |          |           |
| 31 मार्च 2024 को                 | 19,211.18 | 1,708.24 | 165.56   | 21,084.98 |
| 31 मार्च 2023 को                 | 18,937.15 | 1,242.91 | 217.39   | 20,397.45 |
| 1 अप्रैल 2022 को                 | 19,077.02 | 1,700.30 | 194.61   | 20,971.92 |

नोट 5.3.1—भूमि संवर्धन में भूमि अधिग्रहण लागत और भूमि अधिग्रहण एवं सुविधा से संबंधित व्यय शामिल हैं। भूमि के मूल्य में भारत सरकार/रेल मंत्रालय/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण आदि से अधिग्रहित लीजहोल्ड भूमि शामिल है, जिसका मूल्य 19,831.74 लाख रुपये (पिछले वर्ष 19,077.02 लाख रुपये) है।

## नोट:—6

### वित्तीय परिसंपत्तियां—गैर चालू

#### नोट 6.1—ऋण

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                     | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक | 1 अप्रैल 2022 तक |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| परिशोधित लागत पर अप्रतिभूत, शोध्य ऋण      |                  |                  |                  |
| कर्मचारी को भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण | 24.73            | 25.69            | 27.66            |
| <b>कुल</b>                                | <b>24.73</b>     | <b>25.69</b>     | <b>27.66</b>     |

#### नोट 6.2—अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                               | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक | 1 अप्रैल 2022 तक |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| परिशोधित लागत पर अप्रतिभूत, शोध्य ऋण                                |                  |                  |                  |
| प्रतिभूति जमा राशि                                                  | 391.64           | 227.88           | 517.34           |
| स्वत्व के रूप में रखी गई सावधि जमाराशि (एमआईडीसी) (नोट 6.2.1 देखें) | 19.82            | —                | 17.10            |
| <b>कुल</b>                                                          | <b>411.46</b>    | <b>227.88</b>    | <b>534.44</b>    |

#### नोट 6.2.1—स्वत्व के रूप में रखी गई सावधि जमाराशि का विवरण

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                  | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक | 1 अप्रैल 2022 तक |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| एमआईडीसी (महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) | 19.82            | 17.10            | 17.10            |
| <b>कुल</b>                                             | <b>19.82</b>     | <b>17.10</b>     | <b>17.10</b>     |

## नोट:—7

### आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                        | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक | 1 अप्रैल 2022 तक |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>क. आस्थगित कर देयताएं</b>                 |                  |                  |                  |
| संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर                  | 985.71           | 546.70           | 107.85           |
| आस्थगित कर दायित्व का योग                    | <b>985.71</b>    | <b>546.70</b>    | <b>107.85</b>    |
| <b>ख. आस्थगित कर परिसंपत्तियां</b>           |                  |                  |                  |
| संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर                  | 852.28           | 364.97           | 65.84            |
| प्रारंभिक व्यय                               | 79.14            | 136.22           | 163.15           |
| संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर                  | —                | —                | —                |
| कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान                   | 399.76           | 268.92           | 232.60           |
| पट्टा देयताएं और आरओयू (राइट ऑफ यूज)         | (195.69)         | 60.26            | 50.82            |
| आस्थगित कर परिसंपत्तियों का योग              | <b>1,135.49</b>  | <b>830.37</b>    | <b>512.41</b>    |
| <b>शुद्ध आस्थगित कर (दायित्व)/परिसंपत्ति</b> | <b>149.78</b>    | <b>283.67</b>    | <b>404.56</b>    |

## आस्थगित कर परिसंपत्ति/(दायित्व) में प्रचालन

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                 | प्रारंभिक व्यय | पट्टा देयताएं और आरयोयू (राइट ऑफ यूज) | संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण | कर्मचारी लाभ व्यय | कुल           |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| <b>1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष</b> | <b>163.15</b>  | <b>50.82</b>                          | <b>(42.01)</b>             | <b>232.60</b>     | <b>404.56</b> |
| वर्ष के दौरान प्रभारित/(जमा)          | —              | —                                     | —                          | —                 | —             |
| लाभ एवं हानि                          | (26.93)        | 9.44                                  | (139.72)                   | 27.47             | (129.74)      |
| अन्य व्यापक आय                        | —              | —                                     | —                          | 8.85              | 8.85          |
| <b>31 मार्च 2023 को अंतिम शेष</b>     | <b>136.22</b>  | <b>60.26</b>                          | <b>(181.73)</b>            | <b>268.92</b>     | <b>283.67</b> |
| वर्ष के दौरान प्रभारित/(जमा)          | —              | —                                     | —                          | —                 | —             |
| लाभ एवं हानि                          | (57.08)        | (255.94)                              | 48.30                      | 123.92            | (140.80)      |
| अन्य व्यापक आय                        | —              | —                                     | —                          | 6.91              | 6.91          |
| <b>31 मार्च 2024 तक अंतिम शेष</b>     | <b>79.14</b>   | <b>(195.69)</b>                       | <b>(133.43)</b>            | <b>399.76</b>     | <b>149.78</b> |

### नोट:-8

#### अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                         | 31 मार्च 2024 तक   | 31 मार्च 2023 तक   | 1 अप्रैल 2022 तक   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>क) अग्रिम पूंजी</b>                                        |                    |                    |                    |
| भूमि अधिग्रहण हेतु अग्रिम राशि                                | 76,116.79          | 90,470.84          | 1,11,550.67        |
| अन्य हेतु अग्रिम (नोट 8.1 देखें)                              | 7,28,344.90        | 5,52,473.46        | 5,36,472.89        |
| <b>ख) अन्य</b>                                                |                    |                    |                    |
| उचित मूल्य समायोजन-प्रतिभूति जमा (नोट 8.2 देखें)              | 77.55              | 0.83               | 15.60              |
| उचित मूल्य समायोजन-भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) (नोट 8.3 देखें) | 7.32               | 8.30               | 9.31               |
| <b>कुल</b>                                                    | <b>8,04,546.56</b> | <b>6,42,953.43</b> | <b>6,48,048.47</b> |

**नोट 8.1**—इसमें कंपनी की ओर से ठेकेदार द्वारा संचालित बैंक खाते में पड़ी शेष राशि शामिल है, जिसमें ठेकेदार को कंपनी के उपयोगिता स्थानांतरण कार्यों के संबंध में निर्दिष्ट लेनदेन करने की अनुमति है। इसलिए, उपर्युक्त शेष राशि को पूंजी अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

**नोट 8.2**—यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य एवं लेनदेन मूल्य के बीच अंतर के अशोधित हिस्से को दर्शाता है।

**नोट 8.3**—यह भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण के उचित मूल्य एवं लेनदेन मूल्य के बीच अंतर के अशोधित हिस्से को दर्शाता है।

## नोट:-9

### वित्तीय परिसंपत्तियां—चालू

#### नोट 9.1—व्यापार प्राप्य

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                        | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक | 1 अप्रैल 2022 तक |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| व्यापार प्राप्य                                              |                  |                  |                  |
| शोध ऋण—सुरक्षित;                                             | —                | —                | —                |
| शोध ऋण—असुरक्षित;                                            | —                | —                | —                |
| व्यापार प्राप्य जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है | —                | —                | —                |
| व्यापार प्राप्य—ऋण                                           | —                | —                | —                |

नोट 9.1.1—कोई व्यापारिक प्राप्य नहीं है, इसलिए इसकी काल प्रभावन का विवरण तैयार नहीं किया गया है और इसका प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

#### नोट 9.2—नकद और नकद समतुल्य

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                  | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक | 1 अप्रैल 2022 तक |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| बैंक शेष:                                              |                  |                  |                  |
| —चालू खाते में                                         | 36,623.50        | 1,444.81         | 24,680.00        |
| —पलेक्सी खाते में                                      | 28,558.29        | 35,828.60        | 32,316.00        |
| अग्रदाय खाते में                                       | 15.35            | 14.78            | 12.00            |
| सावधि जमा (3 माह या 3 माह से कम की मूल परिपक्वता अवधि) | —                | 20,000.00        | 2,40,103.00      |
| कुल                                                    | 65,197.14        | 57,288.19        | 2,97,110.76      |

कंपनी की तत्काल नकदी आवश्यकताओं, और संबंधित अल्पकालिक जमा दरों पर अर्जित ब्याज के आधार पर अल्पकालिक जमा एक दिन और तीन महीने के बीच की अलग-अलग अवधि हेतु किए जाते हैं।

#### नोट 9.3—नकदी और नकदी समतुल्यों के अलावा अन्य बैंक शेष

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                     | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक | 1 अप्रैल 2022 तक |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| बैंक शेष:                                                 |                  |                  |                  |
| सावधि जमा (3 माह से अधिक और 12 माह तक मूल परिपक्वता सहित) | —                | —                | 20,202.29        |
| बैंक में निर्धारित शेष राशि (नोट 9.3.1 देखें)             | 124.90           | 89.32            | 105.88           |
| कुल                                                       | 124.90           | 89.32            | 20,308.17        |

नोट 9.3.1—बैंकों के पास निर्धारित शेष सीएसआर व्यय के लिए अप्रयुक्त शेष राशि को दर्शाती है।

#### नोट 9.4—ऋण

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                     | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक | 1 अप्रैल 2022 तक |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| परिशोधित लागत पर असुरक्षित, शोध ऋण        |                  |                  |                  |
| कर्मचारी को भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण | 3.85             | 3.85             | 3.85             |
| कुल                                       | 3.85             | 3.85             | 3.85             |

## नोट 9.5—अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                                   | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक | 1 अप्रैल 2022 तक |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| अर्जित ब्याज                                                            | 28.12            | 157.02           | 559.98           |
| अन्य प्राप्य                                                            | 0.46             | 1.68             | 2.89             |
| प्राप्य योग्य ब्याज                                                     | —                | 73.82            | 144.66           |
| प्रतिभूति जमा राशि                                                      | 1,050.89         | 648.12           | 309.24           |
| स्वत्व के रूप में रखी गई सावधि जमा राशि (एमआईडीसी)<br>(नोट 6.2.1 देखें) | —                | 17.10            | —                |
| बिल न किया गया राजस्व                                                   | 12,765.55        | —                | —                |
| <b>कुल</b>                                                              | <b>13,845.02</b> | <b>897.74</b>    | <b>1,016.77</b>  |

## नोट:—10

### अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                           | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक | 1 अप्रैल 2022 तक |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| पूँजीगत अग्रिम के अतिरिक्त अन्य अग्रिम          |                  |                  |                  |
| व्यय हेतु अग्रिम                                | 323.84           | 12.97            | 2.64             |
| अन्य                                            |                  |                  |                  |
| पूर्वदत्त व्यय                                  | 252.23           | 289.78           | 1,230.87         |
| उचित मूल्य समायोजन—प्रतिभूति जमा*               | 20.01            | 15.58            | 17.69            |
| उचित मूल्य समायोजन—भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए)** | 0.86             | 0.87             | 0.89             |
| अग्रिम—एचएसआर इनोवेशन ट्रस्ट                    | —                | —                | 3.52             |
| नई एचएसआर परियोजनाओं पर व्यय (नोट 17.1 देखें)   | —                | 10,105.09        | 6,802.03         |
| <b>कुल</b>                                      | <b>596.94</b>    | <b>10,424.29</b> | <b>8,057.64</b>  |

\*यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य तथा लेनदेन मूल्य के बीच अंतर के अपरिशोधित हिस्से को प्रदर्शित करता है।

\*\*यह भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) के उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर के अपरिशोधित हिस्से को दर्शाता है।

## नोट:—11

### इक्विटी शेयर पूँजी

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                              | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2023 को | 1 अप्रैल 2022 को |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| अधिकृत शेयर पूँजी                                                  |                  |                  |                  |
| प्रत्येक रु. 1000 के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर                     | 20,00,000        | 20,00,000        | 20,00,000        |
| (31 मार्च 2023 तक, प्रत्येक रु. 1000 के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर) | <b>20,00,000</b> | <b>20,00,000</b> | <b>20,00,000</b> |
| निर्मित/अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी                                  |                  |                  |                  |
| प्रत्येक रु. 1000 के 15,00,60,000 इक्विटी शेयर                     | 15,00,600        | 14,21,143        | 12,93,000        |
| (31 मार्च 2023 तक, प्रत्येक रु. 1000 के 14,21,14,300 इक्विटी शेयर) | <b>15,00,600</b> | <b>14,21,143</b> | <b>12,93,000</b> |

### नोट 11.1—इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का मिलान

| विवरण                                                    | 31 मार्च 2024 को    |                    | 31 मार्च 2023 को    |                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                                                          | शेयरों की संख्या    | राशि (रु. लाख में) | शेयरों की संख्या    | राशि (रु. लाख में) |
| प्रारंभ में निर्गत/अभिदत्त तथा प्रदत्त इक्विटी पूंजी     | 14,21,14,300        | 14,21,143          | 12,93,00,000        | 12,93,000          |
| बकाया                                                    | 79,45,700           | 79,457             | 1,28,14,300         | 1,28,143           |
| जोड़: वर्ष के दौरान निर्गत शेयर                          |                     |                    |                     |                    |
| वर्ष के अंत में निर्गत/अभिदत्त तथा प्रदत्त इक्विटी पूंजी | <b>15,00,60,000</b> | <b>15,00,600</b>   | <b>14,21,14,300</b> | <b>14,21,143</b>   |

### नोट 11.2—शेयरों से संबद्ध अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

कंपनी के पास केवल एक ही वर्ग के इक्विटी शेयर हैं जिन्हें इक्विटी शेयरों के रूप में सन्दर्भित किया गया है जिसका सममूल्य रु. 1000/- है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरधारक समस्त अधिमान्य राशियों के वितरण के पश्चात कंपनी की किसी भी शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने का हकदार हैं। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान शेयरधारकों को वितरण हेतु घोषित लाभांश शून्य (पिछला वर्ष: शून्य) था।

### नोट 11.3—कंपनी में कुल शेयरों के 5% से अधिक शेयर करने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

| शेयरधारक का नाम                          | 31 मार्च 2024 को    |                | 31 मार्च 2023 को    |                |
|------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                          | शेयरों की संख्या    | धारिता का %    | शेयरों की संख्या    | धारिता का %    |
| इक्विटी शेयर                             |                     |                |                     |                |
| रेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं उसके नामिती | 10,00,00,000        | 66.64%         | 10,00,00,000        | 70.37%         |
| गुजरात सरकार                             | 5,00,00,000         | 33.32%         | 4,20,54,300         | 29.59%         |
| महाराष्ट्र सरकार                         | 60,000              | 0.04%          | 60,000              | 0.04%          |
| <b>कुल</b>                               | <b>15,00,60,000</b> | <b>100.00%</b> | <b>14,21,14,300</b> | <b>100.00%</b> |

### नोट 11.4—प्रमोटरों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

#### 31 मार्च 2024 तक

| प्रमोटर का नाम                           | वर्ष की शुरुआत में शेयरों की संख्या (संख्या में) | वर्ष के दौरान परिवर्तन | वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या | कुल शेयर का % | वर्ष के दौरान % परिवर्तन |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|
| प्रत्येक रुपये 1000 के इक्विटी शेयर      |                                                  |                        |                                  |               |                          |
| रेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं उसके नामिती | 10,00,00,000                                     | —                      | 10,00,00,000                     | 66.64%        | —3.73%                   |
| गुजरात सरकार (जीओजी)                     | 4,20,54,300                                      | 79,45,700              | 5,00,00,000                      | 33.32%        | 3.73%                    |
| महाराष्ट्र सरकार (जीओएम)                 | 60,000                                           | —                      | 60,000                           | 0.04%         | 0.00%                    |
| <b>कुल</b>                               | <b>14,21,14,300</b>                              | <b>79,45,700</b>       | <b>15,00,60,000</b>              |               |                          |

\*कम्पनी के अंतर्नियम के खंड 26 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार, महाराष्ट्र सरकार की ओर से इक्विटी योगदान में कमी है। यह खंड अनिवार्य करता है कि कंपनी के प्रमोटरों के बीच यह सहमति है कि किसी भी समय भारत सरकार का हिस्सा 26% से कम नहीं होगा और जीओएम/जीओजी का हिस्सा 10% से कम नहीं होगा। हालाँकि, जीओएम ने तुलन-पत्र की तारीख तक कुल शेयरधारिता का केवल 0.04% योगदान दिया है और कंपनी के अंतर्नियम के अनुसार शेष योगदान अभी भी किया जाना है।

### 31 मार्च 2023 तक

| प्रमोटर का नाम                           | वर्ष की शुरुआत में शेयरों की संख्या (संख्या में) | वर्ष के दौरान परिवर्तन | वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या | कुल शेयर का %  | वर्ष के दौरान % परिवर्तन |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| प्रत्येक रुपये 1000 के इक्विटी शेयर      |                                                  |                        |                                  |                |                          |
| रेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं उसके नामिती | 10,00,00,000                                     | —                      | 10,00,00,000                     | 70.37%         | -6.97%                   |
| गुजरात सरकार (जीओजी)                     | 2,93,00,000                                      | 1,27,54,300            | 4,20,54,300                      | 29.59%         | 6.93%                    |
| महाराष्ट्र सरकार (जीओएम)                 | —                                                | 60,000                 | 60,000                           | 0.04%          | 0.04%                    |
| <b>कुल</b>                               | <b>12,93,00,000</b>                              | <b>1,28,14,300</b>     | <b>14,21,14,300</b>              | <b>100.00%</b> |                          |

**नोट 11.5**—रिपोर्टिंग तिथि से ठीक पहले की पांच वर्ष की अवधि के दौरान कोई भी इक्विटी शेयर बोनस के रूप में या नकदी के अलावा किसी अन्य प्रतिफल हेतु जारी नहीं किए गए और न ही कोई शेयर बाई बैक किए गए।

### नोट:—12

#### अन्य इक्विटी

राशि (लाखों रुपये में)

| विवरण                                           | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2023 को | 1 अप्रैल 2022 को |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| प्रतिधारित आय (नोट 12.1 देखें)                  | 31,309.31        | 23,393.50        | 19,058.03        |
| शेयर अनुप्रयोग धन लम्बित आवंटन (नोट 12.2 देखें) | —                | 29,457.00        | 20,000.00        |
| <b>कुल</b>                                      | <b>31,309.31</b> | <b>52,850.50</b> | <b>39,058.03</b> |

### नोट 12.1—प्रतिधारित आय

राशि (लाखों रुपये में)

| विवरण                                                                       | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| प्रारंभिक शेष                                                               | <b>24,478.65</b> | <b>19,253.79</b> |
| पूर्व अवधि समायोजन                                                          | (1,085.15)       | (195.76)         |
| वर्ष में 1 अप्रैल को समायोजित शेष                                           | <b>23,393.50</b> | <b>19,058.03</b> |
| जोड़ा: वर्ष के दौरान लाभ                                                    | 8,015.83         | 4,489.91         |
| घटाया: शेयर निर्गमन व्यय                                                    | (79.46)          | (128.14)         |
| निवल आय कर के परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्मूल्यन से उत्पन्न अन्य व्यापक आय | (20.56)          | (26.30)          |
| <b>अंतिम शेष</b>                                                            | <b>31,309.31</b> | <b>23,393.50</b> |

### आरक्षियों की प्रकृति और उद्देश्य:

#### (क) प्रतिधारित आय

आरक्षित आय कंपनी के अविभाजित मुनाफे का प्रतिनिधित्व करती है।

## नोट 12.2—शेयर अनुप्रयोग धन लंबित आबंटन

राशि (लाखों रुपये में)

| विवरण                                            | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2023 को |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| प्रारंभिक शेष                                    | 29,457.00        | 20,000.00        |
| जोड़ा: वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर अनुप्रयोग राशि | 50,000.00        | 1,37,600.00      |
| घटाया: वर्ष के दौरान निर्गत शेयर                 | (79,457.00)      | (1,28,143.00)    |
| अंतिम शेष                                        | —                | 29,457.00        |

### नोट:—13

#### वित्तीय देयताएं—गैर चालू

## नोट 13.1—पट्टा देयताएं

राशि (लाखों रुपये में)

| विवरण         | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2023 को | 1 अप्रैल 2022 को |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| पट्टा देयताएं | 1,096.28         | 867.76           | 1,414.81         |
| कुल           | 1,096.28         | 867.76           | 1,414.81         |

## नोट 13.2—अन्य वित्तीय देयताएं (परिशोधित लागत पर)

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2023 को | 1 अप्रैल 2022 को |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| रेल मंत्रालय से अग्रिम/ईएपी (नोट 13.2.1 देखें)       | 43,49,500.00     | 25,20,000.00     | 13,20,000.00     |
| प्रतिभूति जमा राशि जिसमें प्रतिधारण राशि भी शामिल है | 9,523.53         | 10,799.86        | 523.08           |
| कुल                                                  | 43,59,023.53     | 25,30,799.86     | 13,20,523.08     |

नोट 13.2.1—वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने मुंबई—अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएचएसआर) परियोजना हेतु ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (“जेआईसीए”) के साथ निम्नलिखित समझौते (31 मार्च 2024 तक) किए हैं। चुकोत्ती अवधि 50 वर्ष (15 वर्ष की छूट अवधि सहित) है। ब्याज दर 0.1% प्रति वर्ष है।

| उद्देश्य                            | परियोजना के लिए प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण | एमएचएसआर का निर्माण | एमएचएसआर का निर्माण | एमएचएसआर का निर्माण | एमएचएसआर का निर्माण | एमएचएसआर का निर्माण |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ऋण आईडी                             | आईडी-P264                                    | आईडी-P277           | आईडी-P279           | आईडी-P305           | आईडी-P309           | आईडी-P316           |
| स्वीकृत ऋण राशि (लाखों में जेपीवाई) | 1,04,530                                     | 8,95,470            | 15,00,000           | 10,00,000           | 30,00,000           | 40,00,000           |
| ऋण समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि      | 15-09-2017                                   | 28-09-2018          | 29-10-2018          | 25-07-2022          | 29-03-2023          | 21-12-2023          |

रेल मंत्रालय (“एमओआर”) ने 31 मार्च 2024 तक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (“ईएपी”) के रूप में कंपनी को 43,49,500/- लाख रुपये (पिछले वर्ष 25,20,000/- लाख रुपये) की राशि जारी की है। जेआईसीए ने 31 मार्च 2024 तक एमओआर/एमओएफ को जेपीवाई 53,30,194.09 लाख (31 मार्च 2023: जेपीवाई 26,95,074.34 लाख) की ऋण राशि जारी की है।

कंपनी एवं रेलवे मंत्रालय के बीच उपर्युक्त ईएपी से संबंधित नियम व शर्तें इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की तिथि तक अभी विचाराधीन हैं। संबंधित नियमों व शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने तक, कंपनी ने उपर्युक्त ईएपी को “वित्तीय देनदारियाँ—गैर—चालू” मद के अंतर्गत दर्शाया है।

रेल मंत्रालय ने दिनांक 02.11.2023 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग को सूचित किया है कि “सरकार को हेजिंग लागत सौंपते हुए एनएचएसआरसीएल को 0.1% ब्याज पर एमएचएसआर परियोजना हेतु जेआईसीए ऋण के प्रस्ताव

को स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है"। तदनुसार, एनएचएसआरसीएल ने 31 मार्च 2024 तक कंपनी को रेल मंत्रालय द्वारा वितरित राशि (रेल मंत्रालय/वित्त मंत्रालय द्वारा जेआईसीए से प्राप्त ऋण की सीमा तक) पर 0.1% की दर से उपरोक्त ईएपी/अग्रिम पर ब्याज को मान्यता दी है।

लेन-देन मूल्य को रेल मंत्रालय से अग्रिम हेतु सुविचारित मूल्य माना गया है क्योंकि एनएचएसआरसीएल के मामले में समान क्रेडिट रेटिंग वाले समान साधन हेतु ब्याज उपलब्ध नहीं है। इसलिए, इंड एस 109 के अनुसार सुविचारित मूल्यांकन के लिए कोई समायोजन आवश्यक नहीं है।

#### नोट:-14

##### प्रावधान गैर-चालू

|                                                  | राशि (रु. लाख में) |                  |                  |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| विवरण                                            | 31 मार्च 2024 को   | 31 मार्च 2023 को | 1 अप्रैल 2022 को |
| अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान                    | 994.72             | 591.20           | 603.26           |
| सामान/समायोजन भत्ते हेतु प्रावधान                | 50.75              | 37.34            | 27.83            |
| एल.टी.सी. (छुट्टी यात्रा रियायत) के लिए प्रावधान | 211.59             | 163.42           | 115.51           |
| सीएसआर हेतु प्रावधान                             | —                  | —                | 4.85             |
| <b>कुल</b>                                       | <b>1,257.06</b>    | <b>791.96</b>    | <b>751.45</b>    |

#### नोट:-15

##### अन्य गैर चालू देयताएं

|                                 | राशि (रु. लाख में) |                  |                  |
|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| विवरण                           | 31 मार्च 2024 को   | 31 मार्च 2023 को | 1 अप्रैल 2022 को |
| अग्रिम रूप से प्राप्त किराया आय | —                  | —                | 8.75             |
| <b>कुल</b>                      | <b>—</b>           | <b>—</b>         | <b>8.75</b>      |

#### नोट:-16

##### वित्तीय देयताएं—चालू

##### नोट 16.1—पट्टा देयताएं

|               | राशि (रु लाख में) |                  |                  |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|
| विवरण         | 31 मार्च 2024 को  | 31 मार्च 2023 को | 1 अप्रैल 2022 को |
| पट्टा देयताएं | 945.46            | 831.96           | 682.03           |
| <b>कुल</b>    | <b>945.46</b>     | <b>831.96</b>    | <b>682.03</b>    |

##### नोट 16.2—व्यापार देयताएं

|                                                                              | राशि (रु. लाख में) |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| विवरण                                                                        | 31 मार्च 2024 को   | 31 मार्च 2023 को | 1 अप्रैल 2022 को |
| व्यापार देयताएं*                                                             |                    |                  |                  |
| (क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि; और                     | —                  | —                | —                |
| (ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि। | —                  | —                | —                |
| <b>कुल</b>                                                                   | <b>—</b>           | <b>—</b>         | <b>—</b>         |

\*कोई व्यापारिक देयताएं नहीं हैं, इसलिए संबंधित पक्षों को देयताओं का विवरण एवं प्रकटीकरण तैयार नहीं किया गया है।

### नोट 16.3—अन्य वित्तीय देयताएं (परिशोधित लागत पर)

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                | 31 मार्च 2024 को   | 31 मार्च 2023 को   | 1 अप्रैल 2022 को   |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| अन्य देयताएं (नोट 16.3.1 देखें)                      | 1,93,226.18        | 2,30,215.54        | 141,384.05         |
| कर्मचारी लाभ देय                                     | 116.60             | 20.81              | 27.79              |
| प्रतिभूति जमा राशि जिसमें प्रतिधारण राशि भी शामिल है | 2,546.25           | 754.94             | 1,795.91           |
| ईएपी पर अर्जित ब्याज (नोट 13.2.1 देखें)              | 3,386.37           | 1,450.12           | 261.60             |
| <b>कुल</b>                                           | <b>1,99,275.40</b> | <b>2,32,441.41</b> | <b>1,43,469.35</b> |

नोट 16.3.1—अन्य देय गैर—ब्याज वाले लिखत हैं।

### नोट:—17

#### अन्य चालू देनदारियां

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                             | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2023 को | 1 अप्रैल 2022 को |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| अनुबंध दायित्व                    |                  |                  |                  |
| ग्राहक से अग्रिम (नोट 17.1 देखें) | 10,207.00        | 10,207.00        | 10,207.00        |
| अन्य                              |                  |                  |                  |
| अग्रिम रूप से प्राप्त किराया आय   | 8.73             | 8.75             | 23.31            |
| वैधानिक बकाया                     | 13,824.73        | 14,928.24        | 12,983.45        |
| अन्य                              | 0.56             | 1.06             | —                |
| <b>कुल</b>                        | <b>24,041.02</b> | <b>25,145.05</b> | <b>23,213.76</b> |

**नोट 17.1—**रेल मंत्रालय (एमओआर) ने भारत में कुछ निर्दिष्ट स्थानों पर 13 अप्रैल 2019 और 15 अप्रैल 2020 के पत्र के माध्यम से एनएचएसआरसीएल को आठ नेशनल हाई स्पीड रेल ("एचएसआर") कॉरिडोर हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ("डीपीआर, रिपोर्ट") तैयार करने का काम सौंपा है, जिसकी अनुमानित लागत 50,723 लाख रुपये और लागू कर है, जिसके एवज में कंपनी को वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 10,207 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। 31.3.2024 तक इस मद में कोई और धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

रेल मंत्रालय के बीच विस्तृत समझौता ज्ञापन 23 जनवरी 2024 को निष्पादित किया गया है। रेल मंत्रालय के पत्रों/एमओयू के अनुसार कंपनी ने 31 मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से कार्य का दायरा निष्पादित किया और डीपीआर (ड्राफ्ट/अंतिम) प्रस्तुत किया। हालाँकि रेल मंत्रालय से प्रस्तुत रिपोर्टों की स्वीकृति आज तक लंबित है। रेल मंत्रालय द्वारा रिपोर्टों की स्वीकृति की लंबित पुष्टि के कारण, एनएचएसआरसीएल निष्पादन संबंधी दायित्व में अपनी प्रगति को जानने की स्थिति में नहीं है और ये रिपोर्ट एनएचएसआरसीएल के लिए वैकल्पिक उपयोग के साथ एक परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करती है और एनएचएसआरसीएल के पास आज तक पूर्ण किए गए कार्य हेतु भुगतान का लागू करने योग्य अधिकार है। इसलिए, इन डीपीआर पर किए गए लागत की सीमा तक राजस्व को लाभ व हानि के विवरण में मान्यता दी गई है और रेल मंत्रालय से प्राप्त मोबिलाइजेशन अग्रिम को स्वीकृति की पुष्टि लंबित "ग्राहक से अग्रिम" के रूप में प्रकट किया गया है।

### नोट:—18

#### प्रावधान—चालू

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                           | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2023 को | 1 अप्रैल 2022 को |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| सीएसआर व्यय के लिए प्रावधान                     | 124.90           | 74.45            | 101.03           |
| उपदान का प्रावधान                               | 153.04           | 185.93           | 126.85           |
| अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान                     | 92.62            | 51.62            | 24.98            |
| सामानधनस्तारण भत्ते हेतु प्रावधान               | 0.71             | 0.52             | 0.34             |
| एल.टी.सी. (यात्रा भत्ता) हेतु प्रावधान          | 14.41            | 6.46             | 2.75             |
| सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान | 70.52            | 32.03            | 22.68            |
| <b>कुल</b>                                      | <b>456.20</b>    | <b>351.01</b>    | <b>278.63</b>    |

## नोट:-19

### चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)/चालू कर देयता (निवल)

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                          | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2023 को | 1 अप्रैल 2022 को |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| चालू कर परिसंपत्तियाँ          |                  |                  |                  |
| चालू कर हेतु प्रावधान          | (2,650.36)       | (1,041.52)       | (2,074.74)       |
| अग्रिम कर और स्रोत पर कर कटौती | 2,248.28         | 1,415.50         | 2,567.68         |
| कुल                            | (402.08)         | 373.98           | 492.94           |
| चालू कर देयता                  |                  |                  |                  |
| चालू कर हेतु प्रावधान          | —                | —                | —                |
| अग्रिम कर और स्रोत पर कर कटौती | —                | —                | —                |
| कुल                            | —                | —                | —                |

## नोट 20.1—प्रचालन से राजस्व

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                                        | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| प्रचालन से राजस्व                                                            |                                   |                                   |
| अन्य एचएसआर कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों से राजस्व (नोट 17.1 देखें) | 12,765.55                         | —                                 |
| कुल                                                                          | 12,765.55                         | —                                 |

## नोट 20.2—अन्य आय

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                       | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ब्याज आय                                                    |                                   |                                   |
| एफडीआर पर ब्याज आय                                          | 12,999.52                         | 7,740.40                          |
| ब्याज आय—प्लेक्सी खाता                                      | 1,544.78                          | 1,626.92                          |
| ब्याज आय—अन्य                                               | 91.46                             | 254.82                            |
| कर्मचारी को एचबीए ऋण की ब्याज आय                            | 2.15                              | 2.23                              |
| वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय                           | 20.65                             | 21.13                             |
| अन्य गैर—परिचालन आय                                         |                                   |                                   |
| अन्य प्राप्तियाँ                                            | 269.84                            | 131.13                            |
| कुल                                                         | 14,928.40                         | 9,776.63                          |
| घटाया: वित्त लागत में स्थानांतरित ब्याज आय (नोट 22.1 देखें) | (1,936.24)                        | (1,188.52)                        |
|                                                             | 12,992.16                         | 8,588.11                          |

## नोट:-21

### कर्मचारी लाभ व्यय

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| वेतन एवं मजदूरी                      | 10,671.09                         | 9,504.13                          |
| भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान | 1,690.42                          | 1,074.50                          |
| कर्मचारी कल्याण व्यय                 | 1,706.76                          | 1,417.13                          |
| कुल                                  | 14,068.27                         | 11,995.76                         |
| घटाया: सीडब्ल्यूआईपी में अन्तरित     | (13,809.48)                       | (11,755.11)                       |
| कुल                                  | 258.79                            | 240.65                            |

## नोट:-22

### वित्तीय लागत

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                 | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| कर पर ब्याज                                           | —                                 | 13.77                             |
| पट्टा देयता पर ब्याज                                  | 144.16                            | 157.78                            |
| रेल मंत्रालय से अग्रिम/ईएपी पर ब्याज (नोट 22.1 देखें) | —                                 | —                                 |
|                                                       | <b>144.16</b>                     | <b>171.55</b>                     |
| घटाया: सीडब्ल्यूआईपी में अन्तरित कुल                  | (141.59)                          | (155.27)                          |
| <b>कुल</b>                                            | <b>2.57</b>                       | <b>16.28</b>                      |

### नोट 22.1—रेल मंत्रालय से अग्रिम/ईएपी पर ब्याज

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                         | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| रेल मंत्रालय से अग्रिम/ईएपी पर ऋण लागत        | 1,936.24                          | 1,188.52                          |
| ऋण लेने की लागत की सीमा तक अग्रिम पर ब्याज आय | (1,936.24)                        | (1,188.52)                        |
|                                               | —                                 | —                                 |

## नोट:-23

### मूल्यहास और परिशोधन व्यय

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यहास (नोट-3 देखें)        | 768.14                            | 884.72                            |
| अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (नोट-5.1 देखें) | 2,517.81                          | 1,484.04                          |
| राइट ऑफ यूज एसेट्स का मूल्यहास (नोट-5.3 देखें)       | 1,000.51                          | 884.76                            |
| <b>कुल</b>                                           | <b>4,286.46</b>                   | <b>3,253.52</b>                   |
| घटाया: सीडब्ल्यूआईपी में अन्तरित                     | (4,234.26)                        | (3,060.35)                        |
| <b>कुल</b>                                           | <b>52.20</b>                      | <b>193.17</b>                     |

## नोट:-24

### अन्य व्यय

| विवरण                                                                    | राशि (रु. लाख में)                |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                          | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
| अन्य एचएसआर कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर व्यय (नोट 17.1 देखें) | 12,765.55                         | —                                 |
| कार्यालय का किराया                                                       | 1,139.49                          | 1,095.79                          |
| शुल्क, दरें और कर                                                        | 105.61                            | 83.43                             |
| मरम्मत रखरखाव और अन्य                                                    | 1,362.35                          | 1,360.96                          |
| बिजली और ईंधन                                                            | 282.27                            | 146.68                            |
| यात्रा व्यय                                                              | 1,858.46                          | 1,815.97                          |
| लेखा परीक्षकों को भुगतान (नोट संख्या 24.1 देखें)                         | 6.81                              | 5.44                              |
| विधिक एवं पेशेवर शुल्क                                                   | 300.96                            | 208.68                            |
| मुद्रण एवं स्टेशनरी                                                      | 180.15                            | 96.92                             |
| संचार व्यय                                                               | 93.71                             | 109.92                            |
| पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ                                                   | 10.90                             | 8.47                              |
| अतिथि सत्कार व्यय                                                        | 86.34                             | 85.40                             |
| परियोजना संवर्धन                                                         | 148.66                            | 112.64                            |
| अनुसंधान एवं विकास                                                       | 131.09                            | 351.42                            |
| विविध व्यय                                                               | 171.02                            | 24.08                             |
| गृह प्रबंधन व्यय                                                         | 479.21                            | 420.79                            |
| श्रम शक्ति की आउटसोर्सिंग                                                | 2,500.42                          | 2,226.85                          |
| विज्ञापन व्यय                                                            | 64.59                             | 27.32                             |
| वेबसाइट विकास प्रभार                                                     | —                                 | 21.45                             |
| सीएसआर व्यय                                                              | 201.62                            | 134.28                            |
| विदेशी मुद्रा हानि (निवल)                                                | 380.28                            | 1,021.54                          |
| <b>कुल</b>                                                               | <b>22,269.49</b>                  | <b>9,358.03</b>                   |
| घटाया: सीडब्ल्यूआईपी में अन्तरित                                         | (7,720.45)                        | (6,882.28)                        |
| <b>कुल</b>                                                               | <b>14,549.04</b>                  | <b>2,475.75</b>                   |

### नोट 24.1—लेखापरीक्षकों को भुगतान का विवरण

| विवरण                                              | राशि (रु. लाख में)                |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                    | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
| लेखा परीक्षकों को भुगतान                           |                                   |                                   |
| लेखापरीक्षा शुल्क                                  | 4.50                              | 4.50                              |
| पिछले लेखा परीक्षक के व्यय की प्रतिपूर्ति          | 0.59                              | 0.79                              |
| पिछले लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा शुल्क पर जीएसटी | 1.73                              | 0.14                              |
| <b>कुल</b>                                         | <b>6.82</b>                       | <b>5.43</b>                       |

## नोट:-25

### आयकर व्यय

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                       | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| चालू आयकर:                  |                                   |                                   |
| चालू आयकर प्रभार            | 2,738.47                          | 1,041.52                          |
| पूर्व वर्ष का आयकर          | —                                 | 1.09                              |
| आस्थगित कर:                 |                                   |                                   |
| चालू वर्ष के परिपेक्ष्य में | 140.81                            | 129.74                            |
| <b>कुल</b>                  | <b>2,879.28</b>                   | <b>1,172.35</b>                   |

### अन्य व्यापक आय में आयकर व्यय

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                       | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| आस्थगित कर:                 |                                   |                                   |
| चालू वर्ष के परिपेक्ष्य में | (6.91)                            | (8.85)                            |
|                             | <b>(6.91)</b>                     | <b>(8.85)</b>                     |
| <b>कुल कर व्यय</b>          | <b>2,872.37</b>                   | <b>1,163.50</b>                   |

### कर व्यय और लेखा लाभ के मध्य समाधान

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                                            | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| जारी प्रचालन से कर पूर्व लेखा लाभ                                                | 10,867.64                         | 5,627.11                          |
| आयकर पूर्व लेखा लाभ                                                              | <b>10,867.64</b>                  | <b>5,627.11</b>                   |
| भारत के विधिक आयकर दर 25.168% (गत वर्ष 25.168%)                                  | 2,735.17                          | 1,416.23                          |
| कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य (कर योग्य) न होने वाली राशियों का कर प्रभाव  |                                   |                                   |
| इंड एस समायोजन (निवल)                                                            | (0.51)                            | (3.87)                            |
| करों पर ब्याज                                                                    | —                                 | 3.47                              |
| शेयर निर्गम व्यय हेतु समायोजन                                                    | (63.18)                           | (59.17)                           |
| आस्थगित कर समायोजन                                                               | 133.89                            | 120.89                            |
| मूल्यह्रास का समायोजन                                                            | (471.05)                          | (648.06)                          |
| कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी                                                     | 50.74                             | 33.79                             |
| पिछले वर्ष का आयकर व्यय                                                          | —                                 | 1.09                              |
| ईएपी पर ब्याज कर योग्य                                                           | 487.31                            | 299.13                            |
|                                                                                  | <b>2,872.37</b>                   | <b>1,163.50</b>                   |
| लाभ एवं हानि विवरण में प्रतिवेदित किया गया आयकर व्यय (चालू प्रचालनों से संबंधित) | 2,872.37                          | 1,163.50                          |
| <b>प्रभावी कर की दर</b>                                                          | <b>26.43%</b>                     | <b>20.68%</b>                     |

## नोट:-26

### अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के घटक

| विवरण                                      | एफवीटीओसीआई रिजर्व                |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                            | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
| परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापीकरण       | (27.47)                           | (35.15)                           |
| कुल                                        | <b>(27.47)</b>                    | <b>(35.15)</b>                    |
| परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापीकरण पर कर | 6.91                              | 8.85                              |
| कुल                                        | <b>6.91</b>                       | <b>8.85</b>                       |

## नोट:-27

### प्रति शेयर आय (ईपीएस)

| विवरण                            | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                  | (रु. प्रति शेयर)                  | (रु. प्रति शेयर)                  |
| <b>मूल ईपीएस</b>                 |                                   |                                   |
| जारी प्रचालन से (नोट 27.1 देखें) | 5.37                              | 3.27                              |
| असतत प्रचालन से (नोट 27.1 देखें) | —                                 | —                                 |
| <b>द्रवीकृत ईपीएस</b>            |                                   |                                   |
| जारी प्रचालन से (नोट 27.2 देखें) | 5.37                              | 3.27                              |
| असतत प्रचालन से (नोट 27.2 देखें) | —                                 | —                                 |

## नोट 27.1—प्रति शेयर मूल आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय एवं इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या:

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                                                      | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ:                                                        |                                   |                                   |
| जारी प्रचालन से (रुपये लाख में)                                                            | 7,995.27                          | 4,489.91                          |
| असतत प्रचालन से (रुपये लाख में)                                                            | —                                 | —                                 |
| आय की गणना में प्रयुक्त आय (रुपये लाख में)                                                 | <b>7,995.27</b>                   | <b>4,489.91</b>                   |
| प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य हेतु शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाखों में) | 1,489.59                          | 1,373.60                          |
| जारी प्रचालन से                                                                            | 5.37                              | 3.27                              |
| असतत प्रचालन से                                                                            | —                                 | —                                 |

## नोट 27.2—प्रति शेयर द्रवीकृत आय

प्रति शेयर द्रवीकृत आय की गणना में प्रयुक्त आय और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या:

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                                  | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ:                                    |                                   |                                   |
| जारी प्रचालन से (रु. लाख में)                                          | 7,995.27                          | 4,489.91                          |
| असतत प्रचालन से (रु. लाख में)                                          | —                                 | —                                 |
| सतत प्रचालन से प्रति शेयर आय में कमी की गणना में उपयोग की जाने वाली आय | <b>7,995.27</b>                   | <b>4,489.91</b>                   |
| जारी प्रचालन से                                                        | 5.37                              | 3.27                              |
| असतत प्रचालन से                                                        | —                                 | —                                 |

आय के प्रयोजन हेतु इक्विटी शेयरों की भारित संख्या, प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इस प्रकार मेल खाती है:

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                                                         | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य हेतु शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाखों में)    | 1,489.59                          | 1,373.60                          |
| द्रवीकरण का प्रभाव:                                                                           | —                                 | 1.21                              |
| प्रति शेयर द्रवीकृत आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाखों में) | <b>1,489.59</b>                   | <b>1,374.81</b>                   |

## नोट:—28

### i) पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी का प्रबंधन इस तरह से करना है कि एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की उनकी क्षमता को सुनिश्चित तथा सुरक्षित किया जा सके, ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिलाभ तथा अन्य हितधारकों को लाभ उपलब्ध कराना जारी रख सके। कंपनी के पास 31 मार्च, 2024 तक कोई उधारी नहीं थी।

इसके अलावा, कंपनी आर्थिक स्थितियों तथा वित्तीय प्रसंविदाओं की वांछनीयताओं में परिवर्तन के आलोक में समायोजन करने हेतु अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य, नीतियों अथवा प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

ii) 31 मार्च 2024 तक वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों का समाधान

| विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अग्रिम/ईएपी पर अर्जित ब्याज                            | पट्टा देयताएं                                                      | इक्विटी शेयर पूंजी                                               | देय स्टाम्प ड्यूटी                              | आवेदन राशि शेयर                                           | रेल मंत्रालय से अग्रिम/                                     | कुल                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>31 मार्च, 2022 को शेष</b><br>इंड एएस-116 के अंगीकरण पर मान्यता<br>1 अप्रैल, 2022 को पुनः घोषित शेष<br>नकदी प्रवाह:<br>-भुगतान<br>-आगम<br><b>गैर-नकद:</b><br>-वर्ष के दौरान संवर्धन<br>-पट्टा देयताओं पर ब्याज<br>-शेयर आवेदन राशि को इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में मान्यता दी गई   | —<br>261.60<br>—<br>—<br>1188.52<br>—                  | —<br>2,096.84<br>(861.36)<br>—<br>306.46<br>157.78<br>—            | —<br>12,93,000.00<br>—<br>1,08,143.00<br>—<br>—<br>20,000.00     | —<br>17.50<br>(145.64)<br>—<br>128.14<br>—<br>— | —<br>20,000.00<br>—<br>29,457.00<br>—<br>—<br>(20,000.00) | —<br>13,20,000.00<br>—<br>12,00,000.00<br>—<br>—<br>—       | —<br>26,35,375.94<br>(1,007.00)<br>13,37,600.00<br>—<br>1,623.12<br>157.78<br>—       |
| <b>31 मार्च 2023 को शेष राशि</b><br>इंड एएस-116 के अंगीकरण पर मान्यता<br>1 अप्रैल 2023 को पुनः घोषित शेष<br>नकदी प्रवाह:<br>-भुगतान<br>-आय<br><b>गैर-नकद:</b><br>-वर्ष के दौरान संवर्धन<br>-पट्टा देयताओं पर ब्याज<br>-शेयर आवेदन राशि को इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में मान्यता दी गई | 1,450.12<br>1,450.12<br>—<br>—<br>1936.24428<br>—<br>— | 1,699.72<br>1,699.72<br>(1,074.24)<br>—<br>1,272.10<br>144.16<br>— | 14,21,143.00<br>14,21,143.00<br>50,000.00<br>—<br>—<br>29,457.00 | —<br>—<br>(79.46)<br>—<br>79.46<br>—<br>—       | 29,457.00<br>29,457.00<br>—<br>—<br>—<br>(29,457.00)      | 25,20,000.00<br>25,20,000.00<br>—<br>18,29,500.00<br>—<br>— | 39,73,749.84<br>39,73,749.84<br>(1,153.70)<br>18,79,500.00<br>3,287.81<br>144.16<br>— |
| <b>31 मार्च 2024 को शेष</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,386.36                                               | 2,041.74                                                           | 15,00,600.00                                                     | —                                               | —                                                         | 43,49,500.00                                                | 58,55,528.11                                                                          |

## नोट:-29

### उचित मूल्य मापन

#### i) श्रेणीवार वित्तीय विलेख

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                        | 31 मार्च 2024 को |                | 31 मार्च 2023 को    |              |                |                     |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|
|                                              | एफवीटीपीएल*      | एफवीटी ओसीआई** | परिशोधित लागत       | एफवीटी पीएल* | एफवीटी ओसीआई** | परिशोधित लागत       |
| वित्तीय अस्तियाँ                             |                  |                |                     |              |                |                     |
| (i) प्रतिभूति जमा                            | —                | —              | 1,442.53            | —            | —              | 876.00              |
| (ii) कर्मचारियों हेतु एचबीए ऋण               | —                | —              | 28.58               | —            | —              | 29.54               |
| (iii) नकद और नकद समतुल्य                     | —                | —              | 65,197.14           | —            | —              | 57,288.19           |
| (iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त बैंक शेष      | —                | —              | 124.90              | —            | —              | 89.32               |
| (v) अन्य                                     | —                | —              | 12,813.95           | —            | —              | 249.62              |
| <b>कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ</b>             | <b>—</b>         | <b>—</b>       | <b>79,607.10</b>    | <b>—</b>     | <b>—</b>       | <b>58,532.67</b>    |
| वित्तीय दायित्व                              |                  |                |                     |              |                |                     |
| (i) प्रतिभूति जमा                            | —                | —              | 12,069.78           | —            | —              | 11,554.80           |
| (ii) ईएपी के लिए रेल मंत्रालय से अग्रिम/ईएपी | —                | —              | 43,49,500.00        | —            | —              | 25,20,000.00        |
| (iii) पट्टा देयताएं                          | —                | —              | 2,041.74            | —            | —              | 1,699.72            |
| (iv) अन्य                                    | —                | —              | 1,96,729.15         | —            | —              | 2,31,686.47         |
|                                              | —                | —              | —                   | —            | —              | —                   |
| <b>कुल वित्तीय देयताएं</b>                   | <b>—</b>         | <b>—</b>       | <b>45,60,340.67</b> | <b>—</b>     | <b>—</b>       | <b>27,64,940.99</b> |

\*लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य

\*\*अन्य व्यापक आय से उचित मूल्य

ii) आस्तियां और देयताएं जिन्हें उस परिशोधित लागत पर मापित किया गया है, जिनके उचित मूल्य का प्रकटन किया गया है।

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                      | 31 मार्च 2024 को |                 | 31 मार्च 2023 को |               |
|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|                            | वाहक मूल्य       | उचित मूल्य      | वाहक मूल्य       | उचित मूल्य    |
| वित्तीय आस्तियाँ           |                  |                 |                  |               |
| प्रतिभूति जमा              | 1,442.53         | 1,382.36        | 876.00           | 818.68        |
| कर्मचारियों को ऋण          | 28.58            | 26.00           | 29.54            | 29.13         |
| <b>कुल वित्तीय देयताएं</b> | <b>1,471.11</b>  | <b>1,408.36</b> | <b>905.54</b>    | <b>847.81</b> |

क) अल्पावधि प्रतिभूति जमा, नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा अन्य अल्पावधि प्राप्त और अन्य देय राशियों की अग्रणीत राशि को अल्पावधि प्रकृति के कारण, उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।

ख) दीर्घकालिक प्रतिभूति जमाओं के उचित मूल्य की गणना वर्तमान बाजार दर का उपयोग करके पट्टाकृत नकदी प्रवाह पर की गई थी। अप्राप्य इनपुट के समावेशन के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर-3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

#### उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1—समरूप आस्तियों अथवा दायित्वों हेतु सक्रिय बाजार में कोट किये गये मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2—कोट किये गये मूल्यों के अतिरिक्त इनपुट को स्तर 1 में शामिल किया गया है जो परिसंपत्तियों (आस्तियों) हेतु या तो प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्य के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों से व्युत्पन्न) प्रेक्षणीय हैं।

स्तर 3—आस्तियों या दायित्वों हेतु इनपुट जो प्रेक्षणीय बाजारी डाटा (अप्रेक्षणीय इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

निम्नलिखित तालिका आवर्ती आधार पर उचित मूल्य एवं परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियों तथा देनदारियों के उचित मूल्य मापन पदानुक्रम को प्रस्तुत करती है।

### 31 मार्च 2024 तक वित्तीय आस्तियों हेतु उचित मूल्य माप पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण:

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                                             | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3          | कुल             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियों, जिसके लिए उचित मूल्य प्रकटित किए गए हैं: |        |        |                 |                 |
| प्रतिभूति जमा                                                                     | —      | —      | 1,442.53        | 1,442.53        |
| कर्मचारियों को ऋण                                                                 | —      | —      | 26.00           | 26.00           |
|                                                                                   | —      | —      | <b>1,468.53</b> | <b>1,468.53</b> |

### 31 मार्च 2023 तक वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य माप पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण:

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                                             | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3        | कुल           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|---------------|
| परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियों, जिसके लिए उचित मूल्य प्रकटित किए गए हैं: |        |        |               |               |
| प्रतिभूति जमा                                                                     | —      | —      | 818.68        | 818.68        |
| कर्मचारियों को ऋण                                                                 | —      | —      | 29.13         | 29.13         |
|                                                                                   | —      | —      | <b>847.81</b> | <b>847.81</b> |

## नोट:—30

### वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय विलेखों के सम्बन्ध में कंपनी विभिन्न जोखिमों से संवेदनशील है। कंपनी के सम्मुख बाजारी जोखिम, साख जोखिम तथा तरलता जोखिम हैं। कंपनी के वित्तीय जोखिम की गतिविधियों का नियन्त्रण उचित नीतियों तथा प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है और उन वित्तीय जोखिमों को कंपनी की नीतियों तथा जोखिम उद्देश्यों के अनुरूप चिह्नित, मापित तथा प्रबन्धित किया जाता है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:

#### क) बाजार जोखिम

बाजारी जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय विलेख का भावी नकदी प्रवाह बाजार के मूल्यों में परिवर्तन के कारण घटेगा—बढ़ेगा। बाजारी जोखिम में ब्याज दर जोखिम तथा विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल हैं। कंपनी को ब्याज दर का कोई जोखिम नहीं है क्योंकि कंपनी के पास प्रतिवेदन की तिथि तक कोई ऋण/उधारी नहीं है।

#### ख) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित अनुबंधों के कारण होता है। कंपनी के पास विदेशी विनिमय जोखिम से बचने के लिए कोई अवरोधक विलेख नहीं है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम में महत्वपूर्ण जोखिम इस प्रकार है:

### 31 मार्च 2024 को

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                       | 31 मार्च 2024 को |           | 31 मार्च 2023 को |           |
|-----------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                             | यूएसडी           | जेपीवाई   | यूएसडी           | जेपीवाई   |
| देयताएं<br>ठेकेदारों को देय | 756.13           | 24,936.16 | 16,614.19        | 88,217.82 |

### विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता

निम्नलिखित तालिकाएं यूएसडी और जेपीवाई विनिमय दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करती हैं, जिसमें अन्य सभी चर स्थिर हैं। कंपनी के कर पूर्व लाभ पर प्रभाव मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण पड़ा है। अन्य सभी मुद्राओं के लिए विदेशी मुद्रा में कंपनी का एक्सपोजर भौतिक नहीं है।

राशि (रु. लाख में)

|                  | यूएसडी दर में परिवर्तन | कर पूर्व लाभ पर प्रभाव |
|------------------|------------------------|------------------------|
| 31 मार्च 2024 को | 5%                     | 37.81                  |
|                  | -5%                    | (37.81)                |
| 31 मार्च 2023 को | 5%                     | (830.75)               |
|                  | -5%                    | 830.75                 |

राशि (रु. लाख में)

|                  | जेपीवाई दर में परिवर्तन | कर पूर्व लाभ पर प्रभाव |
|------------------|-------------------------|------------------------|
| 31 मार्च 2024 को | 5%                      | 1,246.81               |
|                  | -5%                     | (1,246.81)             |
| 31 मार्च 2023 को | 5%                      | (441.12)               |
|                  | -5%                     | 441.12                 |

### ग) साख जोखिम

साख जोखिम का तात्पर्य प्रतिपक्ष द्वारा इसके दायित्व पर चूक के जोखिम से है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय क्षति होती है। कंपनी विभिन्न वित्तीय विलेखों के साख जोखिम के प्रति संवेदनशील है, उदाहरणार्थ कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा एवं अन्य प्राप्य। साख जोखिम के प्रति अधिकतम जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर होती है।

### घ) वित्तीय विलेख और नकद जमा

बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के साथ शेषों के साख जोखिम का प्रबन्धन कंपनी की नीतियों के अनुरूप किया जाता है। अधिशेष के निवेश केवल प्रतिरूपी से प्राप्त वित्तीय कोट के आधार पर अनुमोदित प्रतिरूपी के साथ किया जाता है।

### ङ) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम कंपनी की तरलता आवश्यकताओं की निगरानी मासिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी की तरलता के मुख्य स्रोत शेयर पूंजी के निर्गमन से प्राप्त नकदी और नकदी समतुल्य तथा जेआईसीए वित्तपोषित परियोजना हेतु रेल मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम राशि है।

कंपनी अपनी तरलता आवश्यकताओं का प्रबन्धन नकदी अन्तर्ग्रवाह की सतत निगरानी तथा पर्याप्त नकदी एवं नकदी समतुल्यों के अनुरक्षण द्वारा करती है। किसी कमी के निर्धारण के लिए निवल नकदी आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है। अल्पकालीन तरलता आवश्यकताओं में प्रमुख रूप से परियोजना सम्बन्धी कार्य हेतु देय व्यय, कर्मचारियों के बकाये, प्रतिभूति जमा तथा प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर प्रकार्य के सामान्य प्रचालन के दौरान उत्पन्न प्रतिधारण राशि शामिल हैं। हम अपनी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नकदी और नकदी समतुल्य में पर्याप्त संतुलन बनाए रखते हैं।

### नोट:-31

#### आंकलन और अभिधारणाएं

नीचे भविष्य से सम्बन्धित प्रमुख अभिधारणाएँ तथा प्रतिवेदन अवधि के अन्त में आंकलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत हैं जिनमें आगामी वित्त वर्ष की आस्तियों की वाहक राशि तथा दायित्वों में तात्त्विक समायोजन के पर्याप्त जोखिम हो सकते हैं:

### क) उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों के उचित मूल्यों का मापन डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इन विधियों के लिए इनपुट जहाँ सम्भव हो प्रेक्षणीय बाजारों से किन्तु जहाँ व्यवहार्य न हो तो उचित मूल्य प्राप्त करने में वांछित निर्णय की मात्रा से लिए जाते हैं। निर्णयों में इनपुटों के विचार जैसे तरलता जोखिम, साख जोखिम तथा परिवर्तनशीलता शामिल हैं। इन कारकों के विषय में अभिधारणाओं में परिवर्तन वित्तीय विलेखों के प्रतिवेदित उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

## ख) कर

आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता है कि यह सम्भव है कि करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध क्षतियों का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर आस्तियों की राशि के निर्धारण के लिए उचित प्रबन्धन निर्णय अपेक्षित है जिसे उपयुक्त समय तथा भावी करयोग्य लाभ के स्तर और भावी कर योजना नीतियों के आधार पर चिन्हित किया जा सकता है।

## ग) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त संपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन कई कारकों पर आधारित है, जिसमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा एवं अन्य आर्थिक कारक शामिल हैं। कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है।

## घ) पट्टे

कंपनी यह निर्धारित करने में अपने अनुमान का उपयोग करती है कि अनुबंध में पट्टे हैं या नहीं, पट्टा समझौते का विस्तार विकल्प और पट्टे समझौते का समाप्ति विकल्प का उपयोग किया जाएगा या नहीं। इसके अलावा, कंपनी पट्टों के उपयोग और पट्टे की उचित छूट दर की गणना में अनुमान का उपयोग करती है।

## ङ) राजस्व

राजस्व एवं संबंधित प्राप्ति की मान्यता प्राप्त राशिओं प्रबंधन के परिणाम एवं पूर्णता चरण के सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाती हैं, जो प्रगति, प्रयासों, आज की तिथि तक लागत, व्यय किए गए समय, प्रदान की गई सेवा या किसी अन्य विधि के आधार पर निर्धारित की जाती है जिसे प्रबंधन उचित मानता है। किए गए कार्य की स्वीकृति की पुष्टि लंबित होने तक, पूर्णता की लागत और लाभप्रदता महत्वपूर्ण अनुमान और अनिश्चित हैं।

## नोट:—32

### संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

#### नोट 32.1—संबंधित पक्ष

##### नोट 32.1.1—इकाई के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

| नाम                                            | पदनाम                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| रूप नारायण सुनकर (01-10-2023 से 31-12-2023 तक) | प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)                   |
| विवेक कुमार गुप्ता ( 05-02-2024 से प्रभावी)    | प्रबंध निदेशक एवं पूर्णकालिक निदेशक               |
| राजेंद्र प्रसाद ( 30-09-2023 तक)               | प्रबंध निदेशक एवं पूर्णकालिक निदेशक               |
| विवेक प्रकाश त्रिपाठी ( 01-07-2023 से प्रभावी) | निदेशक वित्त (पूर्णकालिक निदेशक) एवं सीएफओ        |
| अरुण बिजलवान (30-06-2023 तक)                   | निदेशक वित्त (पूर्णकालिक निदेशक) एवं सीएफओ        |
| आलोक कटियार (31-08-2023 से प्रभावी)            | निदेशक विद्युत एवं प्रणालियाँ (पूर्णकालिक निदेशक) |
| संदीप कुमार (30-08-2023 तक)                    | निदेशक विद्युत एवं प्रणालियाँ (पूर्णकालिक निदेशक) |
| अंजुम परवेज (29-08-2023 से प्रभावी)            | निदेशक परियोजना (पूर्णकालिक निदेशक)               |
| संदीप श्रीवास्तव ( 22-09-2023 से प्रभावी)      | निदेशक रोलिंग स्टॉक (पूर्णकालिक निदेशक)           |
| विजय कुमार (22-08-2023 तक)                     | निदेशक रोलिंग स्टॉक (पूर्णकालिक निदेशक)           |
| प्रमोद शर्मा (26-12-2023 से प्रभावी)           | निदेशक कार्य (पूर्णकालिक निदेशक)                  |
| प्रणय प्रभाकर (12-03-2024 से प्रभावी)          | अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक                        |
| अन्विता सिन्हा                                 | अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक                        |
| संजय जगदीशचंद्र सेठी (18-03-2024 से प्रभावी)   | अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक                        |
| हरेशकुमार चंदुलाल मोदी                         | अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक                        |
| मुकुल सरन माथुर (04-03-2024 तक)                | अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक                        |
| पराग जैन नैनुतिया (13-03-2024 तक)              | अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक                        |
| जया वर्मा सिन्हा (01-09-2023 से प्रभावी)       | अंशकालिक अध्यक्ष                                  |
| अनिल कुमार लाहोटी (31-08-2023 तक)              | अंशकालिक अध्यक्ष                                  |
| सुमीता शर्मा                                   | कंपनी सचिव                                        |

**नोट 32.1.2—अन्य संबंधित पक्ष**

| अन्य संबंधित पक्ष का नाम                 | संबंध की प्रकृति              |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| एनएचएसआरसीएल कर्मचारी समूह उपदान न्यास   | सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ न्यास |
| एनएचएसआरसीएल चिकित्सा न्यास              | सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ न्यास |
| एचएसआर इनोवेशन सेंटर ट्रस्ट              | अनुसंधान एवं विकास न्यास      |
| महाराष्ट्र सरकार                         | कंपनी के प्रमोटर              |
| रेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं उसके नामिती | कंपनी के प्रमोटर              |
| गुजरात सरकार                             | कंपनी के प्रमोटर              |

**नोट 32.2—संबंधित पक्षों के लेनदेन और शेष**
**नोट 32.2.1—प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की क्षतिपूर्ति:**

वर्ष के दौरान निदेशकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक निम्नानुसार था:

राशि (रु. लाख में)

| विवरण               | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| अल्पावधि लाभ        | 264.89                            | 283.08                            |
| रोजगार पश्चात लाभ   | 69.23                             | 48.73                             |
| अन्य दीर्घकालिक लाभ | 34.40                             | 9.07                              |
|                     | <b>368.52</b>                     | <b>340.88</b>                     |

**नोट 32.2.2—न्यास के साथ लेन—देन**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                         | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| एनएचएसआरसीएल कर्मचारी समूह उपदान न्यास—योगदान | 185.93                            | 128.05                            |
| एनएचएसआरसीएल चिकित्सा न्यास—योगदान            | 32.03                             | 22.68                             |
| एचएसआर इनोवेशन सेंटर ट्रस्ट                   | 131.09                            | 390.81                            |
|                                               | <b>349.05</b>                     | <b>541.54</b>                     |

**नोट 32.3—संबंधित सरकारी संस्थाओं के साथ लेनदेन**

ऊपर बताए गए लेन—देन के अलावा, कंपनी ने संबंधित सरकारी संस्थाओं के साथ भी लेन—देन किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

सरकार का नाम—रेल मंत्रालय, भारत सरकार (संस्था पर पूर्ण नियंत्रण), गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार

वित्त वर्ष 2023-24 और 2022-23 के दौरान किए गए कुछ महत्वपूर्ण लेनदेन:

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                              | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु |                      |              | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                    | महाराष्ट्र सरकार                  | रेल मंत्रालय (एमओआर) | गुजरात सरकार | महाराष्ट्र सरकार                  | रेल मंत्रालय (एमओआर) | गुजरात सरकार |
| इक्विटी शेयर पूंजी से प्राप्त राशि                                 | —                                 | —                    | 5,00,000.00  | 600.00                            | —                    | 1,37,000.00  |
| रेल मंत्रालय से अग्रिम                                             | —                                 | 18,29,500.00         | —            | —                                 | 12,00,000.00         | —            |
| परियोजनाओं के लिए प्राप्त अग्रिम (अनुबंध देयताएं)                  | —                                 | —                    | —            | —                                 | —                    | —            |
| उपयोगिता स्थानांतरण एवं अन्य संबद्ध कार्यों के लिए किया गया भुगतान | —                                 | —                    | —            | —                                 | (690.60)             | —            |
| सरकारी भूमि की खरीद हेतु किया गया भुगतान                           | (686.68)                          | —                    | (17,488.06)  | (707.14)                          | —                    | (2,366.87)   |

### नोट:-33

#### क. पूंजी वचनबद्धता

31.03.2024 तक पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की राशि एवं प्रावधानित नहीं किए गए कार्यों की राशि (अग्रिमों का निवल योग) 61,01,450.41 लाख रुपये (पिछले वर्ष 30,81,843.25 लाख रुपये)

#### ख. आकस्मिक देयता

- कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे 528.27 लाख रुपये हैं (पिछले वर्ष 195.62 लाख रुपये), भूमि अधिग्रहण से संबंधित अदालती मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं, अदालती मामलों के संबंध में देयता तुलन-पत्र की तारीख पर निर्धारित नहीं की जा सकती है।
- कंपनी अपनी परियोजनाओं के लिए नियमित रूप से सरकारी और निजी पक्षों से भूमि का अधिग्रहण करती रहती है और ऐसी भूमि के मालिकों को मौद्रिक मुआवजा देती है।

निजी पक्षों के मामले में, कंपनी भूमि और आर एंड आर भुगतान हेतु कंपनी की नीति के अनुसार नई संपत्ति की अनुवर्ती खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है। नई संपत्ति की अनुवर्ती खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

- कंपनी एवं रेलवे मंत्रालय के बीच उपर्युक्त ईएपी से संबंधित नियम व शर्तें इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की तिथि तक विचाराधीन हैं। संबंधित नियमों व शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने तक, कंपनी ने उपर्युक्त ईएपी को “वित्तीय देनदारियाँ-गैर-चालू” मद के अंतर्गत दर्शाया है।

रेल मंत्रालय ने दिनांक 02.11.2023 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग को सूचित किया है कि “सरकार को हेजिंग लागत सुपुर्द करते हुए एनएचएसआरसीएल को 0.1% ब्याज पर एमएचएसआर परियोजना के लिए जेआईसीए ऋण के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है”। तदनुसार, एनएचएसआरसीएल ने 31 मार्च 2024 तक कंपनी को रेल मंत्रालय द्वारा वितरित राशि (रेल मंत्रालय/वित्त मंत्रालय द्वारा जेआईसीए से प्राप्त ऋण की सीमा तक) पर 0.1% की दर से उपर्युक्त ईएपी/अग्रिम पर ब्याज को मान्यता दी है।

चूंकि उपर्युक्त मामला रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच विचाराधीन/चर्चाधीन है, इसलिए लेखांकन की विवेकपूर्ण प्रणाली पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ब्याज लागत को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है, अन्य आकस्मिक लागत, यदि कोई हो, और जो वर्तमान में किसी भी पारस्परिक रूप से सहमत दस्तावेज के अभाव में पता लगाने योग्य नहीं है, को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है।

### नोट:-34

कंपनी ने भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इंड एस 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार कर्मचारी लाभ व्यय का लेखा-जोखा रखा है। इंड एस 19 के अनुसार लाभ और हानि विवरण और तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त परिभाषित अंशदान योजनाओं, परिभाषित लाभ योजनाओं तथा अन्य दीर्घकालिक लाभ योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है-

#### क) परिभाषित अंशदान योजनाएँ

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                                                                              | 2023-24        | 2022-23        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| कंपनी ने वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण में निम्नलिखित राशियों को मान्यता दी<br>भविष्य निधि आदि में योक्ता का अंशदान | 1690.42        | 1074.50        |
|                                                                                                                    | <b>1690.42</b> | <b>1074.50</b> |

#### ख) परिभाषित लाभ योजनाएं तथा अन्य दीर्घकालिक लाभ योजनाएं

### नोट 34.1—उपदान और अवकाश नकदीकरण

#### नोट 34.1.1—योजना की देयता

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                    | 2023-24 |                  | 2022-23 |                  |
|------------------------------------------|---------|------------------|---------|------------------|
|                                          | उपदान   | अवकाश<br>नकदीकरण | उपदान   | अवकाश<br>नकदीकरण |
| अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 682.36  | 1,087.34         | 521.00  | 642.81           |

#### नोट 34.1.2—सेवा लागत

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                  | 2023-24       |                  | 2022-23       |                  |
|----------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|                                        | उपदान         | अवकाश<br>नकदीकरण | उपदान         | अवकाश<br>नकदीकरण |
| चालू सेवा लागत                         | 148.24        | 241.72           | 137.13        | 168.85           |
| लाभ/हानि में कटौती सहित विगत सेवा लागत | —             | —                | —             | —                |
| गैर नियमित निस्तारण पर लाभ या हानि     | —             | —                | —             | —                |
| <b>कुल सेवा लागत</b>                   | <b>148.24</b> | <b>241.72</b>    | <b>137.13</b> | <b>168.85</b>    |

#### नोट 34.1.3—निवल ब्याज लागत

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                              | 2023-24      |                  | 2022-23     |                  |
|------------------------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|
|                                    | उपदान        | अवकाश<br>नकदीकरण | उपदान       | अवकाश<br>नकदीकरण |
| परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत | 38.24        | 47.18            | 22.58       | 44.92            |
| नियोजन परिसंपत्तियों पर ब्याज आय   | (24.59)      | —                | (13.51)     | —                |
| <b>निवल ब्याज लागत (आय)</b>        | <b>13.65</b> | <b>47.18</b>     | <b>9.07</b> | <b>44.92</b>     |

नोट 34.1.4—लाभ दायित्व में परिवर्तन

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                        | 2023-24       |                  | 2022-23       |                  |
|----------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|                                              | उपदान         | अवकाश<br>नकदीकरण | उपदान         | अवकाश<br>नकदीकरण |
| वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 521.00        | 642.81           | 315.76        | 628.25           |
| ब्याज लागत                                   | 38.24         | 47.18            | 22.58         | 44.92            |
| सेवा लागत                                    | 148.24        | 241.72           | 137.13        | 168.85           |
| लाभ/हानि में कटौती सहित विगत सेवा लागत       | —             | —                | —             | —                |
| लाभ का भुगतान                                | (20.24)       | (128.70)         | —             | (38.15)          |
| दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि           | (4.88)        | 284.33           | 45.54         | (161.05)         |
| वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य     | <b>682.36</b> | <b>1,087.34</b>  | <b>521.01</b> | <b>642.82</b>    |

नोट 34.1.5—दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का विभाजन

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                                     | 2023-24 |                  | 2022-23 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------|------------------|
|                                                                           | उपदान   | अवकाश<br>नकदीकरण | उपदान   | अवकाश<br>नकदीकरण |
| जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक (लाभ)/हानि | —       | —                | —       | —                |
| वित्तीय आंकलन में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक (लाभ)/हानि       | 10.80   | 15.84            | (12.90) | (14.58)          |
| अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक (लाभ)/हानि                    | (15.68) | 268.49           | 58.45   | (146.47)         |

नोट 34.1.6—नियोजन आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/हानि

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                     | 2023-24     |                  | 2022-23     |                  |
|-------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
|                                           | उपदान       | अवकाश<br>नकदीकरण | उपदान       | अवकाश<br>नकदीकरण |
| अपेक्षित ब्याज आय                         | (24.59)     | —                | (13.51)     | —                |
| नियोजन आस्तियों पर वास्तविक आय            | 28.56       | —                | 19.32       | —                |
| आस्तियों पर वर्ष हेतु बीमांकिक लाभ/(हानि) | <b>3.97</b> | <b>—</b>         | <b>5.81</b> | <b>—</b>         |

नोट 34.1.7—दायित्व के निवल मूल्य में परिवर्तन

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                  | 2023-24       |                  | 2022-23       |                  |
|----------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|                                        | उपदान         | अवकाश<br>नकदीकरण | उपदान         | अवकाश<br>नकदीकरण |
| प्रारंभिक शेष                          | 185.93        | 642.81           | 126.84        | 628.25           |
| ब्याज लागत                             | 13.65         | 47.18            | 9.07          | 44.92            |
| वर्तमान सेवा लागत                      | 148.24        | 241.72           | 137.13        | 168.85           |
| लाभ/हानि में कटौती सहित विगत सेवा लागत | —             | —                | —             | —                |
| कंपनी द्वारा किया गया सीधा लाभ भुगतान  | —             | (128.70)         | —             | (38.15)          |
| निधि को योगदान                         | (185.93)      | —                | (126.84)      | —                |
| दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि         | (8.85)        | 284.33           | 39.73         | (161.05)         |
| अंतिम शेष                              | <b>153.04</b> | <b>1,087.34</b>  | <b>185.93</b> | <b>642.82</b>    |

**नोट 34.1.8—नियोजन परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                  | 2023-24       |                  | 2022-23       |                  |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|                                                        | उपदान         | अवकाश<br>नकदीकरण | उपदान         | अवकाश<br>नकदीकरण |
| वर्ष के प्रारंभ में नियोजन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 335.08        | —                | 188.91        | —                |
| नियोजन परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल               | 28.56         | —                | 19.32         | —                |
| नियोक्ता का अंशदान                                     | 185.93        | —                | 126.84        | —                |
| लाभ भुगतान                                             | (20.24)       | —                | —             | —                |
| दायित्वों पर बीमांकिक (हानि)/लाभ                       | —             | —                | —             | —                |
| <b>अंतिम शेष</b>                                       | <b>529.33</b> | <b>—</b>         | <b>335.07</b> | <b>—</b>         |

**नोट 34.1.9—तुलन—पत्र में मान्यता प्राप्त राशि**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                               | 2023-24       |                  | 2022-23       |                  |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|                                                     | उपदान         | अवकाश<br>नकदीकरण | उपदान         | अवकाश<br>नकदीकरण |
| वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य | 682.36        | 1,087.34         | 521.00        | 642.81           |
| वर्ष के अंत में नियोजन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य  | (529.32)      | —                | (335.08)      | —                |
| <b>तुलन पत्र में प्रावधान</b>                       | <b>153.04</b> | <b>1,087.34</b>  | <b>185.92</b> | <b>642.81</b>    |
| चालू                                                | 153.04        | 92.62            | 185.92        | 51.62            |
| गैर चालू                                            | —             | 994.72           | —             | 591.19           |

**नोट 34.1.10—लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                 | 2023-24       |                  | 2022-23       |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|                                                       | उपदान         | अवकाश<br>नकदीकरण | उपदान         | अवकाश<br>नकदीकरण |
| चालू सेवा लागत                                        | 148.24        | 241.72           | 137.13        | 168.85           |
| लाभ/हानि में कटौती सहित विगत सेवा लागत                | —             | —                | —             | —                |
| ब्याज लागत                                            | 13.65         | 47.18            | 9.07          | 44.92            |
| वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि     | —             | 284.33           | —             | (161.05)         |
| <b>लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय</b> | <b>161.89</b> | <b>573.23</b>    | <b>146.20</b> | <b>52.72</b>     |

**नोट 34.1.11—अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                         | 2023-24     |                  | 2022-23        |                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                               | उपदान       | अवकाश<br>नकदीकरण | उपदान          | अवकाश<br>नकदीकरण |
| प्रारम्भ में निवल संचयी अमान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(क्षति) | —           | —                | —              | —                |
| वर्ष हेतु पीबीओ पर बीमांकिक लाभ/(हानि)                        | 4.88        | —                | (45.54)        | —                |
| वर्ष हेतु परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)                | 3.97        | —                | 5.81           | —                |
| <b>वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)</b>   | <b>8.85</b> | <b>—</b>         | <b>(39.73)</b> | <b>—</b>         |

नोट 34.1.12—वर्ष के अंत में चालू और गैर-चालू में पीबीओ का विभाजन

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                 | 2023-24 |               | 2022-23 |               |
|---------------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|
|                                       | उपदान   | अवकाश नकदीकरण | उपदान   | अवकाश नकदीकरण |
| चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि) | 22.37   | 92.62         | 6.73    | 51.62         |
| गैर-चालू देयता (एक वर्ष में देय राशि) | 660.00  | 994.72        | 514.27  | 591.19        |
| वर्ष के अंत में कुल पीबीओ             | 682.37  | 1,087.34      | 521.00  | 642.81        |

नोट 34.1.13—निवल (देयता)/परिसंपत्तियों का विभाजन

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                     | 2023-24<br>उपदान | 2022-23<br>उपदान |
|---------------------------|------------------|------------------|
| चालू देयता                | 153.04           | 185.92           |
| गैर-चालू देयता            | —                | —                |
| वर्ष के अंत में कुल पीबीओ | 153.04           | 185.92           |

नोट 34.1.14—अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                               | 2023-24 |               | 2022-23 |               |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|
|                                                     | उपदान   | अवकाश नकदीकरण | उपदान   | अवकाश नकदीकरण |
| सेवा लागत                                           | 165.20  | 260.18        | 151.97  | 183.07        |
| निवल ब्याज लागत                                     | 11.03   | 78.40         | 13.65   | 47.18         |
| अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान | 176.23  | 338.58        | 165.62  | 230.25        |

नोट 34.1.15—परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल

राशि (रु. लाख में)

| वर्ष           | उपदान  | अवकाश नकदीकरण |
|----------------|--------|---------------|
| 0 से 1 वर्ष    | 22.37  | 92.62         |
| 1 से 2 वर्ष    | 33.22  | 41.90         |
| 2 से 3 वर्ष    | 50.38  | 80.00         |
| 3 से 4 वर्ष    | 21.64  | 38.53         |
| 4 से 5 वर्ष    | 27.31  | 44.15         |
| 5 से 6 वर्ष    | 34.88  | 67.24         |
| 6 वर्ष से अधिक | 492.57 | 722.90        |

नोट 34.2—अवकाश यात्रा रियायत (एल.टी.सी.), सामान भत्ता, सेवानिवृत्त पश्चात चिकित्सा लाभ

नोट 34.2.1—नियोजन देयता

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                    | 2023-24   |             |                                 | 2022-23   |             |                                 |
|------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|
|                                          | एल.टी.सी. | सामान भत्ता | सेवानिवृत्त पश्चात चिकित्सा लाभ | एल.टी.सी. | सामान भत्ता | सेवानिवृत्त पश्चात चिकित्सा लाभ |
| अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 226.00    | 51.46       | 188.02                          | 169.89    | 37.86       | 108.97                          |

**नोट 34.2.2—सेवा लागत**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                  | 2023-24      |              |                                  | 2022-23      |              |                                  |
|----------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
|                                        | एल.टी.सी.    | सामान भत्ता  | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | एल.टी.सी.    | सामान भत्ता  | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ |
| चालू सेवा लागत                         | 49.27        | 11.19        | 32.98                            | 43.64        | 16.72        | 28.01                            |
| लाभ/हानि में कटौती सहित विगत सेवा लागत | —            | —            | —                                | —            | —            | —                                |
| गैर नियमित निस्तारण पर लाभ या हानि     | —            | —            | —                                | —            | —            | —                                |
| <b>कुल सेवा लागत</b>                   | <b>49.27</b> | <b>11.19</b> | <b>32.98</b>                     | <b>43.64</b> | <b>16.72</b> | <b>28.01</b>                     |

**नोट 34.2.3—निवल ब्याज लागत**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                              | 2023-24      |             |                                  | 2022-23     |             |                                  |
|------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                    | एल.टी.सी.    | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | एल.टी.सी.   | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ |
| परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत | 12.47        | 2.78        | 8.00                             | 8.45        | 2.01        | 5.47                             |
| नियोजन परिसंपत्तियों पर ब्याज आय   | —            | —           | (5.65)                           | —           | —           | (3.85)                           |
| <b>शुद्ध ब्याज लागत (आय)</b>       | <b>12.47</b> | <b>2.78</b> | <b>2.35</b>                      | <b>8.45</b> | <b>2.01</b> | <b>1.62</b>                      |

**नोट 34.2.4—वर्तमान लाभ दायित्व में परिवर्तन**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                           | 2023-24       |              |                                  | 2022-23       |              |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|
|                                                 | एल.टी.सी.     | सामान भत्ता  | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | एल.टी.सी.     | सामान भत्ता  | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ |
| अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य     | 169.89        | 37.86        | 108.97                           | 118.25        | 28.17        | 76.48                            |
| ब्याज लागत                                      | 12.47         | 2.78         | 8.00                             | 8.45          | 2.01         | 5.47                             |
| सेवा लागत                                       | 49.27         | 11.19        | 32.98                            | 43.64         | 16.72        | 28.01                            |
| गत सेवा लागत                                    | —             | —            | —                                | —             | —            | —                                |
| लाभ भुगतान                                      | (26.97)       | (1.50)       | (2.97)                           | (56.14)       | (2.07)       | (3.28)                           |
| कुल दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि              | 21.34         | 1.13         | 41.04                            | 55.68         | (6.98)       | 2.29                             |
| <b>अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य</b> | <b>226.00</b> | <b>51.46</b> | <b>188.02</b>                    | <b>169.88</b> | <b>37.85</b> | <b>108.97</b>                    |

नोट 34.2.5—दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                                     | 2023-24   |             |                                  | 2022-23   |             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|
|                                                                           | एल.टी.सी. | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | एल.टी.सी. | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ |
| जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि | —         | —           | —                                | —         | —           | —                                |
| वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि      | 3.82      | 0.91        | 3.56                             | (4.32)    | (0.43)      | (3.53)                           |
| अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि                    | 17.52     | 1.13        | 37.47                            | 60.00     | (6.55)      | 5.82                             |

नोट 34.2.6—योजनागत परिसंपत्ति पर बीमांकिक (लाभ)/हानि

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                       | 2023-24   |             |                                  | 2022-23   |             |                                  |
|---------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|
|                                             | एल.टी.सी. | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | एल.टी.सी. | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ |
| अपेक्षित ब्याज आय                           | —         | —           | 5.65                             | —         | —           | 3.85                             |
| नियोजन परिसंपत्ति पर वास्तविक आय            | —         | —           | 11.50                            | —         | —           | 3.73                             |
| परिसंपत्ति पर वर्ष हेतु बीमांकिक लाभ/(हानि) | —         | —           | 5.85                             | —         | —           | (0.12)                           |

नोट 34.2.7—तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                          | 2023-24   |             |                                  | 2022-23   |             |                                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|
|                                                                | एल.टी.सी. | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | एल.टी.सी. | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ |
| वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य            | 226.00    | 51.46       | 188.02                           | 169.89    | 37.86       | 108.97                           |
| वर्ष के अंत में नियोजन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य             | —         | —           | (117.50)                         | —         | —           | (76.94)                          |
| तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता/(निवल परिसंपत्तियाँ) | 226.00    | 51.46       | 70.52                            | 169.89    | 37.86       | 32.03                            |
| चालू                                                           | 14.41     | 0.71        | 70.52                            | 6.46      | 0.52        | 32.03                            |
| गैर चालू                                                       | 211.59    | 50.75       | —                                | 163.43    | 37.34       | —                                |

**नोट 34.2.8—लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                 | 2023-24      |              |                                  | 2022-23       |              |                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|
|                                                       | एल.टी.सी.    | सामान भत्ता  | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | एल.टी.सी.     | सामान भत्ता  | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ |
| चालू सेवा लागत                                        | 49.27        | 11.19        | 32.98                            | 43.64         | 16.72        | 28.01                            |
| लाभ/हानि में कटौती सहित विगत सेवा लागत                | —            | —            | —                                | —             | —            | —                                |
| ब्याज लागत                                            | 12.47        | 2.78         | 2.35                             | 8.45          | 2.01         | 1.62                             |
| वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि     | 21.34        | —            | —                                | 55.68         | —            | —                                |
| <b>लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय</b> | <b>83.08</b> | <b>13.97</b> | <b>35.33</b>                     | <b>107.77</b> | <b>18.73</b> | <b>29.63</b>                     |

**नोट 34.2.9—अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                          | 2023-24   |               |                                  | 2022-23   |             |                                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|
|                                                                | एल.टी.सी. | सामान भत्ता   | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | एल.टी.सी. | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ |
| प्रारंभ में निवल संचयी अमान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)    | —         | —             | —                                | —         | —           | —                                |
| वर्ष हेतु पीबीओ पर बीमांकिक लाभ/(हानि)                         | —         | (1.13)        | (41.04)                          | —         | 6.98        | (2.29)                           |
| वर्ष हेतु परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)                 | —         | —             | 5.85                             | —         | —           | (0.11)                           |
| <b>वर्ष के अंत में गैर—मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)</b> | <b>—</b>  | <b>(1.13)</b> | <b>(35.19)</b>                   | <b>—</b>  | <b>6.98</b> | <b>(2.40)</b>                    |

**नोट 34.2.10—नियोजन परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                  | 2023-24   |             |                                  | 2022-23   |             |                                  |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|
|                                                        | एल.टी.सी. | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | एल.टी.सी. | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ |
| वर्ष के प्रारंभ में नियोजन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | —         | —           | 76.94                            | —         | —           | 53.80                            |
| नियोजन परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल               | —         | —           | 11.50                            | —         | —           | 3.74                             |
| नियोक्ता का अंशदान                                     | —         | —           | 32.03                            | —         | —           | 22.68                            |
| लाभ भुगतान                                             | —         | —           | (2.97)                           | —         | —           | (3.28)                           |
| दायित्वों पर बीमांकिक (हानि)/लाभ                       | —         | —           | —                                | —         | —           | —                                |
| <b>अंतिम शेष</b>                                       | <b>—</b>  | <b>—</b>    | <b>117.50</b>                    | <b>—</b>  | <b>—</b>    | <b>76.94</b>                     |

नोट 34.2.11—दायित्व के निवल मूल्य में परिवर्तन

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                  | 2023-24       |              |                                  | 2022-23       |              |                                  |
|----------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|
|                                        | एल.टी.सी.     | सामान भत्ता  | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | एल.टी.सी.     | सामान भत्ता  | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ |
| प्रारंभिक शेष                          | 169.88        | 37.86        | 32.03                            | 118.25        | 28.17        | 22.68                            |
| ब्याज लागत                             | 12.47         | 2.78         | 2.35                             | 8.45          | 2.01         | 1.62                             |
| वर्तमान सेवा लागत                      | 49.27         | 11.19        | 32.98                            | 43.64         | 16.72        | 28.01                            |
| लाभ/हानि में कटौती सहित विगत सेवा लागत | —             | —            | —                                | —             | —            | —                                |
| लाभ भुगतान                             | (26.97)       | (1.50)       | —                                | (56.14)       | (2.07)       | —                                |
| न्यास में योगदान                       | —             | —            | (32.03)                          | —             | —            | (22.68)                          |
| दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि         | 21.34         | 1.13         | 35.18                            | 55.68         | (6.98)       | 2.40                             |
| अंतिम शेष                              | <b>225.99</b> | <b>51.46</b> | <b>70.51</b>                     | <b>169.88</b> | <b>37.85</b> | <b>32.03</b>                     |

नोट 34.2.12—वर्ष के अंत में पीबीओ का चालू और गैर चालू में विभाजन

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                 | 2023-24       |              |                                  | 2022-23       |              |                                  |
|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|
|                                       | एल.टी.सी.     | सामान भत्ता  | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | एल.टी.सी.     | सामान भत्ता  | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ |
| चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि) | 14.41         | 0.71         | 2.30                             | 6.46          | 0.52         | 0.07                             |
| गैर-चालू देयता (एक वर्ष में देय राशि) | 211.59        | 50.75        | 185.72                           | 163.42        | 37.34        | 108.90                           |
| वर्ष के अंत में कुल पीबीओ             | <b>226.00</b> | <b>51.46</b> | <b>188.02</b>                    | <b>169.88</b> | <b>37.86</b> | <b>108.97</b>                    |

नोट 34.2.13—निवल (देयता)/परिसंपत्तियों का विभाजन

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                     | 2023-24                          | 2022-23                          |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                           | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ |
| चालू देयता                | (70.51)                          | (32.03)                          |
| गैर-चालू देयता            | —                                | —                                |
| वर्ष के अंत में कुल पीबीओ | <b>(70.51)</b>                   | <b>(32.03)</b>                   |

नोट 34.2.14—अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                             | 2023-24   |              |                                  | 2022-23   |              |                                  |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|
|                                                   | एल.टी.सी. | सामान भत्ता  | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | एल.टी.सी. | सामान भत्ता  | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ |
| सेवा लागत                                         | —         | 23.53        | 38.28                            | —         | 21.37        | 32.06                            |
| निवल ब्याज लागत                                   | —         | 3.71         | 5.08                             | —         | 2.78         | 2.35                             |
| अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय | <b>—</b>  | <b>27.24</b> | <b>43.36</b>                     | <b>—</b>  | <b>24.15</b> | <b>34.41</b>                     |

**नोट 34.2.15—परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल**

राशि (रु. लाख में)

| वर्ष           | एल.टी.सी. | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ |
|----------------|-----------|-------------|----------------------------------|
| 0 से 1 वर्ष    | —         | 0.71        | —                                |
| 1 से 2 वर्ष    | —         | 4.02        | —                                |
| 2 से 3 वर्ष    | —         | 4.24        | —                                |
| 3 से 4 वर्ष    | —         | 4.94        | —                                |
| 4 से 5 वर्ष    | —         | 7.32        | —                                |
| 5 से 6 वर्ष    | —         | 5.23        | —                                |
| 6 वर्ष से अधिक | —         | 25.00       | —                                |

**नोट 34.3—तुलन पत्र की तिथि पर प्रमुख बीमांकिक अभिधारणा**

| बीमांकिक अभिधारणा     | 2023–24                                          | 2022–23                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| मूल्यांकन की विधि     | परियोजना इकाई क्रेडिट विधि                       | परियोजना इकाई क्रेडिट विधि                       |
| छूट दर:               | 7.21%                                            | 7.34%                                            |
| वेतन वृद्धि दर:       | 6.50%                                            | 6.50%                                            |
| सेवानिवृत्ति की उम्र: | 60 वर्ष                                          | 60 वर्ष                                          |
| आहरण दर:              | 30 वर्ष तक—3%                                    | 30 वर्ष तक—3%                                    |
|                       | 31 से 44 वर्ष तक—2%                              | 31 से 44 वर्ष तक—2%                              |
|                       | 44 वर्ष से ऊपर—1%                                | 44 वर्ष से ऊपर—1%                                |
| मृत्यु दर             | भारत में 100% जीवन मृत्यु दर सुनिश्चित (2012–14) | भारत में 100% जीवन मृत्यु दर सुनिश्चित (2012–14) |

**नोट 34.4—संवेदनशीलता विश्लेषण**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण       | अभिधारणा में परिवर्तन | सामान भत्ते पर उपदान | उपदान दायित्व पर प्रभाव | अवकाश नकदीकरण पर प्रभाव | एल.टी.सी. पर प्रभाव | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ पर प्रभाव |
|-------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| छूट दर      | 0.50%<br>(0.50%)      | (2.96)<br>3.27       | (40.58)<br>44.49        | (59.22)<br>64.17        | (14.24)<br>15.67    | (12.87)<br>14.25                           |
| वेतन वृद्धि | 0.50%<br>(0.50%)      | —<br>—               | 40.09<br>(39.57)        | 64.37<br>(59.53)        | —<br>—              | —<br>—                                     |

**नोट:—35**
**विदेशी मुद्रा व्यय**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                    | 2023–24     | 2022–23     |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| परियोजना से संबंधित व्यय (सीडब्ल्यूआईपी) | 3,36,593.17 | 2,71,646.59 |
| विदेशी टीए/डीए                           | 25.16       | 42.51       |
| विदेश यात्रा व्यय                        | 79.07       | 213.79      |
| सदस्यता शुल्क                            | 31.42       | 9.61        |
| कुल                                      | 3,36,728.82 | 2,71,912.50 |

## नोट:-36

### कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

**नोट 36.1—वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि:**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                      | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि | 120.33                         | 134.27                         |

**नोट 36.2—वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                                     | वर्ष के दौरान व्यय |                | अभी तक भुगतान नहीं किया गया |                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                           | पिछले वर्ष हेतु    | चालू वर्ष हेतु | पिछले वर्ष हेतु             | चालू वर्ष हेतु |
| <b>31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु</b>                                  |                    |                |                             |                |
| i) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण                                 | 84.47              | —              | —                           | 4.85           |
| ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य से                                 | —                  | —              | —                           | —              |
| क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित चार निधियों में योगदान | —                  | —              | —                           | —              |
| ख) पीएम केयर्स फंड में योगदान                                             | —                  | —              | —                           | —              |
| ग) स्वच्छ गंगा कोष में योगदान                                             | —                  | 0.28           | —                           | —              |
| घ) स्वास्थ्य देखभाल                                                       | —                  | —              | —                           | —              |
| ड.) कोष में योगदान                                                        | —                  | —              | —                           | —              |
| <b>31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु</b>                                  |                    |                |                             |                |
| i) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण                                 | 24.25              | —              | 24.25                       | —              |
| ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य से                                 | —                  | —              | —                           | —              |
| क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित चार निधियों में योगदान | —                  | —              | —                           | —              |
| ख) पीएम केयर्स फंड में योगदान                                             | —                  | 47.57          | —                           | —              |
| ग) स्वास्थ्य देखभाल                                                       | 42.50              | 36.50          | 14.87                       | 50.20          |

**नोट 36.3—चालू परियोजना और चल रही परियोजना के अतिरिक्त अन्य परियोजना का ब्यौरा**

**एस. 135(6) (चालू परियोजना) के मामले में**

राशि (रु. लाख में)

| 1 अप्रैल 2023 तक प्रारंभिक शेष |             | वर्ष के दौरान व्यय की जाने हेतु आवश्यक राशि | वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि |             | 31 मार्च 2024 तक अंतिम शेष |                                |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|
| कंपनी में                      | पृथक सीएसआर |                                             | कंपनी के बैंक खाते से         | पृथक सीएसआर | कंपनी में                  | पृथक सीएसआर अप्रयुक्त खाते में |
| —                              | 89.32       | 120.05                                      | —                             | 84.47       | —                          | 124.90                         |

**एस. 135(5) (चालू परियोजना) के मामले में**

राशि (रु. लाख में)

| 1 अप्रैल 2023 तक प्रारंभिक शेष | अनुसूची VII के निर्दिष्ट कोष में 6 माह के भीतर या वर्ष के दौरान जमा की गई राशि | वर्ष के दौरान व्यय की जाने हेतु आवश्यक राशि | वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि | 31 मार्च 2024 तक अंतिम शेष |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| —                              | 0.28                                                                           | 0.28                                        | 0.28                          | —                          |

### एस. 135(6) (चालू परियोजना) के मामले में

राशि (रु. लाख में)

| 1 अप्रैल 2022 तक प्रारंभिक शेष |             | वर्ष के दौरान व्यय की जाने हेतु आवश्यक राशि | वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि |             | 31 मार्च 2023 तक अंतिम शेष |                                |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|
| कंपनी में                      | पृथक सीएसआर |                                             | कंपनी के बैंक खाते से         | पृथक सीएसआर | कंपनी में                  | पृथक सीएसआर अप्रयुक्त खाते में |
| —                              | 105.87      | 86.70                                       | 36.50                         | 66.75       | —                          | 89.32                          |

### एस. 135(5) के मामले में (जारी परियोजना के अलावा)

राशि (रु. लाख में)

| 1 अप्रैल 2022 तक प्रारंभिक शेष | अनुसूची VII के निर्दिष्ट कोष में 6 माह के भीतर या वर्ष के दौरान जमा की गई राशि | वर्ष के दौरान व्यय की जाने हेतु आवश्यक राशि | वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि | 31 मार्च 2023 तक अंतिम शेष |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| —                              | 0.28                                                                           | 0.28                                        | —                             | —                          |

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार, चूंकि यह एक बहुवर्षीय परियोजना है, इसलिए सीएसआर राशि का उपयोग 2 से 3 वर्षों में किया जाएगा।

सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित किसी न्यास को कंपनी द्वारा कोई योगदान नहीं दिया गया है।

#### नोट:—37

#### नोट 37.1—इंड एस—116 के अंतर्गत प्रकटीकरण

- प्रारंभिक आवेदन पर चुने गए व्यावहारिक उपायों का सारांश।
  - प्रारंभिक आवेदन की तारीख पर पट्टे की अवधि के 12 महीने से कम समय के लिए पट्टों के लिए उपयोग की सही संपत्ति और देनदारियों को मान्यता नहीं देने की छूट के लिए आवेदन किया है।
  - प्रारंभिक आवेदन की तारीख में उपयोग संपत्ति के अधिकार के माप से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को छोड़कर।
  - इंड एस—116 केवल उन्हीं अनुबंधों पर लागू होता है जो पहले इंड एस—17 के तहत पट्टे पर वर्गीकृत किए गए थे।
  - पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल छूट दर लागू।
  - अनुबंध का विस्तार करने या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प हैं, तो पट्टे की अवधि निर्धारित करने में, दूरदर्शिता का उपयोग करें।
- वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं पर लागू भारित औसत वृद्धिशील ऋण दर 8.70% और 8.60% (एमसीएलआर) है।
- कंपनी द्वारा पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों का सारांश निम्नानुसार है:

| परिसंपत्तियों का विवरण                                                                           | पट्टादाता का नाम                    | पट्टे की अवधि |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| तृतीय तल, डी 21 कॉर्पोरेट पार्क, द्वारका सेक्टर 21, नई दिल्ली—110077                             | मणिकरण पावर लिमिटेड                 | 10-01-2020    | 10-01-2025 |
| पी. नं. 10/11, आरएस नं.15/1ए, 9/2, ऑफिस नं. 1007, टावर—ए, स्वास्तिक यूनिवर्सल, रुंध, सूरत 395007 | सुकेन दिनेशचंद्र शाह                | 01-08-2021    | 31-07-2025 |
| ए—203, स्वास्तिक यूनिवर्सल, रुंध, सूरत 395007                                                    | विभूति ऑर्गनाइजर/बोडावाला           | 01-05-2021    | 30-04-2025 |
| आर.एस. नं. 60/2पी, कार्यालय क्रमांक 1001 से 1006, स्वास्तिक यूनिवर्सल, रुंध, सूरत 395007         | विमल कपाड़िया                       | 01-01-2023    | 31-12-2026 |
| पहली मंजिल, ग्रांड प्लाजा मॉल, कौल हेरिटेज सिटी, बाबुला (चुल्ले), वसई पश्चिम, जिला—पालघर—401202  | कौल एंटरप्राइजेज                    | 01-12-2023    | 31-10-2028 |
| ए—203, स्वास्तिक यूनिवर्सल, रुंध, सूरत 395007                                                    | विभूति ऑर्गनाइजर/बोडावाला           | 01-04-2023    | 30-04-2026 |
| 4 वाहन                                                                                           | मर्करी कार रेंटल्स प्राइवेट लिमिटेड | 23-12-2019    | 15-03-2024 |

| परिसंपत्तियों का विवरण                | पट्टादाता का नाम                    | पट्टे की अवधि |            |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| 20 वाहन                               | मर्करी कार रेंटल्स प्राइवेट लिमिटेड | 14-01-2022    | 13-01-2026 |
| 4 वाहन                                | मर्करी कार रेंटल्स प्राइवेट लिमिटेड | 09-01-2023    | 08-01-2027 |
| 16 वाहन                               | लीज प्लान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड   | 01-08-2022    | 31-07-2026 |
| गुजरात सरकार से लीज पर ली गई भूमि     |                                     | 99 वर्ष       |            |
| महाराष्ट्र सरकार से लीज पर ली गई भूमि |                                     | 95 वर्ष       |            |

iv) पट्टा देयता और राइट-ऑफ-यूज एसेट्स में परिवर्तन

क) मान्यता प्राप्त राइट-ऑफ-यूज एसेट्स की अग्रणीत राशि और वर्ष के दौरान होने वाले परिवर्तन का प्रकटीकरण नोट: 5.3 में किया गया है।

ख) पट्टा देयता में परिवर्तन नीचे दिया गया है:

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                        | भवन              | वाहन             | भवन              | वाहन             |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                              | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक | 31 मार्च 2023 तक |
| वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष                            | 1,475.04         | 224.68           | 1,895.52         | 201.32           |
| इंड एस में परिवर्तन पर मान्यता                               | —                | —                | —                | —                |
| वर्ष के दौरान संवर्धन                                        | 1,233.55         | 38.55            | 190.72           | 117.51           |
| वर्ष के दौरान संशोधन                                         | —                | —                | (1.77)           | —                |
| वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त ब्याज                          | 125.96           | 18.20            | 139.10           | 18.68            |
| वर्ष के दौरान किया गया भुगतान/पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह | (969.14)         | (105.10)         | (748.53)         | (112.83)         |
| वर्ष के अंत तक अंतिम शेष                                     | <b>1,865.42</b>  | <b>176.32</b>    | <b>1,475.04</b>  | <b>224.68</b>    |

v) कंपनी ने कम मूल्य की परिसंपत्तियों के अल्पकालिक पट्टों के लिए पट्टा देयता को मान्यता न देने का विकल्प चुना है। इन पट्टों से संबंधित व्यय पट्टा देयता के मापन में शामिल नहीं हैं। इसका विवरण इस प्रकार है:

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                              | भवन              | वाहन             | भवन              | वाहन             |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                    | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक | 31 मार्च 2023 तक |
| अल्पावधि पट्टे                     | 1,139.49         | —                | 1,095.79         | —                |
| कम मूल्य की परिसंपत्तियों का पट्टा | —                | —                | —                | —                |
|                                    | <b>1,139.49</b>  | <b>—</b>         | <b>1,095.79</b>  | <b>—</b>         |

vi) तुलन पत्र में प्रस्तुत पट्टा देयताएं निम्नानुसार हैं:

राशि (रु. लाख में)

| विवरण        | भवन              | वाहन             | कुल             | वाहन             | वाहन             | कुल             |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
|              | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2024 तक |                 | 31 मार्च 2023 तक | 31 मार्च 2023 तक |                 |
| चालू भाग     | 839.62           | 105.84           | 945.46          | 753.76           | 78.20            | 831.96          |
| गैर-चालू भाग | 1,025.79         | 70.49            | 1,096.28        | 721.28           | 146.48           | 867.76          |
|              | <b>1,865.41</b>  | <b>176.33</b>    | <b>2,041.74</b> | <b>1,475.04</b>  | <b>224.68</b>    | <b>1,699.72</b> |

vii) 31 मार्च 2024 तक लीज देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण

राशि (रु. लाख में)

| विवरण          | 31 मार्च 2024   |               |                     | 31 मार्च 2023 |               |                     |
|----------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
|                | 1 वर्ष से कम    | 1-2 वर्ष      | 2 वर्ष और उससे अधिक | 1 वर्ष से कम  | 1-2 वर्ष      | 2 वर्ष और उससे अधिक |
| कार्यालय पट्टा | 967.55          | 368.36        | 330.31              | 851.07        | 660.13        | 103.33              |
| वाहन पट्टा     | 87.99           | 77.47         | 28.12               | 93.67         | 76.57         | 82.75               |
|                | <b>1,055.55</b> | <b>445.83</b> | <b>358.44</b>       | <b>944.74</b> | <b>736.70</b> | <b>186.08</b>       |

viii) परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित व्यय शून्य हैं।

ix) राइट-ऑफ-यूज एसेट्स के उप-पट्टे से होने वाली आय कंपनी पर लागू नहीं होती है।

x) बिक्री और लीजबैक लेनदेन से होने वाला लाभ/हानि कंपनी पर लागू नहीं है।

### नोट 37.2—परिसंपत्तियों की क्षीणता

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के अंत में यह आंकलन किया है कि क्या ऐसा कोई संकेत है (इंडएएस-36 के पैरा 12 के अनुसार) कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त या क्षीण हो सकती है। प्रबंधन का मानना है कि तुलन पत्र की तिथि पर परिसंपत्तियों की क्षीणता का कोई संकेत नहीं मिला है। प्रबंधन ने इंडएएस-36 'परिसंपत्तियों की क्षीणता' के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों सहित कंपनी की सभी परिसंपत्तियों की क्षीणता की समीक्षा की है। समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त एवं अन्य परिसंपत्तियों का आर्थिक प्रदर्शन अपेक्षा से अधिक बुरा नहीं है और इसलिए, तुलन पत्र की तिथि तक किसी भी परिसंपत्ति की कोई क्षीणता नहीं हुई है।

### नोट:—38

#### इंड एस 115 “ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व” के तहत प्रकटीकरण

#### अनुबंध शेष

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                   | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2023 को |
|-------------------------|------------------|------------------|
| क) व्यापार प्राप्त      | —                | —                |
| ख) अनुबंध परिसंपत्तियां | 12,765.55        | —                |
| ग) अनुबंध देयताएं       | 10,207.00        | 10,207.00        |

क) व्यापार प्राप्त

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                               | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2023 को |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| वर्ष के प्रारंभ में व्यापार प्राप्त | —                | —                |
| वर्ष के दौरान प्राप्त शुद्ध राजस्व  | 12,765.55        | —                |
| समायोजन                             | —                | —                |
| वर्ष के दौरान प्राप्त भुगतान        | —                | —                |
| व्यापार प्राप्त का अंतिम शेष        | —                | —                |

ख) अनुबंध परिसंपत्तियां

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                                                                  | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2023 को |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| वर्ष के प्रारंभ में अनुबंध परिसंपत्ति                                                                  | —                | —                |
| अनुबंध संपत्ति से व्यापार प्राप्त में स्थानांतरण और प्रगति के माप में परिवर्तन के परिणामस्वरूप संवर्धन | —                | —                |
| वर्ष के अंत में अनुबंध परिसंपत्ति                                                                      | 12,765.55        | —                |

ग) अनुबंध देयताएं

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                                                                  | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| वर्ष के प्रारंभ में अनुबंध देयताएं                                                                     | 10,207.00                         | 10,207.00                         |
| अनुबंध संपत्ति से व्यापार प्राप्य में स्थानांतरण और प्रगति के माप में परिवर्तन के परिणामस्वरूप संवर्धन | —                                 | —                                 |
| वर्ष के अंत में अनुबंध देयताएं                                                                         | 10,207.00                         | 10,207.00                         |

**प्रदर्शन दायित्व**

कार्यों के संबंध में कंपनी का निष्पादन दायित्व ग्राहक को परियोजना रिपोर्ट सौंपे जाने और ग्राहक की अंतिम स्वीकृति पर या राजस्व एकत्र करने का अधिकार तय होने पर पूरा माना जाता है।

**नोट:—39**

**एमएसएमई प्रकटीकरण**

कंपनी ने ऐसे उद्यमों की पहचान की है जिन्होंने कंपनी को माल एवं सेवाएँ प्रदान की हैं और जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमडीए) के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तदनुसार, 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 तक ऐसे उद्यमों को देय राशियों के संबंध में प्रकटीकरण, प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट की गई सीमा तक, कंपनी के पास प्राप्त एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर वित्तीय विवरणों में दिया गया है। अतिदेय राशि और देय ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है।

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                                                                                                                                                                  | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| क) वर्ष के अंत तक किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई मूल राशि                                                                                                         | 1503.51                           | 385.06                            |
| ख) उपरोक्त राशि पर देय ब्याज                                                                                                                                           | —                                 | —                                 |
| सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि तथा वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान की राशि। | शून्य                             | शून्य                             |
| भुगतान करने में विलम्ब की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि, किन्तु इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।                                                    | शून्य                             | शून्य                             |
| वर्ष के अंत में अर्जित तथा अदा न की गई ब्याज की राशि।                                                                                                                  | शून्य                             | शून्य                             |
| आगामी वर्षों में भी बकाया एवं देय ब्याज की शेष राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज का लघु उद्यमों को वास्तव में भुगतान नहीं कर दिया जाता।                      | शून्य                             | शून्य                             |

**नोट:—40**

**कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार प्रकटीकरण**

क. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 24 मार्च 2021 को जारी अधिसूचना के अंतर्गत कुछ प्रकटीकरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया है जो 1 अप्रैल 2021 से लागू हैं। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में उक्त संशोधन के अनुसार परिवर्तनों को समाविष्ट किया है और उक्त संशोधन के अनुपालन में निम्नवत प्रकटीकरण किए गए हैं:

- कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत बंद हो चुकी कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है, जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है।
- कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

- iii) कंपनी के पास ऐसी कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जिसके लिए कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने हेतु कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो।
- iv) कंपनी ने पूर्व अवधि की त्रुटियों के पुनर्कथन पर आवश्यकतानुसार तीसरी तुलन पत्र का प्रकटीकरण किया है।
- v) कंपनी के पास कोई ऐसा शुल्क या संतुष्टि नहीं है जिसे वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी है।
- vi) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) के जरिए इस विचार के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ:
  - क) कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से चिह्नित किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देने या निवेश करने (अंतिम लाभार्थी) या
  - ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई सुविधा प्रदान करने
- vii) कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (वित्तपोषण पक्ष) शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की है, इस विचार से (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी:
  - क) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से चिह्नित किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देना या निवेश करने, या
  - ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करने,
- viii) कंपनी के पास प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी तथा अन्य संबंधित पक्षों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं है।
- ix) कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पण या प्रकटीकरण नहीं किया है।
- x) आरओयू परिसंपत्तियों सहित संपत्ति संयंत्र और उपकरणों का वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III द्वारा अपेक्षित बाद के प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।
- xi) अमूर्त आस्तियों का वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III द्वारा अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं होंगे।
- xii) कंपनी के पास बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं है, इसलिए अनुसूची III द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।
- xiii) कंपनी के पास निवेश संपत्ति नहीं है, इसलिए अनुसूची III द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं है।
- xiv) कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों को तिमाही स्टॉक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अनुसूची III द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं है।
- xv) कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं है।
- xvi) कंपनी का किसी भी कंपनी में कोई अतिरिक्त निवेश नहीं है, इसलिए कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत अनुपालन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यक है।

xvii) निम्नलिखित लेखांकन अनुपात प्रकट किये गये हैं:

| विवरण                     | अंश                        | हर                           | 31 मार्च,<br>2024 | 31 मार्च,<br>2023 | %<br>परिवर्तन | 25%<br>परिवर्तन                                                                        |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| चालू अनुपात               | चालू संपत्ति               | चालू देनदारियां              | 0.35              | 0.27              | 29.63%        | अनुपात तुलनीय नहीं है क्योंकि कंपनी अभी निर्माण चरण में है।                            |
| इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल | कर पश्चात शुद्ध लाभ        | शेयरधारक की औसत इक्विटी      | 0.01              | —                 | —             | लागू नहीं                                                                              |
| नियोजित पूंजी पर प्रतिफल  | ब्याज और करों से पूर्व आय  | नियोजित मूलधन                | —                 | —                 | —             | लागू नहीं                                                                              |
| ऋण सेवा कवरेज अनुपात      | ऋण सेवाओं के लिए उपलब्ध आय | कुल ब्याज और मूलधन की चुकौती | 7.51              | 5.46              | 37.55%        | अनुपात तुलनीय नहीं है क्योंकि कंपनी निर्माण चरण में है और कोई प्रचालन लाभ नहीं हुआ है। |
| निवल लाभ अनुपात           | कर पश्चात शुद्ध लाभ        | प्रचालन से राजस्व            | 0.63              | —                 | —             | लागू नहीं                                                                              |
| निवल पूंजी कारोबार अनुपात | कर पश्चात शुद्ध लाभ        | प्रचालन से राजस्व            | —                 | —                 | —             | निर्धारित नहीं किया जा सकता                                                            |

निम्नलिखित अनुपात कंपनी पर लागू नहीं हैं, इसलिए इसकी गणना नहीं की गई है

| क्र.सं. | विवरण                        |
|---------|------------------------------|
| 1.      | ऋण इक्विटी अनुपात            |
| 2.      | इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात     |
| 3.      | यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात |
| 4.      | व्यापार देय टर्नओवर अनुपात   |
| 5.      | निवेश प्रतिफल                |

viii) ऐसी अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेख, कंपनी के नाम पर धारित नहीं हैं

राशि (रु. लाख में)

| तुलन पत्र में प्रासंगिक लाइन आइटम      | परिसंपत्ति के मद का विवरण | सकल वहन मूल्य | उसका नाम जिसके नाम पर स्वामित्व विलेख है            | क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है | परिसंपत्ति किस तारीख से धारण की गई है | कंपनी के नाम पर न धारित किए जाने का कारण   |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर            | भूमि—फ्रीहोल्ड            | 2,53,199.54   | परियोजना प्रभावित व्यक्ति परियोजना प्रभावित व्यक्ति | नहीं                                                                                                      | *                                     | स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है |
|                                        | भूमि—फ्रीहोल्ड            | 38,359.32     | गुजरात सरकार                                        | हाँ                                                                                                       | *                                     | स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है |
| निवेशित संपत्ति                        | शून्य                     | शून्य         | —                                                   | लागू नहीं                                                                                                 | लागू नहीं                             | लागू नहीं                                  |
| बिक्री हेतु रखी गई गैर-चालू परिसंपत्ति | शून्य                     | शून्य         | —                                                   | लागू नहीं                                                                                                 | लागू नहीं                             | लागू नहीं                                  |
| अन्य                                   | शून्य                     | शून्य         | —                                                   | लागू नहीं                                                                                                 | लागू नहीं                             | लागू नहीं                                  |

फ्रीहोल्ड भूमि में विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों और सरकारी विभागों से प्राप्त भूमि शामिल है, जिसे अलग-अलग तिथियों को अधिग्रहित किया गया है, इसलिए ऐसे अधिग्रहण के लिए तिथिवार प्रकटीकरण नहीं दर्शाया गया है।

नोट: इसमें परिसंपत्ति की वे वस्तुएं शामिल नहीं हैं, जिनका स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया जाएगा और न ही पट्टा-अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। केवल उपयोग के अधिकार की अनुमति प्राप्त की जाती है।

ख. वित्तीय विवरण अनुसूची III (दिनांक 24 मार्च, 2021 की अधिसूचना द्वारा संशोधित) के अनुसार कंपनी पर लागू सीमा तक तैयार किया गया है। निम्नलिखित मदों को वित्तीय विवरण में दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि ये कंपनी पर लागू नहीं हैं या इनका मूल्य शून्य है।

चालू और गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

क) निवेशित परिसंपत्ति

ख) साख

ग) वाहक संयंत्र के अलावा अन्य जैविक परिसंपत्तियाँ

घ) निवेश

ड) इन्वेंटरी

च) व्यापार प्राप्य

चालू और गैर-चालू देयताएं

क) प्रतिदाय देयताएं

ख) सरकारी अनुदान

अन्य सभी प्रकटीकरण, जहां तक लागू न हों, रिपोर्ट नहीं किए जाते।

#### ग. अन्य प्रकटीकरण

रोजगार पश्चात लाभों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ("संहिता") को सितंबर 2020 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। संहिता को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। हालाँकि, जिस तारीख को संहिता लागू होगी, उसे अधिसूचित नहीं किया गया है। कंपनी संहिता के लागू होने पर इसके प्रभाव का आकलन करेगी और संहिता के प्रभावी होने की अवधि में किसी भी संबंधित प्रभाव को रिकॉर्ड करेगी।

#### नोट:-41

##### पूर्व अवधि समायोजन/त्रुटियों का सुधार

कंपनी ने पिछली अवधि की शुरुआत में तीसरी तुलन पत्र प्रस्तुत की है, क्योंकि त्रुटियों में सुधार से विवरण में दी गई जानकारी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

1. ईएपी पर ब्याज 0.1% की दर से मान्यता प्राप्त है और परिणामी ब्याज आय को लाभ व हानि विवरण से घटा दिया गया है।
2. पट्टे पर दी गई भूमि को राइट-ऑफ-यूज एसेट्स के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है तथा उस पर परिशोधन का प्रावधान किया गया है।

#### i) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि का विवरण

राशि (रु. लाख में)

| विवरण       | नोट  | पूर्ववत रिपोर्ट किए गए अनुसार | समायोजन         | पुनःकथित अनुसार |
|-------------|------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| आय          |      |                               |                 |                 |
| अन्य आय     | 41.1 | 9,776.63                      | (1,188.52)      | 8,588.11        |
| व्यय        |      |                               |                 |                 |
| आस्थगित कर  | 41.1 | (428.87)                      | 299.13          | (129.74)        |
| वर्ष का लाभ |      | <b>9,347.76</b>               | <b>(889.39)</b> | <b>8,458.37</b> |

ii) 31 मार्च 2023 का तुलन पत्र

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                               | नोट        | पूर्ववत रिपोर्ट किए गए अनुसार | समायोजन       | पुनःकथित अनुसार     |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|---------------------|
| संपत्ति                             |            |                               |               |                     |
| गैर चालू परिसंपत्ति                 |            |                               |               |                     |
| संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण          | 41.2       | 9,44,493.95                   | (19,415.78)   | 9,25,078.17         |
| पूँजीगत कार्यरत                     | 41.2       | 25,99,505.24                  | 478.62        | 25,99,983.86        |
| राइट-ऑफ-यूज एसेट्स                  | 41.2       | 1,460.32                      | 18,937.13     | 20,397.45           |
| गैर चालू परिसंपत्ति                 |            |                               |               |                     |
| आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)     | 41.1       | (81.30)                       | 364.97        | 283.67              |
| चालू परिसंपत्ति                     |            |                               |               |                     |
| उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष | 41.3       | 106.42                        | (17.10)       | 89.32               |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ          | 41.3       | 880.64                        | 17.10         | 897.74              |
| <b>कुल</b>                          |            | <b>35,46,365.27</b>           | <b>364.94</b> | <b>35,46,730.21</b> |
| देयताएं                             |            |                               |               |                     |
| अन्य इक्विटी                        | 41.1       | 53,935.64                     | (1,085.14)    | 52,850.50           |
| गैर चालू देनदारियाँ                 |            |                               |               |                     |
| अन्य वित्तीय दायित्व                | 41.4       | 25,32,565.76                  | (1,765.90)    | 25,30,799.86        |
| चालू देनदारियाँ                     |            |                               |               |                     |
| अन्य वित्तीय दायित्व                | 41.1, 41.4 | 2,29,225.41                   | 3,216.00      | 2,32,441.41         |
| <b>कुल</b>                          |            | <b>28,15,726.81</b>           | <b>364.96</b> | <b>28,16,091.77</b> |

iii) 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                            | नोट  | पूर्ववत रिपोर्ट किए गए अनुसार | समायोजन      | पुनःकथित अनुसार    |
|----------------------------------|------|-------------------------------|--------------|--------------------|
| परिसंपत्ति                       |      |                               |              |                    |
| गैर चालू परिसंपत्ति              |      |                               |              |                    |
| आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध) | 41.1 | 338.72                        | 65.84        | 404.56             |
| <b>कुल</b>                       |      | <b>338.72</b>                 | <b>65.84</b> | <b>404.56</b>      |
| देयताएं                          |      |                               |              |                    |
| अन्य इक्विटी                     | 41.1 | 39,253.79                     | (195.76)     | 39,058.03          |
| चालू देनदारियाँ                  |      |                               |              |                    |
| अन्य वित्तीय दायित्व             | 41.1 | 1,43,207.75                   | 261.60       | 1,43,469.35        |
| <b>कुल</b>                       |      | <b>1,82,461.54</b>            | <b>65.84</b> | <b>1,82,527.38</b> |

iv) 31 मार्च 2023 के लिए नकदी प्रवाह पर प्रभाव

राशि (रु. लाख में)

| विवरण                        | नोट  | पूर्ववत रिपोर्ट किए गए अनुसार | समायोजन     | पुनःकथित अनुसार       |
|------------------------------|------|-------------------------------|-------------|-----------------------|
| प्रचालन गतिविधि से निवल नकदी | 41.3 | 94,179.31                     | (0.54)      | 94,178.77             |
| निवेश गतिविधि से निवल नकदी   |      | (16,70,594.88)                | 0.55        | (16,70,594.33)        |
| <b>कुल</b>                   |      | <b>(15,76,415.57)</b>         | <b>0.01</b> | <b>(15,76,415.56)</b> |

नोट 41.2.3—प्रति शेयर आय पर प्रभाव (मूलभूत एवं द्रवीकृत)

राशि (रु. लाख में)

| प्रकृति                                        | पूर्ववत रिपोर्ट किए गए अनुसार | समायोजन  | पुनःकथित अनुसार |
|------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------|
| इक्विटी शेयरधारकों को देय लाभ (लाखों रुपए में) | 5379.29                       | (889.39) | 4,489.91        |
| प्रति शेयर आय (मूल) (रु. में)                  | 3.92                          | (0.65)   | 3.27            |
| प्रति शेयर आय (द्रवीकृत) (रु. में)             | 3.91                          | (0.64)   | 3.27            |

**नोट 41.1**—कंपनी और रेलवे मंत्रालय के बीच अग्रिम/ईएपी से संबंधित नियम एवं शर्तें इन वित्तीय विवरणों को तैयार किए जाने की तिथि तक विचाराधीन हैं। संबंधित नियमों एवं शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने तक, कंपनी ने उपरोक्त ईएपी को “वित्तीय देनदारियाँ— गैर—चालू/मद” के अंतर्गत प्रस्तुत किया है।

एनएसएचआरसीएल 0.1% की दर से ऋण जारी करने हेतु रेल मंत्रालय के संपर्क में है, चालू वर्ष में रेल मंत्रालय ने दिनांक 02.11.2023 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग को सूचित किया है कि “एमएचएसआर परियोजना के लिए जेआईसीए ऋण के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है, जिसे एनएसएचआरसीएल को 0.1% ब्याज पर दिया जाना है, जिसमें हेजिंग लागत सरकार को वहन करनी है”।

तदनुसार, एनएसएचआरसीएल ने 31 मार्च 2024 तक कंपनी को रेल मंत्रालय द्वारा वितरित राशि (रेल मंत्रालय/वित्त मंत्रालय द्वारा जेआईसीए से प्राप्त ऋण की सीमा तक) पर 0.1% की दर से उपरोक्त ईएपी/अग्रिम पर ब्याज को मान्यता दी है। हालांकि, विगत वर्षों में एनएसएचआरसीएल वित्तीय विवरणों में कोई ऋण लागत नहीं दर्शा रहा था। तदनुसार त्रुटि को ठीक करने के लिए, रेल मंत्रालय से अग्रिम/ईएपी पर ऋण लागत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए क्रमशः 1,188.52 लाख रुपये और 31 मार्च 2022 तक 261.60 लाख रुपये मान्यता दी गई है, मान्यता प्राप्त ऋण लागत की सीमा तक संबंधित ब्याज आय को संबंधित वित्तीय वर्ष के लाभ और हानि विवरण से घटा दिया गया है। संबंधित अवधि के लिए लाभ एवं हानि विवरण में 65.84 लाख रुपये की राशि को मान्यता दी गई है।

इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2023 तक अन्य वित्तीय देयता में 1450.12 लाख रुपये तथा 1 अप्रैल 2022 तक 261.60 लाख रुपये की वृद्धि होगी तथा आस्थगित कर एवं प्रतिधारित आय पर इसका परिणामी असर होगा।

**नोट 41.2**—कंपनी ने पहले लीजहोल्ड भूमि को संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (पीपीई) के अंतर्गत वर्गीकृत किया था और उस पर परिशोधन का प्रावधान नहीं किया गया था, अब इसको बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने हेतु 19,415.78 लाख रुपये की लीजहोल्ड भूमि को संपत्ति संयंत्र और उपस्कर से राइट ऑफ यूज एसेट्स में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, इसके अलावा 31 मार्च 2023 तक इस पर 478.62 लाख रुपये के राइट ऑफ यूज एसेट्स के परिशोधन को मान्यता दी गई है। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2023 तक आरओयू परिसंपत्तियों में 18,937.13 लाख रुपये की वृद्धि हुई है और प्रगतिरत पूंजीगत कार्य 478.62 लाख रुपये का है, जबकि इसी प्रकार संपत्ति संयंत्र और उपस्कर में भी कमी आई है।

**नोट 41.3**—एमआईडीसी के पास बंधक रखी गई एफडीआर को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III की आवश्यकता के अनुसार अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

**नोट 41.4**—1765.90 लाख रुपए के अन्य देय को गैर चालू देयता से चालू देयता में पुनर्वर्गीकृत किया गया है क्योंकि ये देयताएं चालू प्रकृति की थीं।

## नोट:—42

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के आंकड़ों की प्रस्तुति के अनुरूप पुनः वर्गीकृत/पुनर्गठित किया गया है।

## नोट:—43

### वित्तीय विवरण का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 21 अगस्त 2024 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया था।

दीवान पी.एन. चोपड़ा एंड कंपनी के लिए

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 000472N

साझेदार: संदीप दहिया  
सदस्यता सं.: 505371

विवेक कुमार गुप्ता  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन: 10423972

विवेक प्रकाश त्रिपाठी  
निदेशक वित्त एवं सीएफओ  
डीआईएन: 10216466

सुमीता शर्मा  
कंपनी सचिव  
सदस्यता सं.: FC5250

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 21.08.2024

## 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा 21 अगस्त 2024 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्य-पत्रों तक पहुंच के बिना, स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर, मुझे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली है जिसके लिए अधिनियम की धारा 143(6)(बी) में उल्लिखित वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी या संशोधन की आवश्यकता हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  
के लिए एवं उनकी ओर से

डॉ. नीलोत्पल गोस्वामी  
महानिदेशक लेखा परीक्षा  
रेलवे वाणिज्य, नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 25.09.2024



पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल, एशिया भवन, रोड नंबर 205,  
 सेक्टर 9, द्वारका, नई दिल्ली-110077  
 ईमेल: [psmd@nhsrcl.in](mailto:psmd@nhsrcl.in); वेबसाइट: [www.nhsrcl.in](http://www.nhsrcl.in)  
 सीआईएन: U60200DL2016GOI291002